भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

संख्या-2

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	——	VII
विहंगावलोकन	——	IX
अध्याय-1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	1.2	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	1.3	7
संग्रह की लागत	1.4	9
कर निर्धारण के बकाया मामले	1.5	10
राजस्व का बकाया	1.6	16
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	18
अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8	19
वन विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा संगठन का कार्यान्वयन	1.9	25
अध्याय-2 बिक्रीकर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	28
बिक्रीकर अधिनियमों के अन्तर्गत व्यापारियों का पंजीयन	2.2	29
निर्माताओं को कच्चे माल की खरीद पर छूट प्रदान करने में अनियमितताएं	2.3	46
अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना	2.4	54
अनियमित छूट	2.5	58
माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप कर का कम आरोपण होना	2.6	61
कर का गलत दर पर लगाया जाना	2.7	63
क्रयकर का आरोपित न किया जाना / कम आरोपित किया जाना	2.8	67
अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	2.9	70

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ब्याज का न लगाया जाना	2.10	71
बिक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना	2.11	72
गणना में त्रुटि	2.12	72
अध्याय - 3 राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	74
मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना	3.2	74
त्रुटिपूर्ण निर्यात शुल्क की दर लगाए जाने से राजस्व की हानि	3.3	76
रेक्टीफाइड स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात पास फीस न लगाया जाना	3.4.क	77
परिशोधित स्पिरिट पर निर्यात पास फीस का कम लगाया जाना	3.4.ख	78
आबकारी राजस्व का वसूल न किया जाना	3.5	78
प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना	3.6	81
अध्याय - 4 वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	82
परिवहन जांच-चौकियों का कार्य सम्पादन	4.2	82
यात्रीकर का कम / न आरोपित किया जाना	4.3	92
मार्गकर तथा माल कर का आरोपण न किया जाना	4.4	98
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्र फीस की कम वसूली	4.5	98
अध्याय - 5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	100
सम्पत्ति के अवमूल्यन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.2	100

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.3	101
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	5.4	102
अध्याय - 6 भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	103
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	6.2	103
अध्याय - 7 अन्य कर प्राप्तियाँ		
क - विद्युत शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	105
विद्युत शुल्क का आरोपण न किया जाना	7.2	105
ख - गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	106
प्रति बोरा अन्तिम दर के गलत निर्धारण के कारण गन्ना क्रय कर का भुगतान न होना	7.4	107
मिल के अपने फार्म पर उगाए गए गन्ने पर क्रय कर का भुगतान न किया जाना	7.5	108
अध्याय - 8 वन प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	110
निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	8.2	111
मांग न करने के कारण राजस्व हानि	8.3	111
पट्टा किराया की कम वसूली	8.4	112

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अवधि विस्तार शुल्क का वसूल न किया जाना	8.5	113
विलम्ब शुल्क का वसूल न किया जाना	8.6	113
अध्याय - 9 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ		
क - सिंचाई विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.1	115
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	9.2	116
नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व हानि	9.3	116
ख - लोक निर्माण विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.4	117
पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	9.5	118
अनुबन्धों पर कम स्टाम्प शुल्क लगाया जाना	9.6	119
ग - कृषि विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.7	119
पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का विक्रय	9.8	120
घ - सहकारिता विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.9	121

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ड. - खाद्य एवं रसद विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.10	121
प्रतिभूति निक्षेपों का जब्त न किया जाना	9.11	122

परिशिष्ट

क - पंजीयन में तात्कालिक कार्यवाही न किए जाने की विफलता का विवरण		125
ख - फर्जी व्यापारियों के पंजीयन का विवरण		127

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1991-92 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक खण्ड संख्या - 2 में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गई है:

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दर्शाया गया है । इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति , आदि की भी विवेचना की गई है ।

(ii) अध्याय 2 से 9 में कुछ ऐसे रोचक मामलों तथा प्रसंगों का समावेश किया गया है जो बिक्रीकर, राज्य आबकारी , वाहनों , माल और यात्रियों पर कर , स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस , भू-राजस्व , विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये ।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1991-92 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक खण्ड संख्या - 2 में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गई है:

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दर्शाया गया है । इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति , आदि की भी विवेचना की गई है ।

(ii) अध्याय 2 से 9 में कुछ ऐसे रोचक मामलों तथा प्रसंगों का समावेश किया गया है जो बिक्रीकर, राज्य आबकारी , वाहनों , माल और यात्रियों पर कर , स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस , भू-राजस्व , विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये ।

1. सामान्य

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1991-92 की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 9674.61 करोड़ रुपए थी। कुल प्राप्तियों में से 3497.39 करोड़ रुपए (36 प्रतिशत) कर राजस्व तथा 1083.48 करोड़ रुपए (11 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व से संबंधित थे । भारत सरकार से अनुदान के रुप में प्राप्तियाँ तथा संघीय करों के भाग की धनराशि 5093.74 करोड़ रुपए (53 प्रतिशत) थी । गतवर्ष के 25 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 1991-92 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 1990-91 में कर-राजस्व में हुई 29 प्रतिशत वृद्धि घट कर वर्ष 1991-92 में 11 प्रतिशत हो गई जबकि कर-भिन्न राजस्व में वर्ष 1990-91 में 6 प्रतिशत गिरावट के विरुद्ध वर्ष 1991-92 में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(प्रस्तर 1.1 तथा 1.2)

(ख) बिक्रीकर निर्धारणों को उनके कालातीत होने के ठीक पहले अन्तिम रुप देने की सुस्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टि गोचर हुई । इस प्रकार वर्ष 1991-92 में अन्तिम रुप दिए गए 4.50 लाख रुपए बिक्रीकर निर्धारणों में से 2.01 लाख (45 प्रतिशत) वे मामले थे जो आगामी वित्तीय वर्ष में कालातीत हो गए होते ।

(प्रस्तर 1.5 (ख) तथा (ग))

(ग) बिक्रीकर से संबंधित असंग्रहीत राजस्व का बकाया गत तीन वर्षों से निरंतर बढ़ता रहा है (वर्ष 1988-89 में 951.46 करोड़ रुपए से वर्ष 1991-92 तक 1378.50 करोड़ रुपए) ।

(प्रस्तर 1.6)

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए नमूना जांच के परिणाम स्वरुप कुल 56.89 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि के मामले देखे गए । ये बिक्रीकर (15.63 करोड़ रुपए), राज्य आबकारी (4.16 करोड़ रुपए), वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (1.20 करोड़ रुपए), स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस (1.33 करोड़ रुपए), भू-राजस्व (4.18 करोड़ रुपए), वन प्राप्तियाँ (25.40 करोड़ रुपए) तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न राजस्व (4.99 करोड़ रुपए) से संबंधित थे । वर्ष 1991-92 के दौरान 565 मामलों में 9.29 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें से 542 मामलों में 8.79 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान तथा शेष पिछले वर्षों में इंगित किया गया था ।

(प्रस्तर 1.7)

(ङ.) वर्ष 1991-92 तथा उससे पूर्व के वर्षों में देखे गए उल्लेखनीय त्रुटियों / अनियमितताओं से संबंधित 145 आलेख प्रस्तरों तथा 3 समीक्षाओं में जिसमें 16.78 करोड़ रुपए की धनराशि निहित थी तथा जिन्हें अन्य सम्भव लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने योग्य समझा गया था, सरकार को प्रेषित किया

गया था-जिसमें से 2.53 करोड़ रुपए के 66 मामले सरकार / विभाग द्वारा स्वीकार किए गए थे। 8 मामलों में जनवरी 1993 तक 10.07 लाख रुपए की वसूली की गई । इस प्रतिवेदन में सम्मिलित चुने हुए 106 आलेख प्रस्तर तथा 2 समीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 15.96 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है, लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सुस्पष्ट करते हैं । विभाग / सरकार ने प्रतिवेदन में सम्मिलित 45 मामले जिसमें 1.84 करोड़ रुपए निहित है, अब तक स्वीकार कर लिया है ।

(प्रस्तर 1.7)

(च) 109.91 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्बद्ध दिसम्बर 1991 तक निर्गत 2582 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 6112 प्रस्तर थे , जून 1992 तक समाधान हेतु लम्बित थे। 383 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 1993)।

(प्रस्तर 1.8)

(छ) वन विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के अभिलेखों के जांच परीक्षण से निम्न तथ्य प्रकाश में आए ।

(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के कर्मचारियों के मार्ग दर्शन के लिए विभाग के अस्तित्व में आने के 32 वर्ष पश्चात् भी न तो कोई कार्य सूची निर्धारित की गई और न कोई नियमावली ही बनायी गई ।

(ii) 320 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें 3485 प्रस्तर फरवरी 1992 तक निर्गत किए गए थे, 31 जुलाई 1992 तक लम्बित थे ।

(iii) 7 प्रभागों के सांविधिक लेखापरीक्षा में 29.27 लाख रुपए की आपत्तियों की खोज की जा सकी जो आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखे जाने से रह गई थी ।

(प्रस्तर 1.9)

2. बिक्रीकर

(i) "बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीयन" पर की गई समीक्षा से निम्न बिन्दुओं का पता चला:

6175 मामलों में पंजीयन हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र , जिन्हें 3 माह के अन्दर अन्तिम रुप से निबटा दिया जाना था, उन्हें एक माह से लेकर 12 माह के अधिक विलम्ब से निपटाया गया । पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण तथा एक मामले के अन्तिम कर निर्धारण में अत्यधिक विलम्ब होने से 13.69 लाख रुपए राजस्व क्षति हुई ।

(प्रस्तर 2.2.6(i)तथा (ii))

120 बैंक गारण्टियाँ जिनमें 22.52 लाख रुपए की धनराशि अन्तर्निहित थी, का नवीनीकरण तथा 10.55 लाख रुपए के 55 जमानती बन्ध-पत्रों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं कराया गया ।

(प्रस्तर 2.2.8(i)(क))

69 मामलों में पंजीयन स्वीकृत करते समय कोई जमानत नहीं ली गई जिसके फलस्वरुप 6.58 करोड़ रुपए की क्षति हुई ।

(प्रस्तर 2.2.8(ii)(क))

बिक्रीकर तथा राज्य आबकारी विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय न होने के कारण विदेशी मदिरा / भाँग के अनुज्ञापियों के 31 मामलों में जिन्हें विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं किया जा सका, 2.01 करोड़ राजस्व क्षति हुई ।

(प्रस्तर 2.2.9)

5 फर्जी तथा नकली व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के कारण 94.76 लाख रुपए की राजस्व की क्षति हुई ।

(प्रस्तर 2.2.14 (क))

(ii) 4 बिक्री कर मण्डलों (गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर तथा वाराणसी) में बेकरी उत्पादों के मान्यता प्रमाण पत्र धारक निर्माताओं को वनस्पति, रसायन तथा पैकिंग सामग्री की रियायती दर से क्रय हेतु गलत अधिकृत किया गया । अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र स्वीकृत किए जाने के कारण 5.37 लाख रुपए राजस्व हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.3.ग(ii))

(iii) वर्ष 1982-83 तथा 1988-89 में दो व्यापारियों द्वारा प्रपत्र "सी" के घोषणा प्रपत्र पर रियायती दर से 45.12 लाख रुपए के उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं की अनियमित खरीद करने के कारण 6.76 लाख रुपए अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ ।

(प्रस्तर 2.4.ख(ii))

(iv) मेरठ मण्डल के एक दूरदर्शन उपकरण निर्माता के करारोपण में अनियमित छूट दिए जाने के फलस्वरुप 7.73 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

(प्रस्तर 2.5 (ii))

(v) 3 मामलों में गणना त्रुटि के कारण 16.38 लाख रुपए का अवनिर्धारण किया गया ।

(प्रस्तर 2.12)

3. राज्य आबकारी

(i) दो आसवनियों के मामलों में यथा विदेशी मदिरा सील बन्द बोतलों एवं पाउचों में परिवहित की गई जिसमें मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नहीं था, किन्तु मार्गस्थ छीजन के माल पर 20.25 लाख रुपए आबकारी अभिकर आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.2)

(ii) रोजा आसवनी (जनपद शाहजहाँपुर) द्वारा स्पिरिट के निर्यात पर कम दर से अभिकर लगाए जाने के फलस्वरुप 4.08 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुई ।

(प्रस्तर 3.3)

(iii) एक जिले के शहरी समुदाय की 4 विदेशी मदिरा की दुकानों के पुनर्नीलाम करने के कारण 8.12 लाख रुपए की राजस्व की क्षति हुई क्यों कि धनराशि चूक कर्ता अनुज्ञापी से वसूल नहीं की गई ।

(प्रस्तर 3.5(ख))

4. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर

"परिवहन जांच-चौकियों के क्रियाकलाप " पर की गई एक समीक्षा से निम्न बिन्दुओं का पता चला ।

जांच-चौकियाँ अनुकूल स्थानों पर नहीं स्थापित की गईं जिससे कर अपवंचन सम्भव हो सका ।

(प्रस्तर 4.2.6)

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित अन्य राज्यों के अनुबन्धित वाहनों के बारे में नियम तथा कार्य प्रणाली के न पालन करने से 11 जांच-चौकियों पर 6.35 लाख रुपए कम वसूल किए गए ।

(प्रस्तर 4.2.9.2)

उत्तर प्रदेश में चलने वाली अन्य राज्यों की अनुबन्धित वाहनों के एक मुश्त दरों की बढ़ोत्तरी न किए जाने के फलस्वरुप एक वर्ष में केवल 14 जांच-चौकियों से प्रदेश में प्रवेश करने वाली अनुबन्धित वाहनों से 41.09 लाख रुपए यात्रीकर की हानि हुई ।

(प्रस्तर 4.2.9.3)

5. भू-राजस्व

8 जनपदों की 12 तहसीलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा 34.32 लाख रुपए संग्रह प्रभार न तो

बकाएदारों से वसूल किया गया और न संग्रहित धनराशि से घटाया ही गया ।

(प्रस्तर 6.2)

6. अन्य कर प्राप्तियाँ

मिल के अपने फार्म पर उगाए गए गन्ने पर क्रय कर का भुगतान न किए जाने के फलस्वरुप 6.58 लाख रुपए कर नहीं लगा ।

(प्रस्तर 7.5)

7. वन सम्पदा

(i) उत्तर प्रदेश वन निगम के विरुद्ध मांग न सृजित करने के कारण 9.60 लाख रुपए की वसूली नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त 13.10 लाख रुपए विलम्ब शुल्क भी आरोपणीय था ।

(प्रस्तर 8.3)

(ii) 1978 से 1991 की अवधि में 2 वन प्रभागों से पट्टा किराए की गलत दर लगाए जाने के कारण 5.26 लाख रुपए पट्टा किराए की कम वसूली हुई ।

(प्रस्तर 8.4)

(iii) 79 लाटों की कार्य अवधि बगैर 22.87 लाख रुपए अवधि विस्तार शुल्क वसूल किए बढ़ा दी गई ।

(प्रस्तर 8.5)

(iv) रायल्टी की किस्तों के विलम्बित भुगतानों का 41.66 लाख रुपए शुल्क नहीं वसूल किया गया।

(प्रस्तर 8.6)

अध्याय 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि

उत्तर प्रदेश शासन की वर्ष 1991-92 हेतु 8814.15 करोड़ रुपए की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियाँ 9674.61 करोड़ रुपए थी तथा वर्ष 1990-91 की वास्तविक प्राप्तियाँ 8310.10 करोड़ रुपए थी । इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1990-91 की प्राप्तियों की अपेक्षा 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 9674.61 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 4580.87 करोड़ रुपए था जिसमें से 3497.39 करोड़ रुपए कर-राजस्व तथा शेष 1083.48 करोड़ रुपए कर-भिन्न राजस्व निरुपित करते थे। भारत सरकार से प्राप्तियाँ 5093.74 करोड़ रुपए रहीं ।

1.2 राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1991-92 के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण, इसके पूर्व के दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है:

	1989-90	1990-91	1991-92
		(करोड़ रुपए में)	
i. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर-राजस्व	2448.58	3162.12	3497.39
(ख) कर-भिन्न राजस्व	823.56	777.47	1083.48
योग	3272.14	3939.59	4580.87
ii. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	2301.01	2305.65	2731.35
(ख) सहायक अनुदान	1050.02	2064.86	2362.39
योग	3351.03	4370.51	5093.74

iii.	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (i+ii)	6623.17	8310.10	9674.61*
iv.	i से iii की प्रतिशतता	49	47	47

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से जुटाया गया कर-राजस्व

वर्ष 1991-92 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियाँ (3497.39 करोड़ रुपए) राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (4580.87 करोड़ रुपए) की 76 प्रतिशत थी तथा गत वर्ष 1990-91 की प्राप्तियों अर्थात् 3162.12 करोड़ रुपए की अपेक्षा 11 प्रतिशत अधिक थी ।

वर्ष 1991-92 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है:

राजस्व शीर्ष	1989-90	1990-91	1991-92	1990-91 के संदर्भ में 1991-92 में वृद्वि (+) या कमी (-)	1990-91 के सन्दर्भ में प्रतिशतता में परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(करोड़ रुपए में)				
1. बिक्री कर	1235.30	1415.36	1641.83	(+)226.47	16
2. राज्य आबकारी	422.13	724.79	715.62	(-) 9.17	(-)1
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	310.17	359.73	445.19	(+) 85.46	24

* विवरण के लिए कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1991-92 में विवरण संख्या 11- लघु शीर्षवार राजस्व का व्योरेवार लेखा देखें

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	64.17	211.97	188.22	(-) 23.75	(-)11
5. माल एवं यात्रियों पर कर	135.27	151.69	161.42	(+) 9.73	6
6. वाहनों पर कर	79.30	85.42	92.99	(+) 7.57	9
7. गन्ने के क्रय पर कर	37.93	53.04	68.42	(+) 15.38	29
8. विद्युत पर कर और शुल्क	50.98	53.07	57.13	(+) 4.06	8
9. भू-राजस्व	53.16	39.65	42.21	(+) 2.56	6
10. आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.05	0.05	-	-	-
11. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर	0.01	0.01	0.78	(+) 0.77	-
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	60.11	67.34	83.58	(+) 16.24	24
योग	**2448.58**	**3162.12**	**3497.39**	**(+)335.32**	**11**

कर राजस्व में वृद्धि वर्ष 1990-91 के 29 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1991-92 में 11 प्रतिशत हुई । "मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में गत वर्ष के 230

प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसी प्रकार "राज्य आबकारी" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 1990-91 की अविध में 72 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 1991-92 में गिरावट हुई। प्राप्तियों में वृद्धि "माल एवं यात्रियों पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत 1990-91 में 12 प्रतिशत से वर्ष 1991-92 में 6 प्रतिशत तथा " गन्ने के क्रय पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत 1990-91 में 40 प्रतिशत से वर्ष 1991-92 में 15 से 29 प्रतिशत तक कम हो गई।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए निवेदन किया गया था (नवम्बर 1992) । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1993)।

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान कर राजस्व की बढ़ोत्तरी रेखा चित्र - i में दर्शाई गई है ।

(ग) राज्य का कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 1991-92 के दौरान कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियाँ (1083.48 करोड़ रुपए) राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (4580.87 करोड़ रुपए) की 24 प्रतिशत थी तथा गत वर्ष 1990-91 की प्राप्तियों (777.47 करोड़ रुपए) में 39 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध इस वर्ष, वर्ष 1989-90 की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी हुई ।

वर्ष 1991-92 तथा उससे पूर्व दो वर्षों का उन विभागों के कर भिन्न राजस्व का विश्लेषण जिनकी प्राप्तियाँ 10 करोड़ रुपए से अधिक थी, नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	1989-90	1990-91	1991-92	1990-91के सन्दर्भ में 1991-92 में वृद्धि (+) या कमी(-)	1990-91 के सन्दर्भ में प्रतिशतता में परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपए में)			
1. विभिन्न सामान्य सेवाएं	138.37	161.94	390.17	(+)228.23	141
2. ब्याज प्राप्तियाँ	281.68	302.08	298.93	(-) 3.15	(-)1

कर-राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1989-90 से 1991-92

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2 (ख), पृष्ठ संख्या - 2)

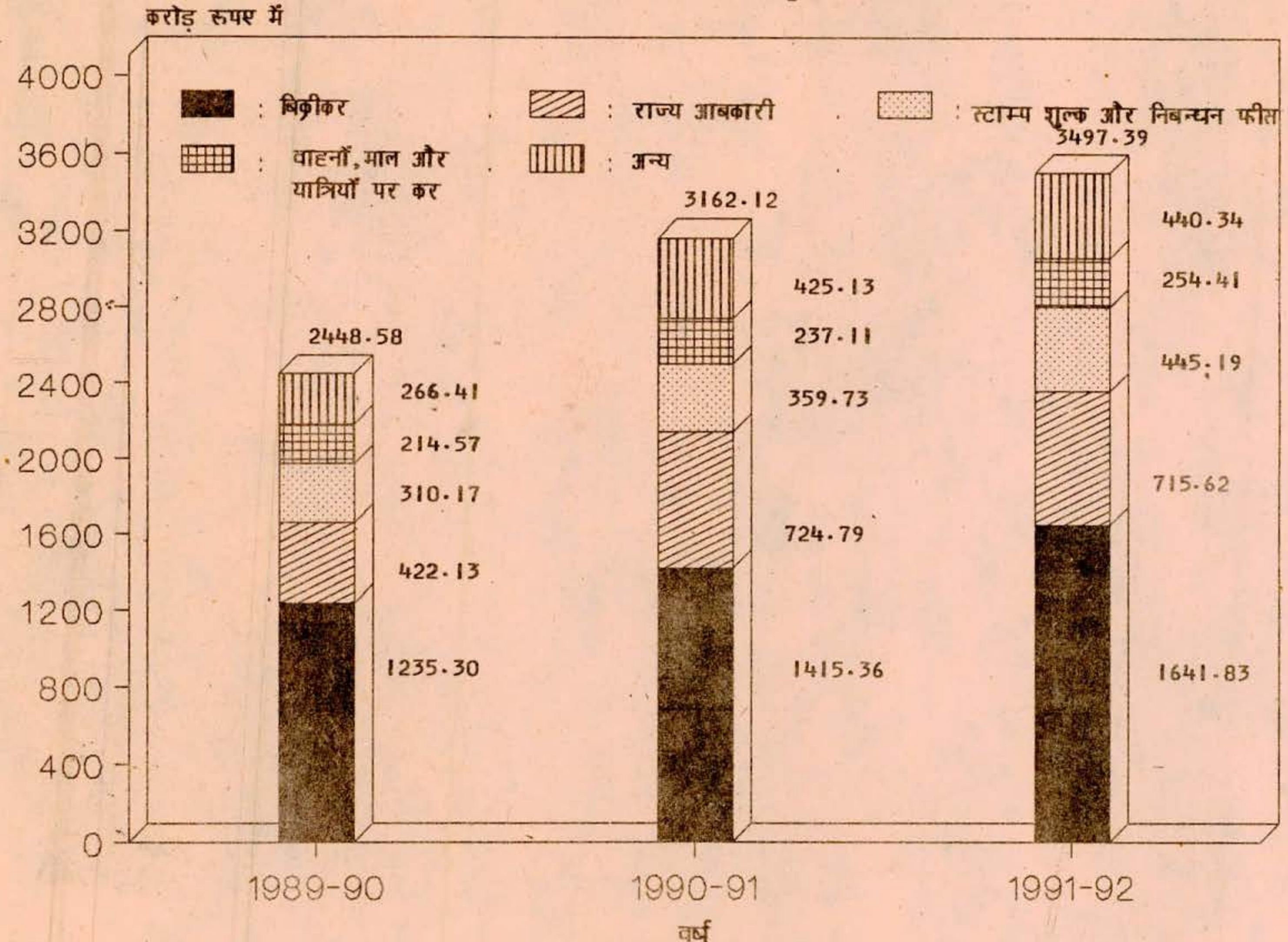

रेखा चित्र - 1

(4-अ)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	92.14	88.09	85.43	(-) 2.66	(-)3
4. वृहत् और मध्यम सिंचाई	36.62	35.03	36.84	(+) 1.81	5
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	44.95	33.90	34.73	(+) 0.83	2
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20.85	12.89	29.20	(+) 16.31	127
7. अलोह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	16.56	14,59	20.77	(+) 6.18	42
8. पुलिस	11.76	15.17	19.54	(+) 4.37	29
9. क्राप हसबेन्ड्री	10.02	8.46	16.93	(+) 8.47	100
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.73	9.17	16.01	(+) 6.84	75
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	21.18	15.74	14.45	(-) 1.29	(-)8
12. लघु सिंचाई	12.06	8.75	14.33	(+) 5.58	64
13. सड़क एवं सेतु	10.79	11.79	11.43	(-) 0.36	(-)3
14. लोक निर्माण	13.73	10.43	10.59	(+) 0.16	2

15. अन्य	109.12	49.44	84.13	34.69	7
योग	**823.56**	**777.47**	**1083.48**	**(+)306.01**	**39**

वर्ष 1991-92 में "विभिन्न सामान्य सेवाओं" के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर 141 प्रतिशत रही । (वर्ष 1990-91 में 17 प्रतिशत) जबकि "सड़क एवं सेतु" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 की 9 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध 3 प्रतिशत की गिरावट रही तथा इसी प्रकार वर्ष 1990-91 में "ब्याज प्राप्तियों" के 7 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 1991-92 में 1 प्रतिशत की गिरावट हुई । "वानिकी एवं वन्य जीवन" तथा "चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य" के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत की गिरावट रही तथा वर्ष 1991-92 में क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत की गिरावट रही ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए निवेदन किया गया था (नवम्बर 1992) । जिस पर उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1993)।

गत तीन वर्षो अर्थात् 1989-90 से 1991-92 के दौरान हुई कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी रेखा चित्र-ii में दर्शाई गई है।

संग्रह का विश्लेषण

कतिपय विभागों द्वारा प्रस्तुत संग्रह का विश्लेषण तथा प्रत्यर्पणों का विवरण निम्नलिखित हैं:

	बिक्री कर	**गन्ने के क्रय पर कर (खांडसारी इकाइयाँ)**
	(करोड़ रुपए में)	
(1)	(2)	(3)
1. कर निर्धारण के पूर्व स्तर पर संग्रहीत धन	1460.26	0.37
2. नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रहीत धन	83.93	9.20
3. अन्य प्राप्तियाँ	39.16	--

कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी

वर्ष 1989-90 से 1991-92

(सन्दर्भ: 1.2 (ग), पृष्ठ संख्या - 4)

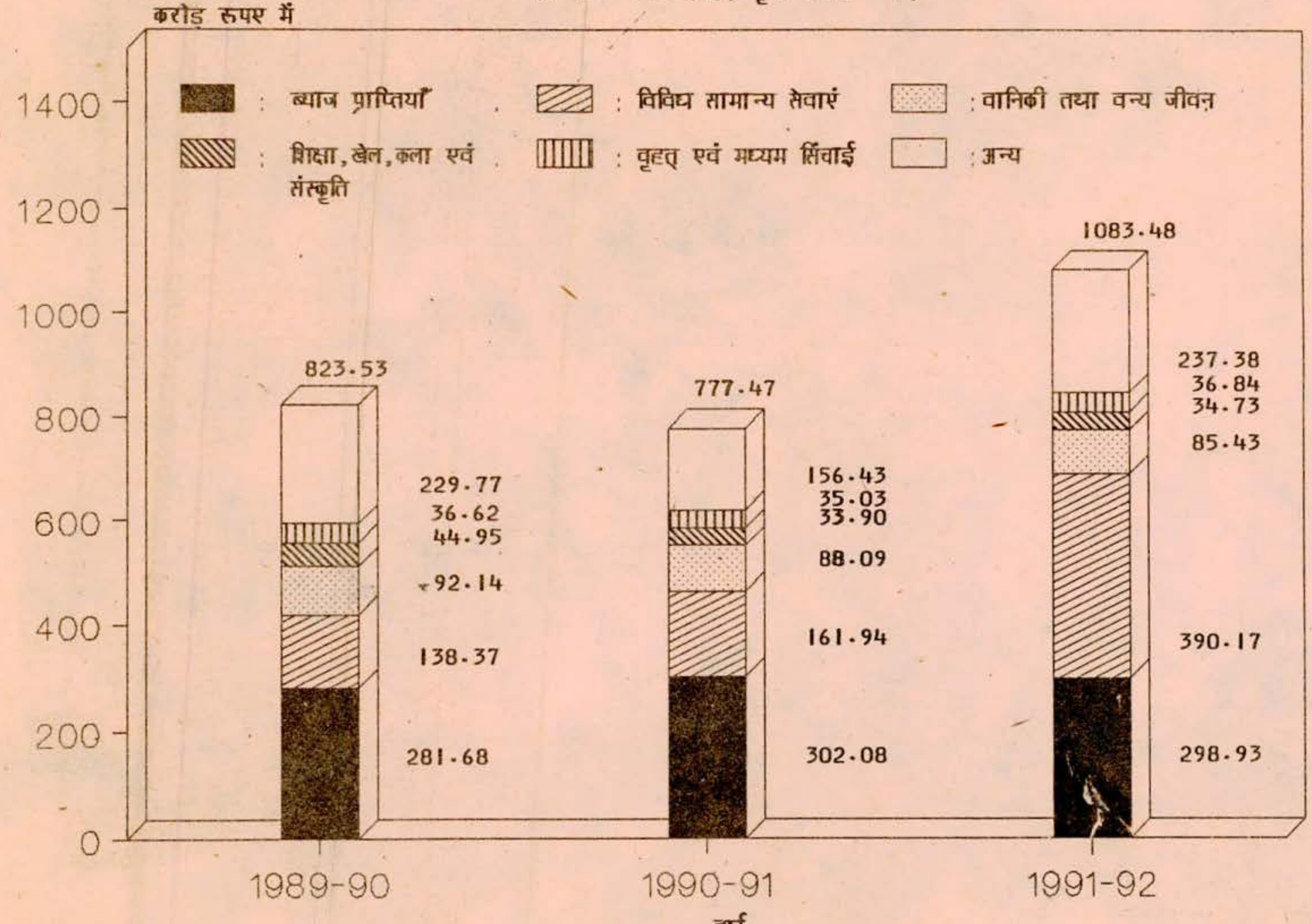

रेखा चित्र - ii

[6-अ]

(1)	(2)	(3)
4. लौटाया गया धन	5.84	0.04
5. शुद्ध संग्रह	1577.51	9.53

1.3 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कर-राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं:

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपए	में)	
क. कर-राजस्व	3171.82	3497.39	(+)325.57	10
ख. कर-भिन्न राजस्व	872.36	1083.48	(+)211.12	24

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन निम्नवत् है:

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपए	में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. कर राजस्व				
1. बिक्री कर	1582.20	1641.83	(+) 59.63	4
2. राज्य आबकारी	566.69	715.62	(+)148.93	26
3. स्टाम्प एवं पंजीयन	395.06	445.19	(+) 50.13	13
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों के विक्रय पर कर	162.03	188.22	(+) 26.19	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. माल एवं यात्रियों पर कर	165.23	161.42	(-) 3.81	(-) 2
6. वाहनों पर कर	93.38	92.99	(-) 0.39	--
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क मनोरंजन कर	70.35	83.58	(+) 13.23	19
8. गन्ने के क्रय पर कर	49.59	68.42	(+) 18.83	38
9. विद्युत पर कर और शुल्क	55.22	57.13	(+) 1.19	3
10. भू-राजस्व	32.00	42.21	(+) 10.21	32
ख. कर-भिन्न राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएं	167.72	390.17	(+) 222.45	133
2. ब्याज प्राप्तियाँ	355.56	298.93	(-) 56.63	(-)16
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	87.80	85.43	(-) 2.37	(-) 3
4. वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	74.82	36.84	(-) 37.98	(-)51
5. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	31.16	34.73	(+) 3.57	11

अधिकांश शीर्ष मदों में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में उल्लेखनीय अन्तर से स्पष्ट होता

है कि अनुमानित बजट तैयार करते समय कोई वैज्ञानिक तरीका निश्चित नहीं है ।

संबधित समस्त शीर्षों के विषय में वास्तविक प्राप्तियों तथा बजट अनुमान के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के कारणों को भी सूचित करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया था (नवम्बर 1992) । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993)। फिर भी, मनोरंजन कर के संबंध में विभाग ने बताया (जनवरी 1993) कि वर्ष के दौरान अत्यधिक प्रसिद्ध फिल्मों की प्रदर्शनी, नए चलायमान सिनेमाघरों के खुलने तथा प्रवेश शुल्क की दर में वृद्धि और करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरुप मनोरंजन कर में वृद्धि हुई थी।

1.4 संग्रह की लागत

वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1990-91 का अखिल भारतीय औसत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(करोड़ रुपए में)		
1. बिक्री कर	1989-90	1235.30	31.81	3	2
	1990-91	1415.36	60.46	4	
	1991-92	1641.83	60.34	4	
2. वाहनों पर कर	1989-90	79.30	2.99	4	3
	1990-91	85.42	5.73	7	
	1991-92	92.99	5.75	6	
3. माल तथा यात्रियों पर कर	1989-90	135.27	0.39	-	
	1990-91 -	151.69	1.91	1	
	1991-92	161.42	1.69	1	

4. विद्युत कर	1989-90	50.98	1.67	3
	1990-91	53.07	1.80	3
	1991-92	57.13	-	-
5. मनोरंजन कर	1989-90	60.12	9.68	16
	1990-91	67.34	14.56	22
	1991-92	83.58	17.51	21

"मनोरंजन कर" शीर्ष के मद में संग्रह का व्यय वर्ष 1988-89 के 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991-92 में 21 प्रतिशत हो गई ।

राजस्व संग्रह पर बढ़ते हुए व्यय की प्रवृत्ति के कारणों एवं उसमें कमी करने हेतु अपनाए गए उपायों के बारे में अवगत कराने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया गया था (नवम्बर 1992) । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

1.5 कर निर्धारण के बकाया मामले

(क) बिक्री कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

कर का निर्धारण वर्ष1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बिक्री कर विभाग द्वारा निपटाए जाने हेतु अपेक्षित तथा निपटाए गए कर निर्धारण के मामलों की संख्या के साथ-साथ मार्च के अन्त में निपटाए जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत् है:

	1990-91	1991-92
(i) **वर्ष के दौरान** निपटाए जाने हेतु अपेक्षित कर निर्धारण के मामलों की संख्या		
बकाया मामले	8,12,978	7,18,433 *
चालू मामले	3,49,408	3,64,463
रिमाण्ड के मामले	10,722	11,648
योग	**11,73,108**	**10,94,544**

(ii) वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों

की संख्या		
बकाया मामले	4,20,014	3,33,340
चालू मामले	1,00,737	1,09,690
रिमाण्ड के मामले	7,211	7,32
योग	**5,27,962**	**4,50,354**
(iii) 31 मार्च को निपटाए जाने हेतु लम्बित कर निर्धारण के मामलों की संख्या		
बकाया मामले	3,92,964	3,85,093
चालू मामले	2,48,671	2,54,773
रिमाण्ड के मामले	3,511	4,324
योग	**6,45,146***	**6,44,190**
(iv) निपटाए गए मामलों की निपटाए जाने हेतु अपेक्षित कर निर्धारण के मामलों की संख्या से प्रतिशतता	45	41

(उपर्युक्त सूचनाओं को रेखा चित्र - iii में प्रस्तुत किया गया है)

अवलोकनीय है कि कर निर्धारण के अपेक्षित मामलों में से 66 प्रतिशत से अधिक मामले पुराने या लम्बित थे । इसके अतिरिक्त मामलों के निस्तारण में वर्ष 1990-91 में 45 प्रतिशत से वर्ष 1991-92 में 41 प्रतिशत की घटोत्तरी रही ।

31 मार्च 1992 को लम्बित कर निर्धारण का वर्षवार विभाजन निम्न तालिकानुसार था:

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1986-87 तक	992
1987-88	31,075
1988-89	1,50,844

---

* वर्ष 1991-92 का आदिशेष 6,45,146 मामले (1990-91 का अंतशेष) विभाग द्वारा पुनरीक्षित करके 7,18,433 मामले कर दिया गया । 73,287 मामले विभाग द्वारा मामलों की सम्वीक्षा, त्रुटियों के परिशोधन तथा पहले की तिथियों से दिए गए पंजीयन के फलस्वरूप शामिल किए गए, बताए गए।

1989-90	2,02,182
1990-91	2,54,773
पुनर्कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित मामले	4,324
योग	**6,44,190**

(उपर्युक्त सूचना रेखा चित्र- iv में प्रस्तुत की गई है)

(ख) वर्ष के अन्त में कर निर्धारण कार्य की हडबड़ी

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान निष्पादित कर निर्धारण मामलों का विवरण निम्नवत् है:

अवधि	1990-91		1991-92	
	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गई मांगें (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गई मांगें (करोड़ रुपए में)
अप्रैल से दिसम्बर	3,65,499	233.74	2,46,997	207.01
जनवरी से मार्च	1,62,463	315.68	2,03,357	323.81
योग	**5,27,962**	**549.42**	**4,50,354**	**530.82**

यह देखा गया कि वर्ष 1991-92 में वर्ष के अन्तिम त्रैमास में मामलों के निस्तारण के दर की तुलना में (औसतन 67,786 मामले प्रतिमाह) अप्रैल से दिसम्बर तक निस्तारण की दर (औसतन 27,444 मामले प्रतिमाह) उल्लेखनीय रुप से कम रही । वर्ष के प्रथम तीन त्रैमास में 207.01 करोड़ रुपए मांग सृजित की गई जो वर्ष के अन्तिम त्रैमास में सृजित मांग (323.81 करोड़ रुपए) की तुलना में बहुत कम थी ।

(ग) प्रतिबन्धित अवधि के अन्त में भारी संख्या में मामलों का निष्पादन किया जाना

मामलों के निस्तारण का विभाजन, जिस वर्ष से संबंधित है उन वर्षों के सन्दर्भ में प्रगट करता है कि निष्पादित मामलों के 40 प्रतिशत मामले 3 वर्ष से अधिक पुराने थे तथा यदि उनका उसी वर्ष निस्तारण न किया गया होता तो वे काल्रातीत हो गए होते।

वर्ष 1991-92 में बिक्रीकर विभाग में कर-निर्धारण का निष्पादन

(सन्दर्भ : 1.5, पृष्ठ संख्या - 10)

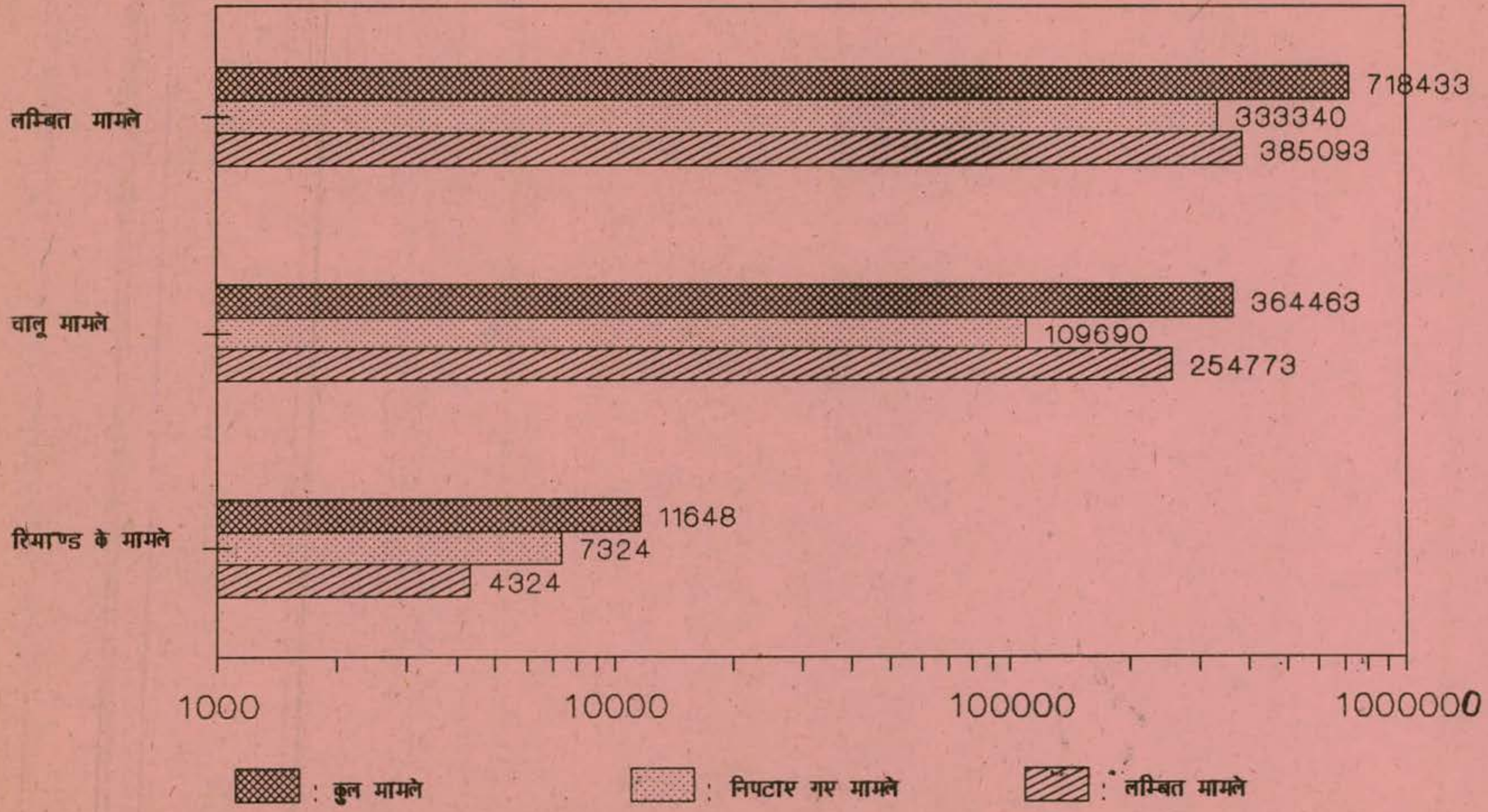

रेखा चित्र - iii

(12-अ)

31 मार्च 1992 को बिक्रीकर विभाग में लम्बित कर-निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन

(सन्दर्भ : प्रस्तर 1.5, पृष्ठ संख्या – 10)

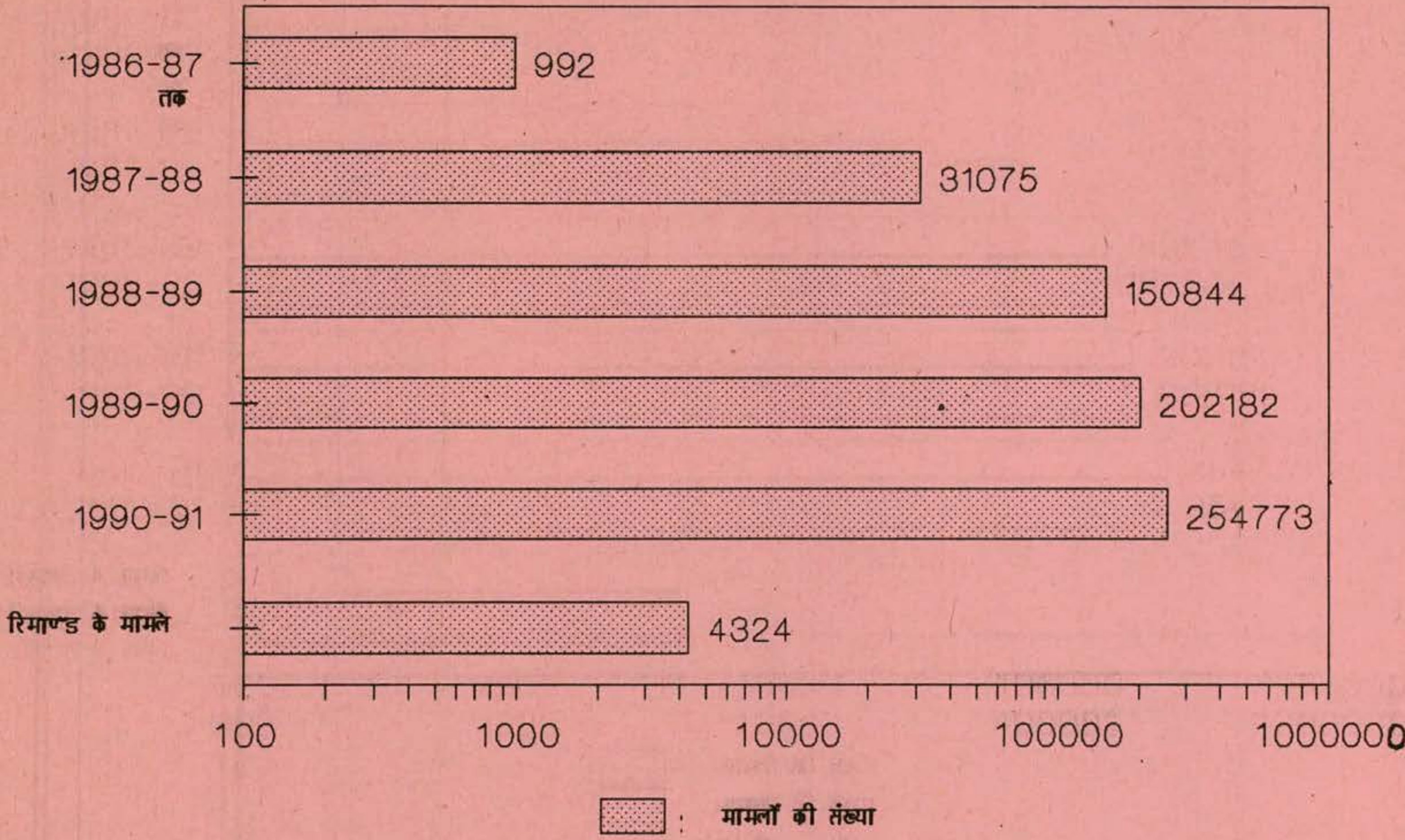

रेखा चित्र – IV

(12-ब)

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष	जिस वर्ष से संबधित है उन वर्षों के अनुसार निस्तारित मामलों का विभाजन वर्ष	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1991	1986-87 तक	2,14,481	41
	1987-88	99,023	19
	1988-89	1,06,510	20
	1989-90	1,00,737	19
	प्रतिप्रेषित मामले	7,211	1
	योग	**5,27,962**	
1992	1987-88 तक	2,01,213	45
	1988-89	71,014	16
	1989-90	61,113	13
	1990-91	1,09,690	24
	प्रतिप्रेषित मामले	7,324	2
	योग	**4,50,354**	

प्रतिबंधित अवधि के अन्तिम क्षणों में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति से, हड़बड़ी में किए गए कर-निर्धारण , अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्यपगत के साथ व्यापारियों के दिवालिया या गुम हो जाने के कारण, राजस्व की हानि हो जाने की सम्भावना रहती है ।

(घ) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

अपील तथा पुनरीक्षण के मामलों के निष्पादन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जबकि वर्ष 1991-92 में निष्पादन के अपेक्षित मामलों (45,957) की अपेक्षा वर्ष के दौरान कुल निष्पादित मामले (57,103) अधिक हैं। पुनरीक्षण के संबंध में वर्ष 1991-92 के वर्तमान मामलों (25,087) की अपेक्षा निष्पादित मामले कम (18,837) हैं जैसा कि तालिका में नीचे दिखाया गया है:

(i) निर्णीत किए जाने वाले मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
लम्बित मामले	84,046	79,122	51,656	54,177
चालू मामले	44,282	45,957	21,369	25,087
योग	1,28,328	1,25,079	73,025	79,264

(ii) निर्णीत मामलों की संख्या				
लम्बित मामले	32,346	35,943	13,626	12,251
चालू मामले	16,860	21,160	5,222	6,586
योग	**49,206**	**57,103**	**18,848**	**18,837**
(iii) लम्बित मामलों की संख्या				
लम्बित मामले	51,700	43,179	38,030	41,926
चालू मामले	27,422	24,797	16,147	18,501
योग	**79,122**	**67,976**	**54,177**	**60,427**

31 मार्च 1992 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन

वर्ष	**31 मार्च 1992 को लम्बित**	
	अपील के मामले	**पुनरीक्षण के मामले**
1986 तक	164	3,494
1987	15	3,095
1988	2,023	6,316
1989	10,401	7,305
1990	17,497	14,855
1991	26,858	19,213
1992 (जनवरी से मार्च 1992)	11,018	6,149
योग	**67,976**	**60,427**

करनिर्धारण तथा अपील में पड़े हुए मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के विलम्ब के फलस्वरुप एक से चार वर्ष के लिए राजस्व अवरुद्ध हो जाता है (वर्ष में करनिर्धारण के अतिरिक्त सृजित मांग) जो सरकार के संसाधनों की स्थिति को प्रभावित करता है ।

(ड.) घोखाधड़ी तथा कर अपवंचन

जानकारी में आए निस्तारित किए गए तथा 31 मार्च 1992 को लम्बित धोखाधड़ी एवं अपवंचन के मामलों की स्थिति निम्नवत् थी:

	बिक्री कर		मनोरंजन कर	
	मामलों की संख्या	निहित धनराशि	मामलों की संख्या	निहित धनराशि
		(करोड़ रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) (i) 1 अप्रैल 1991 को लम्बित मामले	6403	अनुपलब्ध	39	अनुपलब्ध
(ii) वर्ष 1991-92 के दौरान जानकारी में आए मामले	1842	741.42	167	(तदैव)
(ख) मामले जिनमें वर्ष के दौरान जांच/ कर निर्धारण पूर्ण किया गया				
(i) क(i) पर दर्शाए गए मामलों में से	1857*	478.52	27	(तदैव)
(ii) क(ii) पर दर्शाए गए मामलों में से			148	(तदैव)
(ग) वर्ष के अन्त में लम्बित मामले				
(i) क(i) पर दर्शाए गए मामलों में से	6388*	(अनुपलब्ध)	12	(तदैव)
(ii) (क)(ii) पर दर्शाए गए मामलों में से			19	(तदैव)
अतिरिक्त मांग/अर्थदण्ड की धनराशि	अनुपलब्ध	(तदैव)	0.13	(तदैव)

* आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

निर्धारित प्रारुप में पूर्ण सूचनाएं आयुक्त बिक्रीकर तथा मनोरंजन कर से मांगी गई थी(अक्टूबर 1992)। किन्तु विभाग से उक्त सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993)।

1.6 राजस्व का बकाया

वर्ष 1991-92 के अन्त में संग्रह के लिए लम्बित राजस्व का विवरण, जैसा कि कतिपय प्राप्ति शीर्षों के संबंध में विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया, निम्न तालिका में दिया गया है:

(धनराशि करोड़ रुपए में)

	वर्ष	बिक्रीकर	गन्ना के क्रय पर कर (चीनी मिल)	वानिकी एवं वन्य जीवन	मनोरंजन कर	विद्युत शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वर्षवार विभाजन के साथ कुल बकाया	1986-87 तक	301.17	7.50	2.30	-	अनुपलब्ध
	1987-88	94.47	0.62	2.11	0.03	तदैव
	1988-89	125.28	0.40	2.92	-	तदैव
	1989-90	167.14	0.74	0.04	0.02	तदैव
	1990-91	244.37	0.72	0.52	0.25	तदैव
	1991-92	446.07	0.55	0.16	1.03	तदैव
योग		**1378.50** (अनन्तिम)	**10.53**	**8.05**	**1.33**	**25.05**
2. लम्बित बकाया (वर्षवार विभाजन के साथ) जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं	1981-82 तक	70.20	6.03	2.01	-	अनुपलब्ध
	1982-83	21.48	0.16	0.11	-	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1983-84	22.57	0.23	0.05	-	तदैव
	1984-85	28.89	0.29	0.01	-	तदैव
	1985-86	44.54	0.23	0.01	-	तदैव
	1986-87	113.49	0.56	0.11	-	तदैव
योग		**301.17**	**7.50**	**2.30**	**-**	**तदैव**
3. कार्यवाही की स्थितियाँ						
(क) वसूली प्रमाण पत्र द्वारा आवृत्त मागें		316.32	2.37	6.15	0.06	0.02
(ख) स्थगित की गई वसूली						
(i) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा		191.21	-	0.67	1.21	24.90
(ii) सरकार द्वारा		24.38	5.56	-	-	-
(ग) अवरुद्ध वसूली						
(i) प्रार्थना पत्रों के संशोधन/समीक्षा के कारण		44.58	-	-	-	-
(ii) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण		3.15	-	-	-	-
(घ) बट्टे खाते में डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि		74.05	-	0.12	-	-
(ड.) अन्य स्थितियाँ		724.81	2.60	0.14	0.06	0.13
(च) प्रतिभूति या विभाग के पास सामग्री के विरुद्ध समायोजित की जाने वाली धनराशि		-	-	0.97	-	-
योग		**1378.50**	**10.53**	**8.05**	**1.33**	**25.05**

बिक्रीकर एवं गन्ना के क्रय पर कर से संबंधित अन्य स्थितियों का विवरण :

		बिक्री कर	गन्ना के क्रय पर कर (चीनी मिलें)
		(करोड़ रुपए में)	
1.	अपरिपक्व मांगे	344.52	-
2.	खो गए/अनुपलब्ध ट्रेजरी चालान	38.37	-
3.	अन्य	86.71	-
4.	धनराशि जहां विभिन्न कारणों से वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सके	11.16	-
5.	सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया	105.51	-
6.	परिवहन कर्त्ताओं के विरुद्ध बकाया	82.91	-
7.	धनराशि जिसकी वसूली किस्तों में स्वीकार की गई	-	2.60
8.	वसूली प्रमाण-पत्र जो अन्य राज्यों को भेजे गए	55.63	-
	योग	724.81	2.60

बिक्रीकर विभाग लगातार बकाए के बढ़ते हुए क्रम में अवरोध लगाने पर असफल रहा जो वर्ष 1988-89 में 951.46 करोड़ रुपए से बढ़कर 1991-92 में 1378.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। विद्युत शुल्क के बकाए की धनराशि (25.05 करोड़ रुपए) में से 24.90 करोड़ रुपए, जिसमें से 24.42 करोड़ रुपए केवल एक ही पार्टी से संबंधित थी, की वसूली पर न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई है ।

1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान बिक्रीकर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व , अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों के जांच से 2871 मामलों में 56.89 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण / कम आरोपण / राजस्व हानि के मामले प्रकाश में आए । इस वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 565 मामलों में, 9.29 करोड़ रुपए के कर अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 8.79 करोड़ रुपए के 542 मामले वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया और शेष विगत वर्षों से संबंधित थे ।

वर्ष 1991-92 तथा विगत वर्षों के दौरान देखे गए प्रमुख त्रुटियों /अनियमितताओं से संबंधित 145 प्रस्तरों तथा तीन समीक्षाओं में सन्निहित धनराशि 16.78 करोड़ रुपए, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाने योग्य पाया गया, शासन को भेजा गया उसमें से 66 मामलों में निहित 2.53 करोड़ रुपए विभाग / सरकार द्वारा स्वीकार किया गया । जनवरी 1993 तक 8 मामलों में 10.07 लाख रुपए वसूल किए गए। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 106 चुने गए प्रस्तरों एवं दो समीक्षाओं में 15.96 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं जो लेखापरीक्षा में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करते है । प्रतिवेदन में सम्मिलित 45 प्रस्तरों जिसमें 1.84 करोड़ रुपए निहित थे, जिसको विभाग / सरकार ने अब तक स्वीकार किया है । 60 प्रस्तरों तथा दो समीक्षाओं में निहित 14.08 करोड़ रुपए के सन्दर्भ में अभी तक उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं । विभाग ने लेखापरीक्षा के एक मामले को स्वीकार नहीं किया जिसके संबंध में विभाग का उत्तर तथ्यों में भिन्नता/ विधिक स्थिति तथा यथोचित टिप्पणी अंकित है जिसे संदर्भित प्रस्तर में सम्मिलित कर लिया गया है ।

1.8 अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

दिसम्बर 1991 तक जारी उन निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है जो 30 जून 1992 तक निस्तारण हेतु पड़े रहे:

		माह जून के अन्त में		
		1990	1991	1992
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1588	1489	2582
2.	अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3451	3161	6112
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपए में)	18.34	22.07	109.91

दिसम्बर 1991 तक जारी परन्तु 30 जून 1992 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों का प्राप्तिवार विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:

प्राप्तियों का प्रकार	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपए में)	सबसे पुराने प्रतिवेदन से संबंधित वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	369	720	50.67	1979-80
2. बिक्रीकर	800	1715	19.98	1982-83
3. सिंचाई	106	242	12.27	1984-85
4. गन्ना के क्रय पर कर	66	75	0.11	1981-82
5. राज्य आबकारी	220	317	4.55	1982-83
6. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	100	769	5.15	1983-84
7. लोक निर्माण	95	321	4.85	1984-85
8. भू-राजस्व	161	384	5.59	1984-85
9. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	470	1202	3.73	1982-83
10. कृषि कार्य	42	121	1.78	1984-85
11. विद्युत शुल्क	48	53	0.68	1985-86

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. खाद्य और रसद	44	110	0.32	1985-86
13. सहकारिता	32	47	0.09	1985-86
14. मनोरंजन कर	29	36	0.14	1986-87
योग	**2582**	**6112**	**109.91**	

निम्नलिखित प्राप्ति शीर्षों से संबंधित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे:

	अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जो			
	तीन वर्ष या उससे अधिक पुराने (मार्च 1989 तक जारी किए गए)	**दो वर्ष या उससे अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम (1989-90 के दौरान जारी)**	**दो वर्ष से कम (1990-91 तथा 1991-92 (दिसम्बर 1991 तक) के दौरान जारी)**	**योग**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. भू-राजस्व	-	-	52	52
2. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस	-	-	76	76
3. राज्य आबकारी	-	-	37	37

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4.	वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	-	2	7	9
5.	विद्युत शुल्क	-	-	13	13
6.	लोक निर्माण	-	-	9	9
7.	सहकारिता	-	9	3	12
8.	कृषि कार्य	-	-	15	15
9.	खाद्य एवं रसद	-	-	7	7
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	5	2	127	134
11.	सिंचाई	-	-	11	11
12.	मनोरंजन कर	-	-	8	8
	योग	**5**	**13**	**365**	**383**

कुछ महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित अनिस्तारित प्रस्तरों का वर्षवार विश्लेषण निम्नवत् हैं:

वर्ष	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**प्रस्तरों की संख्या**	**निहित धनराशि (करोड़ रुपए में)**
(1)	(2)	(3)	(4)
बिक्री कर			
1988-89तक	175	455	3.59

(1)	(2)	(3)	(4)
1989-90	146	204	6.07
1990-91	308	586	6.34
1991-92	171	470	3.98
योग	**800**	**1715**	**19.98**
राज्य आबकारी			
1988-89तक	72	90	1.13
1989-90	33	39	1.70
1990-91	38	42	1.08
1991-92	77	146	0.64
योग	**220**	**317**	**4.55**
भू-राजस्व			
1988-89तक	31	112	0.46
1989-90	19	61	0.33
1990-91	59	104	0.92
1991-92	52	107	3.88
योग	**161**	**384**	**5.59**
स्टाम्प एवं पंजीयन फीस			
1988-89तक	215	550	1.03
1989-90	80	197	0.55
1990-91	99	308	1.50
1991-92	76	147	0.65
योग	**470**	**1202**	**3.73**

(1)	(2)	(3)	(4)
परिवहन विभाग			
1988-89तक	26	344	2.06
1989-90	24	167	1.10
1990-91	24	151	1.40
1991-92	26	107	0.59
योग	**100**	**769**	**5.15**
सिंचाई विभाग			
1988-89तक	60	195	4.92
1989-90	18	60	4.05
1990-91	7	25	0.11
1991-92	21	62	3.19
योग	**106**	**342**	**12.27**
लोक निर्माण विभाग			
1988-89तक	47	178	1.38
1989-90	13	35	0.25
1990-91	10	57	3.04
1991-92	25	51	0.18
योग	**95**	**321**	**4.85**
वन विभाग			
1988-89तक	158	251	7.40
1989-90	63	119	5.56
1990-91	90	224	31.30
1991-92	58	126	6.42
योग	**369**	**720**	**50.68**

1.9 वन विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा संगठन का कार्यान्वयन

1.9.1 मुख्य वन संरक्षक (प्रमुख वन संरक्षक) के सीधे नियन्त्रण में विभागीय वित्तीय परिचालन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1960 में वन विभाग में आन्तरिक सम्प्रेक्षण संगठन (आई. ए. ओ.) की स्थापना की गई ।

आन्तरिक सम्परीक्षा दल द्वारा सम्प्रेक्षा के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत की जाती है, तथा निरीक्षण प्रतिवेदन से संम्बन्धित अनुपालन की देख-रेख उसी सम्परीक्षा दल द्वारा किया जाता है। सम्परीक्षा की प्रगति प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्प्रेक्षा की प्रगति दर्शक मासिक परिलेख निदेशक विभागीय लेखा को प्रेषित करना चाहिए ।

1.9.2 आन्तरिक सम्प्रेक्षा संगठन की कार्य प्रणाली एवं मापदण्ड (आई.ए.ओ.)

आन्तरिक सम्परीक्षा संगठन की स्थापना के 32 वर्ष के उपरान्त भी शासन द्वारा कोई जाब चार्ट नहीं निर्धारित किया गया है न ही उनके लिए कोई नियमावली बनाई गई । प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सम्प्रेक्षा हेतु तीन से पांच वर्ष का अन्तराल निर्धारित किया गया है, इस प्रकार टेस्ट चेक की मात्रा 33.3 प्रतिशत है। प्रत्येक प्रभाग से संबंधित सम्प्रेक्षा की एक ही निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत की जाती है जिसमें व्यय एवं राजस्व से संबंधित अनियमितताओं का विवरण रहता है।

यद्यपि प्रमुख वन संरक्षक द्वारा आन्तरिक लेखा संगठन (आई.ए.ओ.) को वन प्रभागों, वृत्तों एवं मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों का आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य मुख्यतया सौंपा गया है, बजट, वित्त एवं लेखा तथा हकदारी का कार्य भी इस संगठन के कर्मचारियों से लिया जा रहा है, जब कि विभाग में बजट, वित्त एवं लेखा और हकदारी हेतु अलग से स्वतन्त्र संगठन स्थापित है ।

1.9.3 कार्यान्वयन (परफारमेन्स)

(क) विभाग द्वारा आन्तरिक लेखा संगठन (आई.ए.ओ.) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया (1959) और उसमें यह कहा गया कि लेखापरीक्षा का आवर्तन काल वार्षिक होगा । परन्तु लेखा परीक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण लेखापरीक्षा का आवर्तन काल 3-4 वर्ष निर्धारित किया गया ।

(ख) लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन का निर्गम

आन्तरिक लेखा संगठन (आई.ए.ओ.) द्वारा पाई गई अनियमितताओं से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गम लेखापरीक्षा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए ।

विगत पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गम पुस्तिका की नमूना लेखा जांच में पाया गया कि वर्ष 1986-87 से 1990-91 के मध्य 152 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत की गई जिसमें से 105 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (69 प्रतिशत) 90 दिन से भी अधिक विलम्ब से निर्गत की गई जिसका विवरण तालिका में निम्न प्रकार है :

वर्ष	सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रति-वेदन जो निर्गत किया गया	सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो निर्गत किया गया				योग
		30 दिन के अन्दर	30 से 60 दिन के अन्दर	60 से 90 दिन के अन्दर	90 दिन या उससे अधिक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1986-87	26	-	7	5	14	26
1987-88	27	2	9	2	14	27
1988-89	31	2	1	-	28	31
1989-90	37	1	6	4	26	37
1990-91	31	1	3	4	23	31
योग	152	6	26	15	105	152

(ग) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही

आन्तरिक लेखापरीक्षा में विगत पांच वर्षों में वर्ष 1990-91 के अन्त तक वित्तीय अनियमितताएं एवं प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में जो त्रुटियाँ पाई गईं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को उनके अनुपालन हेतु भेजी गई ।

अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि फरवरी 1992 के अन्त तक निर्गत 320 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 3485 कंडिकाएं 31 जुलाई 1992 तक अनिस्तारित चल रही थी।

सबसे पुरानी अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1961-62 की है जिससे सिद्ध होता है कि निरीक्षण प्रतिवेदनों और कण्डिकाओं की अनुवर्ती कार्यवाही प्रभावहीन रही ।

1.9.4 सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं का आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित न किया जाना

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के लेखापरीक्षा के उपरान्त 7 वन प्रभागों के अभिलेखों (1990-91) और उनसे संबंधित आन्तरिक लेखा प्रतिवेदनों के नमूना लेखा जांच में पाया गया कि सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा कुल 29.27 लाख रुपए की आपत्तियाँ उठाई गई जिनमें स्टाम्प शुल्क, विलम्ब शुल्क, आरा मिल का पंजीकरण शुल्क का प्रेषण न करना, लाटों में कार्य न करने से हानि, ठोस अशुद्धि के कारण हानि इत्यादि के प्रसंग थे । जिन्हें आन्तरिक लेखापरीक्षा (आई.ए.ओ.) द्वारा इंगित नहीं किया गया ।

9.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा

निदेशक विभागीय लेखा ने वन विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के कार्यों की समीक्षा दिसम्बर 1990 में की तथा संगठन के प्रभावी नियन्त्रण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों को समय से निर्गत करने, अनुपालन न पाए जाने पर अनुस्मारक भेजने, आन्तरिक लेखा परीक्षा कर्मचारियों का उपयोग केवल सम्पेक्षा, कार्य के लिए करने एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को प्रमुख वन संरक्षक के संज्ञान में लाने जैसे सुधारात्मक सुझाव दिए । इस पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई (फरवरी 1992) ।

अध्याय - 2

बिक्री - कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

1991-92 के दौरान किए गए बिक्री कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 1251 मामलों में 1562.53 लाख रुपए का कर कम लगाए जाने तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. ब्याज / अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	434	772.59
2. कर की गलत दर	100	326.72
3. छूटों की अनियमित स्वीकृति	165	116.51
4. टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	84	57.38
5. माल का गलत वर्गीकरण	62	43.62
6. केन्द्रीय बिक्री कर से संबंधित आपत्तियाँ	48	26.43
7. अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	69	10.43
8. गणनात्मक त्रुटि के कारण कर का कम आरोपण	60	8.77
9. जांच चौकी / सचल दलों संबंधी अनियमितताएं	17	7.13
10. अन्य अनियमितताएं	212	192.95
योग	1251	1562.53

वर्ष 1991-92 के दौरान 315 मामलों में 61.22 लाख रुपए का कर अवनिर्धारण संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किया गया । इनमें से 293 मामले जिसमें 34.92 लाख रुपए निहित थे, वर्ष 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष विगत वर्षों में इंगित किए गए थे । बिक्रीकर अधिनियमों के अन्तर्गत "व्यापारियों के पंजीयन" पर एक समीक्षा एवं 76 प्रस्तर जिसमें 13.57 करोड़ रुपए निहित थे, उल्लेख किया गया जिसमें इस वर्ष (1991-92) के एवं विगत वर्षों के प्रमुख बिन्दुओं को इस वर्ष के प्रतिवेदन में दर्शाया गया, जो कि विभाग एवं सरकार को उनके टिप्पणी हेतु भेजा गया था । विभाग / सरकार ने 28 मामले में 39.21 लाख रुपए की आपत्तियों को स्वीकार किया है मगर जनवरी 1993 तक कोई धनराशि वसूल नहीं किया गया । 'बिक्रीकर अधिनियमों के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीयन' पर एक समीक्षा के साथ कुछ उल्लेखनीय मामले नीचे के प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

2.2 बिक्री कर अधिनियमों के अन्तर्गत व्यापारियों का पंजीयन

2.2.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम) की धारा 8-क एवं 8-ख के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजीयन की व्यवस्था है । प्रत्येक व्यापारी को जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में कुल आवर्त्त निर्धारण सीमा (निर्माताओं की दशा में 50,000 रुपए तथा अन्य व्यापारियों की दशा में एक लाख रुपए) से अधिक हो, व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर पंजीयन हेतु आवेदन देय होगा। मई 1987 से व्यापारी जो संवर्ग संविदा का निष्पादन करते है और ऐसी संविदा के निष्पादन में अन्तरग्रस्त माल का अन्तरण करते हैं, को भी अधिनियम की धारा 3-च के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है । पंजीयन न प्राप्त करना अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध है । व्यापारी जिस क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार प्रारम्भ करता है उस क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को , आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित प्रारुप में, आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । अधिनियम, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर नियमावली, 1948 (नियमावली) तथा बिक्री कर मैनुअल (मैनुअल) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद पंजीयन देने वाला अधिकारी आवश्यक प्रतिभूति लेकर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के तीन माह के अन्दर पंजीयन स्वीकृत करेगा । यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि व्यापारी जिसे पंजीयन दिया गया था, वास्तव में व्यापारी प्रमाणित नहीं है या व्यापार नहीं कर रहा है अथवा व्यापार बन्द कर दिया है अथवा पंजीयन के लिए व्यापार बन्द कर दिया है अथवा कर, अर्थदण्ड एवं अन्य देयों का भुगतान उनके देय तिथि के तीन माह के अन्दर नहीं करता है, इस अवस्था में उसका पंजीयन सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा ।

यदि कोई व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन नहीं कराता है तो वह प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त एक सौ रुपए और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए जिसमें व्यतिक्रम किया जाता है, पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का दायी होता है । अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए वैध होता है और अनुवत्ता नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत किया जाता है।

ऐसे व्यापारी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना चाहते हैं, के पंजीयन का प्रावधान , केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अ.) की धारा 7(1) तथा 7(2) के अन्तर्गत किया गया है । आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित प्रारुप में व्यापारी द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद, आवश्यक जांच करके कर निर्धारण अधिकारी द्वारा के.वि.क.अ. के अन्तर्गत निर्धारित प्रारुप में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसमें वस्तुओं की श्रेणी या श्रेणियों, जिनका वह आयात या निर्यात करेगा, विनिर्दिष्ट किया जाता है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी ही रियायती

दर अथवा निर्धारित प्रपत्रों / प्रमाण पत्रों के विरुद्ध कर मुक्ति के लाभ के लिए पात्र होता है ।

2.2.2 लेखापरीक्षा का कार्य - क्षेत्र

राज्य अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रणाली का विश्लेषण करने तथा पंजीकरण, उनके नवीनीकरण तथा निरस्तीकरण का अनुश्रवण और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रभाव की जांच करने की दृष्टि से वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि तथा पहले के वर्षों में निर्णीत मामलों के संबंध में आयुक्त बिक्री कर, उत्तर प्रदेश (आयुक्त), जनपद के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह), बिक्रीकर (डि.क.(सं.)) और 22 परिक्षेत्रों में से 9 परिक्षेत्रों* के 66 खण्ड (253 खण्डों में से) कार्यालयों की अप्रैल से जून 1992 तक की अवधि में एक समीक्षा की गई ।

2.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

अधिनियम एवं के.वि.क.अ. के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन का अधिकार आयुक्त, जिसका मुख्यालय लखनऊ है, में निहित है । राज्य में कुल 12 परिक्षेत्र (अगस्त1991 से 22) हैं । प्रत्येक परिक्षेत्र एक उपायुक्त (शासकीय)(उ.आ.(शा.)) के अधीन होता है जो पुनः खण्डों (253) में विभाजित है और प्रत्येक खण्ड एक बिक्री कर अधिकारी (बि.क.अ.) के प्रभार में रहता है ।

व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करने का दायित्व संबंधित खण्ड के बि.क.अ. का होता है । खण्ड में तैनात अपर बिक्रीकर अधिकारी तथा बिक्री कर अधिकारी श्रेणी द्वितीय पंजीयन निर्गत करने के पूर्व सर्वेक्षण एवं स्थल निरीक्षण में बि.क.अ. को सहायता प्रदान करते हैं ।

2.2.4 मुख्य अंश

-6175 मामलों में पंजीयन के प्रार्थना पत्रों जिनका निस्तारण तीन मास की अवधि में होना चाहिए था, को एक से बारह महीनों से अधिक अवधि के विलम्ब से निस्तारित किया गया ।

---

* आगरा(2), बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर (2), लखनऊ (2) और वाराणसी (2)

-एक मामले में पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब होने से 13.69 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

-पंजीयन प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर तथा प्रतिभूतियों के रजिस्टर का रख रखाव विहित प्रारुप में नहीं किया गया । वि.क.अ. द्वारा प्रतिभूतियों का सत्यापन समय-समय पर नहीं किया गया ।

-120 बैंक गारण्टियों, जिनमें 22.52 लाख रुपए की धनराशि अन्तर्निहित थी, का नवीनीकरण नहीं किया गया तथा 10.55 लाख रुपयों के 55 जमानती बन्ध-पत्रों का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया ।

-पंजीयन देते समय कोई जमानत न प्राप्त करने के फलस्वरुप 69 मामलों में 6.58 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति हुई और 10 मामलों में कुल 1.26 करोड़ रुपए के बकाए राशि के विरुद्ध 44 हजार रुपए की अल्प राशि जमानत के रुप में स्वीकार की गई ।

-बिक्री कर तथा राज्य आबकारी विभागों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, भाँग अनुज्ञापियों के 31 मामलों में, जिन्हें विभाग पंजीकृत नहीं कर सका , 2.01 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति हुई ।

-वर्ष 1988-89 से 1990-91के दौरान विशेष अनुसंधान शाखा, बिक्री कर (वि.अनु.शा.) ने भारी व्यापार करते हुए 39 अपंजीकृत व्यापारियों के बारे में सूचना भेजी, लेकिन विभाग ने उन्हें पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही नहीं की । इससे 1.25 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

-वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान रिपोर्ट किए गए अपंजीकृत संविदाकार व्यापारियों में 50 प्रतिशत से अधिक को पंजीकृत नहीं किया गया ।

-5 फर्जी फर्मों को पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत किए गए जिसके परिणाम स्वरुप 94.76 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

2.2.5 पंजीकृत व्यापारियों की वृद्धि

नीचे दी गई तालिका उत्तर प्रदेश बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमों के अन्तर्गत 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि में पंजीकृत व्यापारियों की वृद्धि को स्पष्ट करती है:

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या		वर्ष में नए पंजीयन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या		वर्ष में पंजीकृत किए गए व्यापारियों की संख्या		वर्ष में निरस्त किए गए पंजीयनों की संख्या		वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या		वर्ष में पंजीकृत व्यापारियों की वृद्धि		वृद्धि की प्रतिशतता	
	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.	उ.प्र. बि.क.	के.बि. क.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					संख्या	हजार	में							
1988-89	252	95	43	20	35	17	20	16	267	96	15	1	6	1
1989-90	267	96	44	22	32	19	21	17	278	98	11	2	4	2
1990-91	278	98	46	23	34	17	19	14	293	101	15	3	5	3

तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ष 1988-89 में उ.प्र.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन में - प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई, वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में इसके प्रतिशतता में घटोत्तरी हुई ।

प्राप्त, अस्वीकृत, प्रमाण-पत्र दिए गए और रद्द किए गए प्रार्थना पत्रों के संबंध में विभाग द्वारा सूचना माँगने पर नहीं प्रस्तुत की गई । यह सूचना लेखापरीक्षा द्वारा 22 परिक्षेत्रों से प्राप्त की गई ।

2.2.6 पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में विलम्ब

मैनुअल में पंजीयन प्रार्थना पत्रों को, उनकी प्राप्ति की तिथि से, तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का प्रावधान है ।

(i) 9 परिक्षेत्रों के खण्ड कार्यालयों के नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारियों से पंजीयन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक से बारह महीनों से अधिक विलम्ब से हुआ । विवरण नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	निस्तारण में तीन माह से अधिक विलम्ब				
		1 माह	2 से 6 माह	7 से 12 माह	12 माह से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7
1988-89	26,134	1607	132	32	4	1775
1989-90	28,737	1569	119	67	39	1794
1990-91	26,432	1620	109	49	21	1799
योग	81,303	4796	360	148	64	5368

यह पुन: देखा गया कि वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान पंजीयन हेतु प्राप्त क्रमश: 26,134, 28,737 तथा 26,432 प्रार्थना पत्रों में 215, 339 तथा 253 प्रार्थना पत्र तीन माह से अधिक अवधि तक लम्बित रहे और अन्तत: कतिपय आधार पर रद्द कर दिए गए । प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहने की अवधि में ऐसे व्यापारियों से कर की वसूली और शासकीय कोष में इसके जमा न करने पर ध्यान न दिए जाने के फलस्वरुप अन्तत: सरकारी राजस्व के क्षति की सम्भवना है । यह भी पाया गया कि नियमों अथवा कार्यकारी आदेशों में इस पर कोई निर्देश नहीं थे ।

(ii) पंजीयन प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरुप राजस्व हानि

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद (नोयडा) में एक भागीदारी की फर्म (भागीदार दिल्ली के निवासी) को पचीस हजार रुपए की जमानत के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1985 को 31 अक्टूबर तक वैध, अनन्तिम पंजीयन प्रदान किया गया । स्थाई पंजीयन के लिए दिया गया 22 अगस्त 1985 का प्रार्थना पत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट (16 फरवरी 1987) के आधार पर 19 फरवरी 1987 को अस्वीकार कर दिया गया ।

विभाग ने पूर्व में निर्गत प्रपत्रों का लेखा प्राप्त किए बिना 20 घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र 31), 10 प्रपत्र "सी" जिनमें 5 प्रपत्र "सी" पंजीयन की वैधता समाप्त होने के बाद पहली नवम्बर 1985 को जारी किए गए, निर्गत किए ।

अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि अनन्तिम पंजीयन जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था । पत्र वाहक से प्राप्त सूचना (30 मई 1987) द्वारा ज्ञात हुआ कि फर्म बन्द थी ।

बि.अनु.शा., बिक्री कर, गाजियाबाद ने सूचित किया (14 दिसम्बर 1988) कि 13 दिसम्बर 1988 को फर्म के अभिलेख अभिग्रहीत किए गए थे जिससे पता चला कि यह 1988-89 तक चल रही थी। रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 15 (ए)(1) (जी) के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने की भी सलाह दी गई ।

सर्वेक्षण (15 दिन के अन्दर) और सभी लम्बित कर निर्धारण दावों को अन्तिम रूप देने (6 माह के अन्दर) के संबंध में विभागीय अनुदेशों के बावजूद विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर जब फर्म अस्तित्व में थी सर्वेक्षण तथा कर निर्धारण नहीं किए गए । अधिनियम के अन्तर्गत 13.69 लाख रुपए का कर दायित्व निर्धारित करते हुए वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक के कर निर्धारण विलम्ब से , 15 फरवरी 1990 तथा 31 मार्च 1990 को निस्तारित किए गए । फर्म बन्द हो गई तथा व्यापारी लापता हो गया जिसके परिणाम स्वरूप 13.69 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई ।

2.2.7 पंजीयन के निर्गमन / अनुश्रवण हेतु अभिलेखों का रखरखाव

बिक्री कर अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन के संबंध में रखे जाने वाले मुख्य अभिलेख निम्नवत् हैं :

(i) पंजीयन रजिस्टर

यह रजिस्टर पंजीयन प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण पर निगरानी रखने हेतु मैनुअल में निर्धारित प्रारुप आर-10 में रखा जाना अपेक्षित है । नमूने जांच में किसी भी कार्यालय में इस रजिस्टर का रखरखाव निर्धारित प्रारुप में नहीं किया गया । पंजीयन के नवीनीकरण पर निगरानी रखने हेतु कोई अभिलेख निर्धारित नहीं किया गया ।

(ii) जमानत का रजिस्टर

इस रजिस्टर का रखरखाव बिक्री कर अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप, आर 28-क में किया जाना अपेक्षित है । प्रत्येक पखवारे में इसकी जांच संबंधित बिक्री कर अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए । उनके द्वारा जमानतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी भौतिक जांच भी की जानी चाहिए ।

नमूने जांच में किसी भी कार्यालय में रजिस्टर का रखरखाव निर्धारित प्रारुप में नहीं किया गया था । संबंधित बिक्री कर अधिकारियों द्वारा इसकी आवधिक जांच नहीं की गई थी और की गई प्रविष्टियाँ अभिप्रमाणित नहीं थी । प्रतिभूति बाण्डों के भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई प्रमाण पत्र अभिलिखित नहीं

था । इन चूकों के लिए कोई कारण नहीं बताए गए ।

2.2.8 जमानत

अधिनियम की धारा 8-ग (3) तथा के.वि.क.अधि. की धारा-7 के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ- साथ, प्रत्येक व्यापारी से पर्याप्त जमानत जो कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके अनुमानित आवर्त्त पर देय कर से अनधिक हो, मांगे जाने का प्रावधान है । जमानत नकद, बैंक गारण्टी या व्यक्तिगत बाण्ड के रुप में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(i) (क) असत्यापित जमानतें

एक हजार रुपए से अधिक की प्रतिभूति बन्ध-पत्रों के रुप में प्रस्तुत जमानत तहसील द्वारा तथा अन्य खण्डों के पंजीकृत व्यापारियों से सबंधित जमानतें संबंधित बिक्री कर अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है । उसी प्रकार व्यापारियों द्वारा जमानत के रुप में प्रस्तुत बैंक गारण्टियाँ उनकी वैधता की समाप्ति के पूर्व नवीनीकृत हो जानी चाहिए ।

नौ परिक्षेत्रों के अभिलेखों के नमूने जांच में पता चला कि वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान 541 में से 120 (22 प्रतिशत) बैंक गारण्टियाँ, जिनमें 22.52 लाख रुपए की धनराशि अन्तर्निहित थी, नवीनीकृत नहीं कराई गईं । उसी प्रकार 1925 व्यक्तिगत जमानती बन्ध-पत्रों में से 10.55 लाख रुपए के 55 जमानती बन्ध-पत्रों का संबंधित तहसीलदार या बिक्री कर अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया । इस प्रकार अधिनियम के संगत उपबन्धों के विपरीत ऐसे व्यापारियों के पंजीयन बिना समुचित जमानत के मान्य रहे ।

उपरोक्त मामलों में व्यापारी द्वारा देय कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य धनराशि के राजस्व क्षति की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(ख) जाली जमानत की स्वीकृति

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी 16 अगस्त 1977 को पंजीकृत किया गया । फर्म खरीद एवं बिक्री को छिपाकर बिक्री कर देयों के भुगतान में नियमित रुप से व्यतिक्रम करती रही । फर्म के विरुद्ध बिक्री कर का बकाया जो 1977-78 में 20 हजार रुपए था वर्ष 1984-85 में बढ़कर 46.50 लाख रुपए हो गया ।

उपरोक्त वर्षों में 46.50 लाख रुपए का कर आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश एक पक्षीय आधार पर पारित किए गए । विभाग ने वर्ष 1977-78 से 1983-84 के दौरान पूर्व में जारी किए गए

प्रपत्रों का लेखा प्राप्त किए बिना 530 प्रपत्र 3-क , 97 प्रपत्र 31 और 10 प्रपत्र "सी" निर्गत किया । व्यापारी द्वारा प्रेषित किए गए घोषणा प्रपत्रों के प्रयोग तथा रुप पत्रों का अनुश्रवण भी नहीं किया गया ।

विभागीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (22 दिसम्बर 1983 तथा 7 अगस्त 1984) से ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई फर्म दिए गए व्यापार स्थल अथवा व्यापारी द्वारा किराए के घोषित व्यापार के स्थान पर कभी भी अस्तित्व में नहीं रही । डिप्टी कलेक्टर (संग्रह), गाजियाबाद ने 7 अक्टूबर 1989 को सूचना दी कि पंजीयन के समय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई जमानत जाली थी ।

इस प्रकार जाली जमानत के स्वीकार करने, मासिक रुप पत्रों तथा घोषणा प्रपत्रों का अनुश्रवण न करने और कर निर्धारण में विलम्ब के फलस्वरुप 46.50 लाख रुपए की क्षति हुई ।

(ii) (क) जमानत न प्राप्त करना

9 परिक्षेत्रों के खण्ड कार्यालयों तथा डिप्टी कलेक्टर (सं) के अभिलेखों, जहाँ व्यापारियों के विरुद्ध बिक्री कर, अर्थदण्ड अथवा अन्य देयों का बकाया प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए से अधिक का रहा, की नमूने जांच से पता चला कि जांच किए गए 159 मामलों में से 69 मामलों (43 प्रतिशत) में जिनमें 6.58 करोड़ रुपए का राजस्व अन्तर्निहित था, जमानत नहीं ली गई । धनराशि के न वसूली होने योग्य घोषित करने के लिए संयुक्त जांचे चल रहीं थी । इस प्रकार जमानत प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन न करने के कारण 69 मामलों में 6.58 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की संभावना नहीं रही ।

(ख) (i) बिना जमानत के पंजीयन

बिक्री कर मण्डल, आगरा में बिना जमानत प्राप्त किए कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु एक व्यापारी को 15 फरवरी 1978 को पंजीयन दिया गया ।

सर्वेक्षण रिपोर्टों (22 अगस्त 1978 से 7 मई 1983) से ज्ञात हुआ कि दिए गए व्यापार स्थल पर कृषि यंत्रों के निर्माण का कार्य नहीं किया गया । सर्वेक्षण रिपोर्टों (3 अप्रैल व 14 अगस्त 1981) से पता चला था कि आयातित सी.आर. शीट्स, कटिंग्स, राउण्ड्स, एंगिल्स आदि के भण्डार के अतिरिक्त कच्चे माल या कृषि यंत्रों का कोई भण्डार नहीं था और व्यापारी ने कूलर बाडी , आइस बाक्सेस, ड्रम्स तथा बाल्टियों का निर्माण किया था । वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान विभाग ने पहले की तिथियों में निर्गत घोषणा प्रपत्रों के प्रयोग पर अनुश्रवण किए बिना, जैसा कि नियमावली के नियम 85 (4) के अन्तर्गत अपेक्षित है, 10 प्रपत्र "सी" और 183 प्रपत्र 31 जारी किए ।

वर्ष 1978-79 (30 मई 1981), 1979-80 (20 मार्च 1982) और1980-81 (6 जुलाई

1984) के कर निर्धारण शून्य कर दायित्व के साथ किए गए । विभाग द्वारा वर्ष 1981-82 से 1985-86 तक के कर निर्धारण, एक पक्षीय आधार पर कालातीत होने वाले वर्ष के अन्त में क्रमश: 31 मई 1985, 31 मार्च 1987, 28 दिसम्बर 1988, 31 मई 1990 तथा 13 फरवरी 1990 को 7.07 लाख रुपए का कर दायित्व सृजित करते हुए, किया । व्यापारी लापता था और वसूली के समस्त स्रोतों के समाप्त होने पर कर को न वसूली होने योग्य घोषित करने के लिए संयुक्त जांच चल रही थी ।

चल / अचल सम्पत्ति, बैंक लेखा आदि के सत्यापन हेतु निर्धारित पड़ताल का परिपालन न करने, बिना कोई जमानत प्राप्त किए पंजीयन जारी करने और प्रतिकूल सर्वेक्षण रिपोर्टों के बावजूद कर निर्धारण में विलम्ब करने के फलस्वरूप 7.07 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुई ।

(ख) (ii) बिना जमानत के पंजीयन का जारी रहना

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक फर्म जिसका मुख्यालय राउरकेला (उड़ीसा) में था, को पेण्ट्स, वार्निश तथा केमिकल्स की खरीद व बिक्री हेतु, 15 हजार रुपए के जमानत के विरुद्ध 14 अगस्त 1981 को पंजीकृत किया गया । फर्म की अधिकृत पूंजी 15 लाख रुपए थी ।

पंजीयन की तिथि के पूर्व फर्म ने 29 मई 1981 को निर्गत एक घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र-32) के विरुद्ध 1.78 लाख रुपए कीमत का पेण्ट्स आयात किया । विभाग ने आगे 12 घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र 31) और 5 प्रपत्र "एफ" वर्ष 1981-82 में जारी किये । 21 मई 1982 को जामिनदार ने अपनी जमानत वापस ले ली। विभाग द्वारा नई जमानत नहीं प्राप्त की गयी और व्यापारी बिना जमानत के पंजीकृत रहा ।

विभाग ने व्यापारी को वर्ष 1981-82 में जारी घोषणा प्रपत्रों के प्रयोग का विवरण प्राप्त किए बिना 31 मार्च 1983 को 2 और घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र 31) जारी किए ।

23 जनवरी 1985 से 13 अक्टूबर 1985 के बीच निर्गत कर निर्धारण नोटिसें तामील नहीं हो सकीं क्योंकि फर्म ने अपना व्यापार बन्द कर दिया था और व्यापारी लापता था । वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 (11 अक्टूबर 1985) और 1983-84 (7 नवम्बर 1987) के कर निर्धारण, एक पक्षीय आधार पर 15.93 लाख रुपए की मांग सृजित करते हुए (वर्ष 1981-82 से 1983-84 के लिए क्रमश: 4.96 लाख रुपए, 5.42 लाख रुपए और 5.55 लाख रुपए), किए गए लेकिन इसकी वसूली नहीं की जा सकी । व्यापारी के लापता होने के कारण, निर्धारित राजस्व को न वसूली होने योग्य घोषित करने के लिए संयुक्त जांच चल रही थी ।

(iii) अपर्याप्त जमानतें

अधिनियम और मैनुअल में निहित उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पहले

पर्याप्त जमानत का प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । अधिनियम और मैनुअल में यह भी प्रावधान है कि पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, अगर कर निर्धारण अधिकारी की राय में पंजीयन के समय प्राप्त की गई जमानत अपर्याप्त प्रतीत हो तो वह कर निर्धारण वर्ष, जिसमें अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, में व्यापारी के आवर्त्त में अनुमानित वृद्धि पर, लिखित आदेश द्वारा अतिरिक्त जमानत की मांग कर सकता है । यदि व्यापारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित अतिरिक्त जमानत नहीं दी जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकता है ।

(क) (i) वर्ष 1976-77 से 1985-86 तक की अवधि में आगरा के 2, गाजियाबाद के 1 और कानपुर के 7 व्यापारियों के मामलों में बिक्री कर के बकायों की धनराशि क्रमशः 18.46 लाख रुपए , 40.94 लाख रुपए और 66.86 लाख रुपए (कुल 1.26 करोड़ रुपए) थी जिनके विरुद्ध कुल जमानत क्रमशः 13 हजार रुपए (2 मामले) 5 हजार रुपए और 26 हजार रुपए (7 मामले) प्राप्त की गई थी । राजस्व की सुरक्षा हेतु अधिनियम / नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जमानत मांगने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई और पंजीयन बिना पर्याप्त जमानत के चालू रखे गए । चूंकि फर्में बन्द थीं और व्यापारी लापता थे, बकाये को न वसूली होने योग्य घोषित करने के लिए इन मामलों में संयुक्त जांच चल रही थी । निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन न करने के फलस्वरुप 10 मामलों में 1.26 करोड़ रुपए के राजस्व क्षति की सम्भावना है ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी, जिसके नाम कोई चल / अचल सम्पत्ति नहीं थी, तेल एवं खली के व्यापार / निर्माण में कार्यरत था, ने 2 हजार रुपए की जमानत के विरुद्ध 21 अप्रैल 1980 से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया ।

वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के कर निर्धारण वाद 20 अक्टूबर 1981, 14 जून 1982 और 28 मार्च 1987 को निस्तारित किए गए । विभाग को व्यापारी द्वारा वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान छिपाई गई खरीद और बिक्री के बारे में बि.अनु.शा. एवं वि.क.अ. (ए) आगरा से सूचना (31 मार्च 1984, 6 फरवरी 1985 तथा 3 जनवरी 1988) प्राप्त हुई । छिपाए गए टर्नओवर का लेखा बहियों से सत्यापन नहीं हो सका क्योंकि व्यापार बन्द था और व्यापारी लापता था । प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के कर निर्धारण वादों का एक पक्षीय आधार पर पुनः निस्तारण (28 सितम्बर 1985 , 25 सितम्बर 1986 और 30 सितम्बर 1988) किया गया और 40.99 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया । वसूली प्रमाण-पत्र (15 फरवरी 1986, 12 मार्च 1987, 9 सितम्बर 1987 और 2 मई 1989) जारी किए गए लेकिन निष्प्रभावी रहे क्योंकि व्यापारी के पास कोई चल / अचल सम्पत्ति नहीं थी । संयुक्त जांच समिति द्वारा न वसूल किए गए कर की धनराशि को अपलिखित करने की 24 अक्टूबर 1991 को संस्तुति की गई ।

पंजीयन जारी करने के संबंध में नियमों और मैनुअल के उपबन्धों तथा समय-समय पर निर्गत किए गए विभागीय अनुदेशों का परिपालन न करने, अपर्याप्त जमानत प्राप्त करने, कर निर्धारण समय से न करने और व्यापारी के क्रिया कलापों पर सुक्ष्म निगरानी रखने में असफल रहने के कारण सरकार को

40.99 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

(ख) पर्याप्त जमानत के बिना पंजीयन का जारी रहना

लखनऊ मण्डल के एक व्यापारी को 10 हजार रुपए की जमानत के विरुद्ध आयरन स्क्रैप की स्थानीय खरीद और बिक्री के लिए 16 अक्टूबर 1982 को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया । व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी 10 हजार रुपए थी । समय-समय पर जारी किए प्रमाण पत्रों के उचित उपयोग को सुनिश्चित एवं अनुश्रवण किए बिना विभाग ने कर मुक्त खरीद का लाभ लेने हेतु 8 दिसम्बर 1982 से 7 फरवरी 1986 तक की अवधि में व्यापारी को प्रपत्र 3 क के रुप में 25 प्रमाण प्रपत्र जारी किया । 8 दिसम्बर 1982 को 5 प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के बाद शीघ्र ही व्यापारी ने 10.59 लाख रुपए कीमत के आयरन स्क्रैप की भारी खरीद किया और उसे बेच दिया । 4 वर्ष के बाद 3 अक्टूबर 1986 को विभाग ने व्यापारी से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त जमानत प्रस्तुत करने को कहा जिसे उसने नहीं दिया । फिर भी, बिना पर्याप्त जमानत के पंजीयन को जारी रखा गया । बाद में व्यापारी ने विभाग को 31 मार्च 1987 से व्यापार बन्द करने के बारे में सूचित किया (4 नवम्बर 1987) और फरार हो गया । बि.अनु.शा., कानपुर की रिपोर्ट (15 दिसम्बर 1987) से पता चला कि व्यापारी ने अप्रैल 1986 से अगस्त 1986 तक की अवधि में 29.24 लाख रुपए के कण्डम रेलवे डिब्बों की खरीद की थी । अग्रिम जांच से पता चला (15 दिसम्बर 1987) कि एक प्रमाण पत्र (प्रपत्र iii-क) जिसे विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था, के विरुद्ध व्यापारी ने 9.40 लाख रुपए की खरीद (अगस्त 1986) की थी । वर्ष 1983-84 , 1984-85 तथा 1985-86 (8 दिसम्बर 1987) और 1986-87 (8 दिसम्बर 1988) के कर निर्धारण, एक पक्षीय आधार पर 11.30 लाख रुपए (1.35 लाख रुपए + 1.75 लाख रुपए + 2.48 लाख रुपए और 5.72 लाख रुपए) का कर दायित्व निश्चित करते हुए किए, फिर भी पंजीयन को निरस्त नहीं किया गया ।

भू-राजस्व के बकाये के रुप में वसूली हेतु वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के लिए 7 फरवरी 1989 और वर्ष 1986-87 के लिए 17 जून 1989 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए । वसूली की संभावना नहीं रही क्योंकि व्यापारी लापता बताया गया ।

2.2.9 आबकारी व्यापारियों का पंजीयन न करना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) तथा अन्य आबकारी योग्य वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए नीलामी द्वारा उच्चतम बोली बोलने वाले को वार्षिक अनुज्ञापन प्रदान किए जाते हैं । ये अनुज्ञापी स्थाई व्यापारी नहीं होते है और इस लिए ऐसे व्यापारियों से बिक्री कर राजस्व का संग्रह, द्रुत एवं समय से पंजीयन, कर निर्धारण तथा वसूली पर निर्भर करता है ।

शासकीय आदेशों के अनुसार राज्य आबकारी विभाग अनुज्ञापियों को अभिलेख पर लाने हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने की तिथि से एक माह के अन्दर उनका पूर्ण विवरण बिक्री कर विभाग को सूचित करेगा । इस संबंध में राज्य आबकारी विभाग से समय-समय पर सूचनाएं एकत्र करने हेतु बिक्रीकर अधिकारी भी उत्तरदायी होते हैं ।

9 परिक्षेत्रों की नमूने जांच में पाया गया कि बिक्रीकर और राज्य आबकारी विभागों के मध्य कोई प्रभावी समन्वय नहीं रहा । न तो संबंधित बिक्री कर अधिकारियों ने प्रत्येक वर्ष में जारी किए गए अनुज्ञापनों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त किया और न राज्य आबकारी विभाग अपने से सूचनाएं प्रेषित किया । वर्ष 1979-80 से 1986-87 के दौरान 38 मामलों में बि.अनु.शा. बिक्रीकर से सूचनाएं प्राप्त होने के बाद भी कर निर्धारण अधिकारी संबंधित व्यापारियों को पंजीकृत नहीं कर पाए । 31 मामलों में व्यापारियों को पंजीकृत किए बिना, उनके कालबाधित होने के पहले कर निर्धारण किए गए । व्यापारियों के अपंजीकृत होने के फलस्वरुप और कर निर्धारण में परिणामी विलम्ब होने के कारण इन मामलों में 2.01 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली अभी तक (नवम्बर 1992) नहीं हो पायी । ये व्यापारी लापता बताए गए थे । कर को न वसूल किए जाने योग्य घोषित करने हेतु संयुक्त जांच चल रही थी ।

2.2.10 पंजीयन प्रमाण-पत्रों का निरस्तीकरण

(i) अधिनियम की धारा 8-क (1-ख) में ऐसे व्यापारियों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की व्यवस्था है जो, उनके वार्षिक आवर्त्त के कर योग्य सीमा से कम हो जाने के कारण, पंजीयन योग्य न रह गए हों । आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला कि वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान पंजीकृत क्रमशः 3.63 लाख, 3.76 लाख और 3.94 लाख व्यापारियों में 1.24 लाख, 1.30 लाख और 1.33 लाख व्यापारी कर देने योग्य नहीं रहे । उपरोक्त वर्षों में कर योग्य व्यापारियों, जिनकी संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति रही, में ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित थे जिनका आवर्त्त लगातार तीन-वर्षों में कर योग्य सीमा से कम रहा ।

खण्ड कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उक्त वर्षों में 235, 218 तथा 171 व्यापारियों, जो लगातार तीन वर्षों तक कर योग्य सीमा में नहीं रहे, का शून्य कर दायित्व के साथ कर निर्धारण किया गया । फिर भी विभाग द्वारा उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । पंजीयन निरस्त न करने से , रुप पत्रों की निगरानी तथा अनुश्रवण करने में विभाग का कार्यभार बढ़ाने के अतिरिक्त वादों के तेजी से निस्तारण तथा अन्तिम रुप देने पर प्रभाव पड़ा ।

2.2.11 अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु शासकीय आदेशों के अन्तर्गत सितम्बर 1978 में आगरा,

कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी जनपदों में विशेष सर्वेक्षण दलों का गठन किया गया । व्यापारियों के विरोध के कारण राज्य सरकार को जून 1979 में इस योजना को बन्द करना पड़ा । फिर भी, उक्त जनपदों में इन दलों द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों को पता लगाने के साथ उनके क्रिया कलापों के परिणामों को आयुक्त द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा करापवंचन पर नियंत्रण रखने हेतु सामान्य सर्वेक्षण जिसमें नैत्यिक बाजार सर्वेक्षण भी सम्मिलित था, को भी सितम्बर 1985 से बन्द कर दिया गया ।

पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों को अभिलेख पर लाने के उद्देश्य से आयुक्त ने प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर एवं नवम्बर में संबंधित बिक्री कर अधिकारियों द्वारा अपने खण्डों में गणना करने (एनुमरेशन) हेतु निर्देश (जुलाई 1980) जारी किया । लेखापरीक्षा में नौ परिक्षेत्रों के वार्षिक अभिलेखों के नमूने जांच से पता चला कि ऐसे गणना का कार्य नहीं किया गया और आयुक्त द्वारा इसका अनुश्रवण भी नहीं किया गया जिसके लिए कोई कारण नहीं बताए गए ।

वर्ष 1988-89 से 1990-91 की अवधि के दौरान आयुक्त द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार राज्य में 1860, 2330 तथा 2506 अपंजीकृत व्यापारियों का, जो पंजीयन योग्य थे, पता लगाया गया परन्तु विभाग द्वारा संबंधित वर्षों में क्रमशः 133, 381 तथा 398 व्यापारियों को ही पंजीकृत किया जा सका । शेष 5784 व्यापारी (86 प्रतिशत) अपंजीकृत रहे । विभाग द्वारा इन व्यापारियों को पंजीकृत न करने के कारणों को नहीं बताया गया । इस प्रकार कर योग्य अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाने हेतु एक उचित, नियमित और क्रमबद्ध विभागीय सर्वेक्षण संगठन के अभाव में यह संभावित है कि अनेक व्यापारी पंजीयन से बच जा रहे हों जिसके परिणाम स्वरुप राज्य को राजस्व हानि होती है ।

2.2.12 पंजीयन हेतु शीघ्र कार्यवाही न किया जाना

मैनुअल के प्रस्तर 136 के अन्तर्गत विभागीय जांच / सर्वेक्षण के दौरान पाए जाने पर ऐसे व्यापारियों , जिनका वार्षिक आवर्त्त निर्धारित सीमा से अधिक हो, के 15 दिनों के अन्दर पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है, ऐसे अपंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर किया जाना अपेक्षित है ।

(क) 9 परिक्षेत्रों के विभिन्न खण्डों के अभिलेखों की नमूने जांच में पता चला कि विभाग का बि.अनु.शा. सूचना भेजने का मुख्य स्रोत रहा । सर्वेक्षण के दौरान यह शाखा अपंजीकृत व्यापारियों का भी पता लगाती है और व्यापारियों के पूर्ण विवरण के साथ संबंधित बि.क.अ. को सूचित करती है, संबंधित बि.क.अ. द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पंजीयन एवं कर निर्धारण करने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

नमूने जांच में देखा गया कि 52 मामलों में से 39 मामलों (75 प्रतिशत) में जिनमें परिशिष्ट-क में

उल्लिखित 1.25 करोड़ रुपए का कर अन्तर्निहित था , यद्यपि बि.अनु.शा. द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों के बारे में संबंधित बि.क.अ. को समय से सूचित किया गया लेकिन निर्धारित समय के अन्दर न तो उन्हें पंजीकृत किया जा सका और न ही उनका कर निर्धारित किया जा सका । व्यापारियों के लापता होने के कारण कर को न वसूल किए जाने योग्य घोषित करने हेतु संयुक्त जांचें चल रही थीं ।

39 मामलों में अधिनियम की धारा 15-ए (1) (जी) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला 1.87 लाख रुपए का अर्थदण्ड (प्रत्येक मामले में 4,800 रुपए) नहीं आरोपित किया गया । 36 मामलों में कर निर्धारण, एक पक्षीय आधार पर, वादों के कालबाधित (4 वर्ष) होने के ठीक पहले किए गए ।

(ख) अपंजीकृत व्यापारी द्वारा व्यापार

बि.अनु.शा., कानपुर ने दिसम्बर 1986 में रिपोर्ट किया कि कानपुर के एक अपंजीकृत व्यापारी ने तीन माह (जनवरी से मार्च 1986) के अन्दर रेलवे द्वारा तामिलनाडु की एक फर्म से भारी मात्रा में दियासलाई (2200 बण्डल) का आयात किया था । रेलवे अभिलेखों की अग्रिम जांच से ज्ञात हुआ कि इसके अतिरिक्त व्यापारी ने 4600 दियासलाई के बंडल नवम्बर 1985 से फरवरी 1986 की 4 माह की अवधि में आयात किया था । वि.अनु.शा. से प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर के एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दियासलाई के इन बंडलों को उक्त व्यापारी के नाम आयात किए जाने का पर्याप्त प्रमाण था , लेकिन रेलवे के माध्यम से आयात किए जाने के कारण , विभाग बिक्री कर मण्डल , कानपुर के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत व्यापारी को पकड़ने में असमर्थ रहा । बि.अनु.शा. ने वर्ष 1985-86 की रिपोर्ट बिलम्ब से 30 दिसम्बर 1986 को प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग व्यापारी को पंजीकृत नहीं कर सका । वर्ष 1985-86 का कर निर्धारण , एक पक्षीय आधार पर विलम्ब से निर्धारित अवधि अर्थात् एक वर्ष के बाद 15 जनवरी 1988 को 1.50 लाख रुपए का कर लगाते हुए, किया गया । कर वसूली योग्य नहीं था क्योंकि अपंजीकृत व्यापारी लापता था ।

2.2.13 संविदाकार व्यापारियों का पंजीयन

अधिनियम की धारा 3-च के अन्तर्गत ऐसे संविदाकार, जिनका किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण या किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरग्रस्त माल के स्वामित्व के अन्तरण से संबंधित वार्षिक आवर्त्त एक लाख रुपए से अधिक हो, 1 मई 1987 से चार प्रतिशत की दर से कर के दायी हैं ।

आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक की अवधि में कर योग्य संविदाकार व्यापारियों की स्थिति निम्नलिखित थी:

वर्ष	पंजीयन योग्य संविदाकार व्यापारियों की संख्या	पंजीकृत संविदा कार व्यापा-रियों की संख्या	अपंजीकृत रहने वाले संविदाकार व्यापारियों की संख्या	प्रतिशतता कालम 4 का 2	संविदाकार व्यापारियों की संख्या जिनका कर निर्धारण किया गया	कर का प्रभाव (लाख रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1987-88	2748	1145	1603	58.0	1110	131.83
1988-89	2594	1080	1514	58.0	151	259.33
1989-90	2201	1027	1174	53.0	83	10.62
1990-91	2098	1038	1060	51.0	24	2.65

विभाग पंजीयन योग्य संविदाकर व्यापारियों के 50 प्रतिशत को भी पंजीकृत नहीं कर सका । वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान पंजीकृत कुल संविदाकार व्यापारियों में से क्रमशः 97 , 14 , 8 और 2 प्रतिशत का ही निर्धारण किया जा सका । अवशेष संविदाकार व्यापारियों के पंजीयन न किए जाने से पंजीयन / नवीनीकरण शुल्क और अन्तिम कर निर्धारण में अन्तर्निहित कर के रुप में वसूल की जाने वाली राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुई ।

2.2.14 अन्य रुचिकर बातें

अधिनियम , नियमावली और मैनुअल में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार, बिक्री कर अधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होकर ही पंजीयन प्रार्थना-पत्र सही और पूर्ण है, प्रार्थी वास्तव में व्यापारी है, उसके पूर्ववृत्त , वित्तीय हैसियत, स्थानीय और स्थाई पते आदि के बारे में स्थल जांच करने के उपरान्त पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु व्यापारी से जमानत / अतिरिक्त जमानत प्राप्त की जाती है । यदि व्यापारी अपेक्षित जमानत नहीं प्रस्तुत करता है, उसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त होने योग्य हो जाता है ।

फर्जी तथा नकली व्यापारियों के पंजीयन को परिहार्य करने की दृष्टि से आयुक्त ने पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व पूर्ण जांच करने हेतु समय-समय पर बिक्री कर अधिकारियों को अनुदेश जारी किए।

(क) फर्जी व्यापारियों का पंजीयन

व्यापारियों के पंजीयन अभिलेखों एवं कर निर्धारण पत्रावलियों के नमूने जांच में पता चला कि 94.76 लाख रुपए अन्तर्निहित 5 मामलों में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व और उसके बाद विभाग द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्धारित पड़ताल तथा जांच नहीं की गई । परिणामत: थोड़े समय में ही विभाग द्वारा कर निर्धारण पूर्ण किए जाने के पहले, ऐसे व्यापारी स्वयं को पंजीकृत करा लिए, भारी संख्या में घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र 31 तथा "सी") प्राप्त कर लिए, भारी व्यापार कर लिए और अपनी फर्मों को बन्द कर दिए । विवरण परिशिष्ट -ख में दिया गया है ।

(ख) बिना उचित जांच के पंजीयन

(i) बिक्रीकर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने दियासलाई के निर्माण हेतु बिना जमानत प्रस्तुत किए अधिनियम की धारा 8-ख के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1983 से अनन्तिम पंजीयन तथा धारा 8-क के अन्तर्गत 2 जनवरी 1984 से स्थाई पंजीयन प्राप्त किया । फर्म के स्वामी ने एक गांव में अपने नाम से 18 एकड़ कृषि भूमि घोषित किया था जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया । पंजीयन प्रदान करने के पूर्व व्यापार स्थल, पंजीयन प्रार्थना पत्र में दी गई दूसरी सूचनाओं तथा व्यापारी के पूर्ववृत्त के सत्यापन के संबंध में स्थल पर कोई जांच नहीं की गई ।

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान जारी किए गए घोषणा प्रपत्रों (342 प्रपत्र 31 तथा 4 प्रपत्र "सी") के विरुद्ध व्यापारी ने 5 अप्रैल 1983 से 14 मई 1984 के दौरान (उपयोग किए गए प्रपत्रों के लेखे के अनुसार) क्रमशः2.06 लाख रुपए तथा 57 हजार रुपए के ब्लू, शीशा, पैकिंग पेपर, तथा स्पिलिंट आदि का आयात किया जबकि 17 मई 1984 को जांच-चौकियों नौबत पुर (वाराणसी), चौखटा (इलाहाबाद) तथा मोदीनगर (गाजियाबाद) से प्राप्त रिपोर्ट तथा घोषणा प्रपत्रों की प्रतिलिपियों से पता चला कि फर्म ने वास्तव में उक्त वर्षों में 92.07 लाख रुपए तथा 50.65 लाख रुपए के लोहा व इस्पात, कोयला, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, पी.पी.सी. पाइप तथा कार्डबोर्ड का आयात किया था उपरोक्त प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखकर विभाग ने 14 जून 1984 को पंजीयन निरस्त कर दिया लेकिन प्रपत्र " सी" के विरुद्ध अनधिकृत खरीद के लिए के.वि.क. अधिनियम की धारा 10-ए के अन्तर्गत अपेक्षित कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई ।

बि.क.अ., बि.अनु.शा., कानपुर ने भी प्रतिकूल रिपोर्ट (31 मई 1984) भेजी थी और करापवंचन न होने हेतु शीघ्र कर निर्धारण करने की सलाह दी थी । प्रतिकूल रिपोर्ट तथा विभागीय अनुदेशों पर कोई ध्यान दिए बिना विभाग ने एक पक्षीय आधार पर विलम्ब से 7 मार्च 1988 और 28 फरवरी 1989 को वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में क्रमशः 9.34 लाख रुपए तथा 8.53 लाख रुपए का कर दायित्व निश्चित करते हुए कर निर्धारण पूर्ण किया । विभाग 17.87 लाख रुपए का कर नहीं वसूल

कर सका क्योंकि व्यापारी लापता था ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने राज्य तथा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत क्रमशः 5 अगस्त 1985 तथा 7 अगस्त 1985 को पंजीयन प्राप्त किया ।

पंजीयन के पूर्व चल व अचल सम्पत्ति तथा बैंक लेखे के बारे में अपेक्षित स्थल जांच नहीं की गई । विभाग ने 29 अगस्त 1985 से 1 अक्टूबर 1986 की अवधि में, पहले की तिथियों में जारी किए गए घोषणा प्रपत्रों और प्रमाण-पत्रों के उपयोग का हिसाब प्राप्त किए बिना व्यापारी को 12 घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र 31) तथा 7 प्रमाण पत्र (प्रपत्र "एफ") जारी किया ।

वर्ष 1985-86 के कर निर्धारण हेतु नोटिसें सर्वप्रथम नवम्बर 1986 में निर्गत की गई लेकिन इस संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई । कर निर्धारण प्रक्रिया के बन्द करने के लिए विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया । कर निर्धारण हेतु पुनः अक्टूबर 1988 और उसके बाद जारी की गई नोटिसें व्यापारी के दिए गए पते पर उपलब्ध न रहने के कारण तामील नहीं हुई । एक पक्षीय कर निर्धारण (30 अगस्त 1989, 20 मार्च 1991 और 15 जनवरी 1992) में वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः 89,000 रुपए , 1.09 लाख रुपए तथा 1.26 लाख रुपए कर दायित्व निर्धारित किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 16,881 रुपए और वर्ष 1986-87 में 45,194 रुपए का स्वीकृत कर जमा किया तथा 2.62 लाख रुपए अवशेष रहे । पंजीयन प्रदान करते समय नियमों का परिपालन न करने, घोषणा प्रपत्रों तथा प्रमाण पत्रों के उपयोग का विवरण न प्राप्त करने तथा कर निर्धारण में विलम्ब करने के फलस्वरुप 2.62 लाख रुपए कर धनराशि नहीं वसूल की जा सकी फलस्वरुप राजस्व की क्षति हुई ।

(iii) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी को 10 हजार रुपए की दो प्रतिभूतियों के विरुद्ध कोयले की खरीद और बिक्री हेतु वर्ष 1983-84 तक की अवधि के लिए 6 अगस्त 1982 से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

पंजीयन के पूर्व व्यापार स्थल के विभागीय सर्वेक्षण (5 अगस्त 1982) के दौरान व्यापारी उपस्थित नहीं रहा । व्यापारी के भाई द्वारा स्थाई पता और सम्पत्ति के संबंध में दिया गया बयान सत्यापन किए बिना ही स्वीकार कर लिया गया । आगे यह कहा गया कि कोयला बिल पृष्ठांकन अर्थात् केन्द्रीय बिक्री द्वारा भी बेचा जाएगा लेकिन के.बि.क.अधिनियम के अन्तर्गत कोई पंजीयन नहीं मांगा गया । दूसरे सर्वेक्षण (23 अगस्त 1982) में गोदाम के स्थान का सत्यापन किया गया ।

व्यापारी को जिलापूर्ति अधिकारी (जि.पू.अ.), कानपुर द्वारा 30 जून 1982 से प्रभावी कोयले का अनुज्ञापन निर्गत किया गया । वर्ष 1982-83 में व्यापारी ने शून्य आवर्त्त के मासिक रुप पत्र दाखिल किए तथा 12 जनवरी 1984 को कर निर्धारण में उसे कर मुक्त किया गया । खरीद और बिक्री के संबंध

में व्यापारी द्वारा वर्ष 1983-84 में एक भी रुप पत्र नहीं दाखिल किया गया । कर निर्धारण के लिए 26 जुलाई 1984 को नोटिस जारी की गई । यह सूचना दी गई कि फर्म बन्द थी और व्यापारी लापता था ।

जि.पू.अ., कानपुर ने सूचित किया (7 जून 1985) कि व्यापारी को वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमश: 82.50 लाख रुपए और 86.10 लाख रुपए (कुल 168.60 लाख रुपए) मूल्य का 8245 तथा 8604 मैट्रिक टन कोयला आबंटित किया गया था । वि.क.अ. ने कर निर्धारण हेतु नोटिसें जारी की जो तामील नहीं हुई । वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में क्रमश: 3.30 लाख रुपए तथा 3.44 लाख रुपए का कर दायित्व निश्चित करते हुए अन्तिम कर निर्धारण एक पक्षीय आधार पर 8 जुलाई 1985 को किए गए । दोनों वर्षों के लिए वसूली प्रमाण पत्र 30 नवम्बर 1985 को जारी किए गए लेकिन व्यापारी के लापता होने के कारण कोई वसूली नहीं हो सकी । यह भी बताया गया कि व्यापारी ने 16,849 मैट्रिक टन कोयला बिना घोषणा प्रपत्र के आयात किया था । अत: अधिनियम की धारा 15ए (1) (ओ) के अन्तर्गत 67.44 लाख रुपए का अर्थदण्ड (कोयले के मूल्य का 40 प्रतिशत) आरोपणीय था जो आरोपित नहीं किया गया । इस प्रकार स्थाई पता और सम्पत्ति के सत्यापन के बारे में विभागीय अनुदेशों का परिपालन न करने के फलस्वरुप 6.74 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुई ।

उक्त लेखापरीक्षा के परिणाम विभाग एव सरकार को जुलाई 1992 तथा दिसम्बर 1992 में प्रतिवेदित किए गए , उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए है (जनवरी 1993) ।

2.3 निर्माताओं को कच्चे माल की खरीद पर छूट प्रदान करने में अनियमितताएं

(क) माल का अनधिकृत रूप से निस्तारण

सरकारी अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी के अन्तर्गत विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री के क्रय पर निर्माताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने पर कर में विशेष छूट का प्रावधान है । इस प्रकार से निर्मित वस्तुएं राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेची जानी अपेक्षित है । इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में व्यापारी अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी हो जाता है जो ऐसे माल के राज्य में बिक्री पर देय कर की धनराशि से कम नहीं होगी और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।

(I) बिक्रीकर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 1991) कि अंग्रेजी दवाओं हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान प्रपत्र III-ख के आधार पर 9.13 लाख रुपए का पी.पी. कैप रियायती दर से क्रय किया। व्यापारी ने 1.16 लाख रुपए का पी.पी. कैप 99.90 लाख रुपए की दवाओं की पैकिंग में प्रयोग किया जिनका राज्य के बाहर

प्रेषण (कन्साइनमेन्ट) के आधार पर स्थानान्तरण किया । अतएव व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में कम से कम 5.99 लाख रुपए के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग एवं शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल, वाराणसी की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 1991) कि साइकिल ट्यूब निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने प्रपत्र III-ख में घोषणा प्रपत्रों के आधार पर वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में 1.56 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया और उसका उपयोग साइकिल ट्यूब के निर्माण में किया एवं 7.51 लाख रुपए का ट्यूब राज्य के बाहर कन्साइनमेन्ट के आधार पर हस्तान्तरित कर दिया । अतः व्यापारी न्यूनतम 60,090 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा सरकार को क्रमशः अप्रैल 1991 तथा फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

(ख) कच्चे माल के दुरुपयोग पर अर्थदण्ड का अनारोपण

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्माताओं को कुछ शर्तों के अधीन कच्चा माल क्रय करने हेतु कर में विशेष छूट का प्रावधान है । माल का मान्यता प्रमाण पत्र में निर्धारित उद्देश्य से अन्यथा प्रयोग करने की स्थिति में व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में एक ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो उसके द्वारा कर में प्राप्त छूट की राशि से कम न होगी किन्तु इस छूट के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।

(i) बिक्री कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 1991) कि साइकिल के पुर्जों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 की अवधि में प्रपत्र III-ख के आधार पर 11.90 लाख रुपए का एम.एस. राड कर मुक्त क्रय किया और उसका प्रयोग एम.एस. वायर के निर्माण में किया । अतएव व्यापारी 1.43 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991) विभाग ने जनवरी 1992 में सूचित किया कि 1.10 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है, वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को जुलाई 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, मोदीनगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991) कि रबर उत्पाद के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने प्रपत्र III-ख में घोषणा प्रपत्रों के आधार पर वर्ष 1983-84 से 1986-87 के दौरान 30.60 लाख रुपए का कच्चा रबर तथा रसायन कर मुक्त क्रय किया और उनका प्रयोग सभी प्रकार की बेल्टिंग्स के निर्माण में किया जो अधिनियम के अन्तर्गत पृथक रूप से विज्ञापित एक भिन्न वाणिज्यिक वस्तु है । यद्यपि व्यापारी उपरोक्तानुसार कम से कम 2.54 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था फिर भी वह आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iii) बिक्रीकर मण्डल, बस्ती की लेखापरीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1991) कि पोलीथीन के थैले, शीट्स एवं फिल्म (पैकिंग सामग्री) के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक निर्माता व्यापारी ने 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान प्रपत्र III-ख के आधार पर 17.96 लाख रुपए के पोलीथीन दाने और रद्दी पोलीथीन कर मुक्त क्रय किया और 16.13 लाख रुपए का कच्चा माल पोलीथीन धागा के निर्माण तथा पोलीथीन दाने के पुनरप्रक्रिया में प्रयोग किया, जो भिन्न व्यापारिक वस्तु है । अतएव व्यापारी न्यूनतम 1.40 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को नवम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1992) ।

(iv) अधिनियम की धारा 2 (ड-1) के अन्तर्गत मरम्मत निर्माण के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा मरम्मत के लिए मान्यता प्रमाण पत्र नहीं स्वीकृत किए जा सकते हैं।

(क) बिक्रीकर मण्डल, फैजाबाद की लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1991) कि ट्रान्सफारमर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 1984-85 से 1986-87 की अवधि में प्रपत्र III-ख में घोषणाओं के आधार पर 12.52 लाख रुपए का तांबे का तार एवं पेण्ट 4 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय किया तथा उसका उपयोग ट्रान्सफारमर की मरम्मत में किया । ऐसा उसने अपने शपथ बयान में कहा था। अतएव व्यापारी न्यूनतम 1.10 लाख रुपए अर्थदण्ड का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को मई 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, वाराणसी की लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 1991) कि एक व्यापारी को ट्रान्सफारमर के निर्माण तथा मरम्मत हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1983-84

से 1986-87 की अवधि में 6.77 लाख रुपए का ऐल्यूमिनियम तार प्रपत्र ।।।-ख में घोषणाओं के आधार पर रियायती दर से क्रय किया और उसका प्रयोग ट्रान्सफारमर की मरम्मत में किया । चूंकि मरम्मत का कार्य निर्माण के अन्तर्गत नहीं आता, अतः मरम्मत के लिए मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना अनियमित था । इसके फलस्वरुप 54,191 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ग) बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि ट्रान्सफारमर के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 के दौरान 4 प्रतिशत की रियायती दर पर 8.97 लाख रुपए के ट्रान्सफारमर के पुर्जों की खरीद की तथा उनका उपयोग ट्रान्सफारमर की मरम्मत में किया व्यापारी कम से कम 78,946 रुपए अर्थदण्ड का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(v) बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1990) कि साइकिल ट्यूब निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने प्रपत्र ।।।-ख में घोषणाओं के आधार पर वर्ष 1985-86 में 23.71 लाख रुपए का कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री कर मुक्त खरीदा । इसमें 5.93 लाख रुपए के कच्चे माल पैकिंग सामग्री का प्रयोग उसने रिक्शा ट्यूब के निर्माण एवं पैकिंग में किया । अतएव व्यापारी न्यूनतम 47,415 रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा मे चूक के इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1990) विभाग ने जुलाई 1991 में बताया कि 52,137 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

प्रकरण शासन को अगस्त 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(vi) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1991) कि साइकिल पुर्जों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में घोषणा प्रपत्र 111-ख के आधार पर 9.65 लाख रुपए के कच्चे माल की कर मुक्त खरीद की जिसका प्रयोग साइकिल की तीलियों के लिए वाशर के निर्माण में किया । चूंकि वाशर साइकिल के पुर्जों के अन्तर्गत नहीं आते बल्कि केवल साइकिल के पुर्जे के एक संघटक भाग हैं , व्यापारी कर मुक्त कच्चा माल

खरीदने के लिए अधिकृत नहीं था । न्यायिक* रुप से यह निर्णीत है कि विज्ञापित माल के संघटक भाग के एक संघटक का निर्माता धारा 4-ख के अन्तर्गत लाभ पाने का हकदार नहीं है । अतएव व्यापारी न्यूनतम 38,618 रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(vii) बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1990) कि प्लास्टिक उत्पाद के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 5.08 लाख रुपए का कच्चा माल प्रपत्र III-ख के आधार पर रियायती दर से वर्ष 1983-84 से 1986-87 के दौरान क्रय किया तथा उसका उपयोग गणितीय उपकरण तथा खेल के सामान के निर्माण हेतु किया जो भिन्न व्यापारिक वस्तु है । व्यापारी 60,973 रुपए अर्थदण्ड का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा भूल के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1991) विभाग ने दिसम्बर 1991 में बताया कि 67,073 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) कच्चे माल की खरीद पर अनियमित कर मुक्ति प्रदान करना

शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी के अन्तर्गत निर्माताओं द्वारा अधिसूचित माल के निर्माण एवं पैकिंग के लिए कच्चा माल तथा पैकिंग के सामान के क्रय पर विशेष छूट का प्रावधान है। शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 18 जुलाई 1979 के अनुसार वनस्पति निर्माता केवल कच्चे माल की कर मुक्त खरीद करने के लिए अधिकृत थे ।

(i) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि वनस्पति के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी को कर मुक्त टिन कन्टेनर की खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया था । तत्पश्चात् उक्त मान्यता प्रमाण पत्र में टिन शीट्स तथा टिकलियाँ भी जोड़ दी गई (फरवरी 1986) व्यापारी ने वर्ष 1986-87 में टिन कन्टेनर के निर्माण हेतु 82.56 लाख रुपए की

---

* कृष्णदास एजेन्सीस बनाम मैसूर राज्य (1974) 33 एस.टी.सी. 65 (मैसूर)

टिन शीट्स तथा 6,999 रुपए की टिकलियाँ कर मुक्त खरीदा । चूंकि व्यापारी को पैकिंग सामग्री के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, उसे टिन शीट्स एवं टिकलियाँ कर मुक्त खरीदने के लिए प्राधिकृत करना अनियमित था । इसके परिणाम स्वरुप 3.31 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 5 जून 1985 के अनुसार "बेकरी उत्पाद" के निर्माता प्रपत्र ।।।-ख में घोषणा प्रपत्रों के आधार पर केवल आटा, मैदा एवं सूजी कर मुक्त खरीद सकते थे ।

चार बिक्रीकर मण्डलों (वाराणसी, गाजियाबाद, गाजीपुर तथा कानपुर), की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1990 से जनवरी 1992 तक) कि बेकरी उत्पादों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों को घोषणा प्रपत्र ।।।-ख के बल पर वनस्पति, रसायन तथा पैकिंग सामग्री को रियायती दर पर खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था । मान्यता प्रमाण पत्र के अनियमित स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप इन मामलों में 5.37 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई । विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	मण्डल	खरीदे गए माल का विवरण	कर निर्धारण वर्ष	खरीदे गए माल की कीमत	निहित राजस्व की धनराशि
				(लाख रुपए में	)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गाजियाबाद	वनस्पति तथा पैकिंग सामग्री	1986-87 एवं 1987-88	20.67	1.53
2.	गाजीपुर	वनस्पति, रसायन तथा पैकिंग सामग्री	1986-87	.7.97	0.46
3.	(i)कानपुर	वनस्पति तथा रसायन	1984-85 से 1986-87	6.01	0.43
	(ii)कानपुर	वनस्पति, स्टार्च रैपर	1984-85 से 1987-88	15.90	0.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	वाराणसी	वनस्पति, रसायन पोलीथीन के थैले, मोम तथा क्राफ्ट पेपर	1985-86 से 1988-89	38.64	2.55
	योग			89.19	5.37

लेखापरीक्षा में त्रुटि इंगित किए जाने पर (जनवरी 1992 से अप्रैल 1992 के मध्य) विभाग ने एक मामले में नवम्बर 1992 तक 13,934 रुपए सृजित कर दिया, अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(III) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनयम, 1948 की धारा 4-ख के अनुसार निर्माताओं को विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर विशेष छूट का प्रावधान है । करारोपण से मुक्त माल के निर्माताओं को अधिनियम के अन्तर्गत कोई छूट देय नहीं है । मानव अथवा पशुचालित कृषि यन्त्र, अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण से मुक्त हैं ।

(क) बिक्री कर मण्डल, चन्दौसी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1991) कि एक व्यापारी के मामले में मानव एवं पशुचालित कृषि यन्त्रों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा व्यापारी को माल कर मुक्त क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया गया । व्यापारी वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में घोषणा प्रपत्र III-ख के आधार पर 26.61 लाख रुपए का कच्चा माल क्रय किया और उसका उपयोग कृषि यन्त्रों के निर्माण में किया । अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के परिणाम स्वरुप 1.06 लाख रुपए राजस्व की क्षति हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1992) ।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, मिर्जापुर की लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 1990) कि मानव अथवा पशु चालित कृषि यन्त्रों के निर्माण हेतु एक व्यापारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया और उसे कर मुक्त कच्चा माल के क्रय हेतु प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के दौरान फार्म III-ख में घोषणाओं के आधार पर क्रमशः 4.35 लाख रुपए एवं 5.15 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया ।

तदुपरान्त धारा 3-ख के अन्तर्गत वाद खोला गया (फरवरी 1984) तथा घोषणा प्रपत्र के दुरुपयोग हेतु 37,996 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर वसूल की गई । व्यापारी ने बिक्री कर अधिकरण में अपील दायर किया । अधिकरण ने धारा 3-ख में पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यदि एक बार व्यापारी को मान्यता प्रमाण पत्र दे दिया गया तथा व्यापारी कर मुक्त कच्चा माल क्रय करने हेतु प्राधिकृत था तो उसके विरुद्ध धारा 3-ख के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। व्यापारी द्वारा जमा धनराशि को मार्च 1990 में वापस कर दिया गया । इस मान्यता प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति के कारण 37,996 रुपए राजस्व की क्षति हुई ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्माताओं को विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय करने हेतु कर में विशेष छूट का प्रावधान है । 7 दिसम्बर 1979 की विज्ञप्ति द्वारा लेदर बोर्ड को विज्ञापित वस्तु घोषित किया गया तथा निर्माताओं को केवल लेदर कटिंग्स की कर मुक्त खरीद करने हेतु प्राधिकृत किया गया ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जून 1991) कि लेदर बोर्ड के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी को लेटेक्स तथा केमिकल्स की कर मुक्त खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान 10.34 लाख रुपए का लेटेक्स तथा केमिकल्स कर मुक्त खरीदा । इस प्रकार अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के कारण 82,718 रुपए राजस्व क्षति हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991) विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि 82,718 रुपए की मांग धारा 3-ख के अन्तर्गत सृजित कर दी गई तथा 62,038 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया था। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को जुलाई 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(v) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत निर्माताओं को विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चा माल क्रय करने पर कुछ विशेष जनपदों में 5 वर्ष तथा अन्य जनपदों में 3 वर्ष हेतु कर में विशेष छूट का प्रावधान है, यदि उत्पादन की तिथि 1 जनवरी 1979 के बाद नहीं पड़ती है । उक्त प्रतिबन्ध का पालन न करने की स्थिति में व्यापारी को कच्चा माल क्रय करने हेतु रियायती दर की सुविधा दी जाएगी ।

बिक्री कर मण्डल, आजमगढ़ की लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 1991) कि ट्रान्सफारमर निर्माण हेतु 6 सितम्बर 1983 से मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी को कर मुक्त कच्चा माल क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 से 1987-88 की अवधि में प्रपत्र III-ख के आधार पर 9.98 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया । चूंकि व्यापारी ने उत्पादन दिनांक 1 जनवरी 1979 के बाद प्रारम्भ किया था, अतएव उसे कच्चा माल कर मुक्त क्रय करने हेतु प्राधिकृत करना अनियमित था । इसके फलस्वरूप 43,927 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1991) में विभाग ने दिसम्बर 1991 में बताया कि 43,927 रुपए की मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को मई 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(vi) सरकारी अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित माल के क्रय पर निर्माताओं को कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर कर में विशेष छूट का प्रावधान है । उन सभी वस्तुओं के निर्माण हेतु, जो उक्त अधिसूचना में या उसके बाद जारी किसी अधिसूचना में वर्णित नहीं है, कच्चा माल व्यापारी रियायती दर पर खरीद सकता है । लेटेक्स सालूशन न तो दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना द्वारा आच्छादित है और न ही किसी अन्य अधिसूचना द्वारा ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1989) कि एक व्यापारी को लेटेक्स सालूशन के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया एवं कर मुक्त कच्चा माल खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 8.73 लाख रुपए का कच्चा माल प्रपत्र III-ख के आधार पर कर मुक्त खरीदा । अनियमित मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के कारण 38,433 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

2.4 अर्थदण्ड का आरोपित न किया जाना

(क) विक्रय धन का छिपाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने अपने विक्रय धन का ब्योरा छिपाया है अथवा जान बूझ कर ऐसे विक्रय धन का त्रुटि पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है तो कर निर्धारण

अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रुप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो इस प्रकार से बचाए गए कर की धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

(i) बिक्री कर मण्डल , हरदोई की लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 1990) कि विभागीय विशेष अनुसंधान शाखा से प्राप्त सूचना के आधार पर एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी के विक्रय को छिपाया था, छिपाया गया बिक्रय धन 35 लाख रुपए निर्धारित करते हुए 4.40 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । व्यापारी न्यूनतम 2.20 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

चूक को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1990) विभाग ने दिसम्बर 1991 में बताया कि अब 2.20 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, गोण्डा की लेखापरीक्षा में देखा गया (नवम्बर 1990) कि एक व्यापारी ने 1984-85 के दौरान 67.31 लाख रुपए की भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के अन्तर्राज्यीय बिक्री का गलत विवरण दिया । इस बिक्री पर 2.71 लाख रुपए बिक्री कर आरोपित किया गया । व्यापारी न्यूनतम 1.35 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था जो आरोपित करने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (फरवरी 1991) विभाग ने बताया (जनवरी 1992) कि अब 4.06 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iii) बिक्रीकर मण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1990) कि विभागीय विशेष अनुसंधान शाखा की सूचना के आधार पर एक व्यापारी ने 1984-85 में 54.79 लाख रुपए के खाद्य तेलों का क्रय / बिक्रय छिपाया था, उक्त आवर्त्त पर 2.30 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । व्यापारी न्यूनतम 1.15 लाख रुपए अर्थदण्ड का भी दायी था, जो कि आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1990) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1991) कि 3.45 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iv) बिक्री कर मण्डल, मुगलसराय की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 1991) कि कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 50 लाख रुपए के कोयले का क्रय / विक्रय छिपाया था । उक्त विक्रय धन पर 2 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । व्यापारी 1 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1991) विभाग ने सितम्बर 1991 में बताया कि 4 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) प्रान्त बाहर से माल के आयात पर करापवंचन

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियमावली, 1948के नियम 85 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 28-ए के अन्तर्गत राज्य के बाहर से सामान आयात करने के लिए इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र 31 प्राप्त करेगा । यदि इस प्रकार का सामान रेल, नदी, वायुयान या डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आयातकर्ता तब तक उनकी डेलिवरी प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत् भरी गई तथा हस्ताक्षरित घोषणा दो प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता । इन प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत तक भुगतान का दायी होगा ।

बिक्री कर मण्डल , रुड़की की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1990) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में राज्य के बाहर से 1.80 लाख रुपए मूल्य के वोल्ट मीटर घोषणा प्रपत्र 31 का प्रयोग किए बिना आयात किया । अतः व्यापारी 72,180 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित किए जाने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1991) विभाग ने नवम्बर 1991 में बताया कि 72,180 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) **केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत**

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-क के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर प्रपत्र "ग" मे घोषणा के आधार पर कर के रियायती दर से किसी वस्तु का क्रय करते समय गलत ढंग से यह दर्शाता है कि उक्त वस्तु उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित है, तो कर निर्धारण अधिकारी उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की धनराशि के डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है ।

(क) बिक्री कर मण्डल, गोरखपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1991) कि राज्य सरकार के अधीन एक परिषद ने वर्ष 1982-83 में राज्य के बाहर से प्रपत्र "ग" में घोषणाओं के आधार पर रियायती दर पर 30.03 लाख रुपए मूल्य का काष्ठ परिरक्षक (वुड प्रेजरवेटिव) क्रय किया, यद्यपि काष्ठ परिरक्षक उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था । अतएव परिषद 4.50 लाख रुपए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993) ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अगस्त 1991), विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि 4.50 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1988-89 में राज्य के बाहर से 15.09 लाख रुपए का पी0वी0सी0 टैंक प्रपत्र "सी" के आधार पर रियायती दर से खरीदा, यद्यपि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था । अत: व्यापारी 2.26 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991) विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 1991) कि अब 2.26 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.5 अनियमित छूट

(i) शासन की विज्ञप्ति दिनांक 30 जून 1979 एवं 30 सितम्बर 1982 के अनुसार अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई (कमीशन) अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर से प्रमाण पत्र धारक संस्थान उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की अनुसूची में वर्णित ग्रामोद्योग उत्पाद के निर्माण से संबंधित माल कर मुक्त क्रय करने हेतु अधिकृत हैं । संस्थानों को ऐसे उत्पाद की बिक्री पर भी कर मुक्ति का प्रावधान है। उक्त अनुसूची में ग्रामोद्योग उत्पाद के अन्तर्गत लेदर बोर्ड का उल्लेख नहीं है ।

(क) उपरोक्त सूची में लेदर बोर्ड ग्रामोद्योग का उत्पाद वर्णित नहीं है

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1992) कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर "हस्त निर्मित कागज" के निर्माण हेतु प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने 1985-86 एवं 1986-87 में 6.34 लाख रुपए मूल्य का हस्त निर्मित कागज, लेटेक्स एवं अल्यूमिनियम सल्फेट कर मुक्त क्रय किया तथा लेदर बोर्ड का निर्माण किया । व्यापारी ने 1985-86 एवं 1986-87 में क्रमश: 8.94 लाख रुपए एवं 8.37 लाख रुपए की लेदर बोर्ड की राज्य में तथा अन्तर्राज्यीय बिक्री किया । विक्रय तथा क्रय पर कर में छूट प्रदान की गयी/उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की अनुसूची ग्रामोद्योग उत्पाद के अन्तर्गत लेदर बोर्ड का उल्लेख न होने के कारण माल के क्रय तथा लेदर बोर्ड की बिक्री पर कर में छूट दिया जाना अनियमित था , जिसके फलस्वरुप 2.37 लाख रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) उपरोक्त वर्णित सूची में गम-रेजिन ग्रामोद्योग के उत्पादों में है

बिक्री कर मण्डल, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने रोजिन तथा तारपीन तेल के निर्माण एवं बिक्रय हेतु कमीशन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में 4.62 लाख रुपए का रेजिन क्रय किया तथा रोजिन एवं तारपीन तेल का बिक्रय क्रमश: 2.20 लाख रुपए एवं 29,400 रुपए का किया ।

दोनों रेजिन की क्रय एवं रोजिन तथा तारपीन तेल की बिक्री को कर से छूट प्रदान कर दी गई । चूंकि रोजिन तथा तारपीन तेल को खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, रेजिन के क्रय एवं रोजिन तथा तारपीन तेल के बिक्रय पर कर से छूट प्रदान करना अनियमित था । इसके फलस्वरुप 57,512 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

मामला विभाग को जनवरी 1992 तथा सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(ग) सूची में वर्णित ग्रामोद्योग के उत्पादों में मीथेन गैस (बायो गैस) सम्मिलित है । इसके निर्माण हेतु बिना कर का भुगतान किए बायो गैस प्लान्ट खरीदा जा सकता है, ग्रामोद्योग के उत्पादों की सूची में बायो गैस प्लांट अंकित नहीं है ।

बिक्रीकर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 1992) कि एक व्यापारी ने 1986-87 में 28.34 लाख रुपए मूल्य की इस्पात की चद्दरें आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त एक संस्था को बायोगैस प्लाण्ट के निर्माण के लिए बेचा । कर निर्धारण अधिकारी ने इस विक्रय को कर मुक्त कर दिया। ग्रामोद्योग उत्पाद की अनुसूची में बायोगैस प्लाण्ट का उल्लेख नहीं है । अतएव बायोगैस प्लाण्ट के निर्माता कच्चा माल इत्यादि कर मुक्त क्रय करने के लिए अधिकृत नहीं है । इस प्रकार उक्त बिक्रय को कर लगाने से मुक्त कर देने के फलस्वरुप 1.13 लाख रुपए कर कम आरोपित किया गया ।

मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक नई औद्योगिक इकाइयों को कतिपय शर्तों की पूर्ति पर विनिर्दिष्टमान वस्तुओं के बिक्रय पर करारोपण से छूट का प्रावधान है । विभागीय परिपत्र दिनांक 17 मार्च 1986 के अनुसार उन इकाइयों को जिनके अपने नाम विद्युत कनेक्शन नहीं है, देय कर से छूट की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 1989) कि एक व्यापारी को टेलीविजन के निर्माण एवं बिक्री के लिए दिनांक 18 नवम्बर 1983 से पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। व्यापारी ने वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 की अवधि में 64.42 लाख रुपए के टेलीविजन सेट का बिक्रय किया । यद्यपि व्यापारी के नाम विद्युत कनेक्शन नहीं था, तथापि उक्त बिक्री को कर मुक्ति प्रदान कर दी गई । अनियमित छूट के कारण 7.73 लाख रुपए कर कम आरोपित हुआ ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 28 जनवरी 1985 तक नई औद्योगिक इकाइयाँ या तो कच्चे माल के क्रय पर धारा 4-ख के अधीन कर में छूट की सुविधा ले सकती थी या धारा 4-क के अधीन अपने द्वारा निर्मित निर्दिष्ट माल के विक्रय पर कर मुक्ति की सुविधा ले

सकती थी। दिनांक 29 जनवरी 1985 से इकाइयाँ धारा 4-ख के अधीन कर में छूट के साथ धारा 4-क के अधीन कर मुक्ति की सुविधा भी ले सकती थी । किन्तु, यदि औद्योगिक इकाई ने उपरोक्त दिनांक के पूर्व कच्चे माल के क्रय पर कर में छूट ले लिया था तो कच्चे माल से निर्मित माल के बिक्रय पर धारा 4-क के अन्तर्गत कर मुक्ति अनुमन्य नहीं होगी ।

बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि धारा 4-ख के अन्तर्गत आटा, मैदा तथा सूजी के निर्माण के लिए मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 में (दिनांक 29 जनवरी 1985 के पूर्व) 90.09 लाख रुपए का गेहूं प्रपत्र III-ख के आधार पर कर मुक्त क्रय किया । उपरोक्त गेहूं से निर्मित 64.10 लाख रुपए के आटा, मैदा और सूजी के बिक्रय को धारा 4-क के अन्तर्गत कर मुक्तिप्रदान कर दी गई । इसके फलस्वरुप 2.69 लाख रुपए कर आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक नई औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित वस्तुओं की बिक्री पर कतिपय शर्तों के अधीन कर से छूट का प्रावधान है । जिस अवधि में इकाई ने ग्राहकों से कर वसूल किया है, उसमें कर से छूट की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

बिक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1988) कि 3 नवम्बर 1982 से एच.डी.पी.ई. बैग्स के निर्माण एवं बिक्री हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने नवम्बर 1982 से फरवरी 1983 के दौरान 11.96 लाख रुपए के एच.डी.पी.ई. बैग्स विक्रय किया तथा 29,312 रुपए बिक्रीकर वसूल किया । इन विक्रियों पर निर्धारित दर से कर की धनराशि 69,534 रुपए बनती थी । 30 मार्च 1987 को कर निर्धारण के समय उक्त बिक्रियों को कर मुक्ति प्रदान कर दी गई । इसके फलस्वरुप 69,534 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत दिनांक 7 सितम्बर 1981 से अवर्गीकृत वस्तुओं के सकल बिक्रय धन पर 8 प्रतिशत की दर से कर देयता है एवं स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर से कर देयता है । धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक व्यापारी यदि वस्तु विशेष के अलावा किसी अन्य वस्तु का बिक्रय करता है तो उसके विक्रय पर कर मुक्ति अनुमन्य नहीं है ।

बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1991) कि पान मसाला के निर्माण एवं बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में राज्य के बाहर से स्टेनलेस स्टील चम्मच 2.13 लाख रुपए तथा प्लास्टिक चम्मच 2.80 लाख रुपए में क्रय किया और उन्हें पान मसाला के साथ विक्रय कर दिया । ऐसी बिक्री पर कर मुक्ति दे दी गई । चूंकि व्यापारी चम्मचों के विक्रय के लिए पात्रता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया था, उनके विक्रय पर वह कर मुक्ति के लिए अधिकृत नहीं था । अनियमित कर मुक्ति के फलस्वरूप 55,761 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

2.6 माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप कर का कम आरोपण होना

(क) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उन वस्तुओं पर, जिन्हें अन्यथा कहीं वर्गीकृत न किया गया हो , निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त 1अक्टूबर 1983 से 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से अनाच्छादित अघोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से, अथवा राज्य के अन्दर उस माल की खरीद या बिक्री पर देय कर की दर से , जो भी अधिक हो कर आरोपणीय है । पुनः उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर, यदि नियत तिथि तक जमा न किया गया हो तो जमा न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपणीय है ।

(I) बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में 52,281 रुपए की प्रदेश के अन्दर तथा 51.83 लाख रुपए की प्रदेश के बाहर स्वनिर्मित इलास्टिक यार्न की बिक्री की । इन बिक्रियों पर अवर्गीकृत की भाँति राज्य के भीतर अतिरिक्त कर सहित 8.8 प्रतिशत की दर एवं राज्य के बाहर 10 प्रतिशत की दर के बजाय उसे "सभी प्रकार का यार्न" मानते हुए 2.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । माल के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 4.08 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ। चूंकि यह स्वीकृत रुप से देय कर था, अतः इस पर कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान 17.09 लाख रुपए मूल्य के कापर स्ट्रिप्स तथा शीट्स इत्यादि का विक्रय किया । कापर शीट्स तथा सर्किल्स अधिनियम के अन्तर्गत अलग से वर्गीकृत नहीं की गई हैं । इन बिक्रियों पर सही दर 8.8 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के बजाय इन वस्तुओं को धातु मानते हुए 2.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप 1.13 लाख रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ । स्वीकृत रुप से देय कर होने के कारण इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जमा करने की तिथि तक व्यापारी पर ब्याज भी प्रभार्य है ।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iii) बिक्रीकर मण्डल, बरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1991) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1986-87 में "पोस्तादाना" की 70 लाख रुपए की बिक्री निश्चित की गई । इस बिक्री पर6.6 प्रतिशत की दर से बिक्री कर आरोपित किया गया । चूंकि पोस्तादाना वर्गीकृत नहीं है इसकी बिक्री पर 8.8 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था । गलत दर से कर लगाए जाने के फलस्वरूप 1.54 लाख रुपए कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991) विभाग ने (दिसम्बर 1991) में सूचित किया कि अब कर निर्धारण संशोधित करके 1.54 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

प्रकरण शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iv) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1989) कि वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में एक व्यापारी ने 8.38 लाख रुपए के कोल ऐश की बिक्री की। इन बिक्रियों पर अतिरिक्त कर को सम्मिलित करते हुए 31 अक्टूबर 1985 तक 4.2 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से 4.4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । चूंकि कोल ऐश अधिनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है, अतः इन बिक्रियों पर सही दर क्रमशः 8.4 प्रतिशत तथा 8.8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । गलत दर से कर आरोपित करने के फलस्वरूप 36,415 रुपए कर कम आरोपित हुआ । चूंकि यह स्वीकृत रुप से देय कर था, अतः इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कर जमा करने की तिथि तक व्याज भी प्रभार्य था ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

2.7 कर का गलत दर पर लगाया जाना

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत बिजली के सामान के विक्रय धन पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 1983 से कर के 5 प्रतिशत की दर से एवं 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है तथा स्वीकृत रुप से देय कर यदि समय से जमा न किया गया तो 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज प्रभार्य है ।

बिक्रीकर मण्डल , कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि वर्ष 1985-86 में एक व्यापारी द्वारा बेचे गए बिजली के सामान की 24.54 लाख रुपए की बिक्री पर 12 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से कर लगाए जाने के फलस्वरुप 1.05 लाख रुपए (अतिरिक्त कर सहित) कर कम आरोपित किया गया । चूंकि यह व्यापारी का स्वीकृत रुप से देय कर था , अतः इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1991) , विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर दिया गया है एवं 1.05 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । कर की वसूली एवं ब्याज के आरोपण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उन वस्तुओं की बिक्री पर जिन्हें अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो, दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अचार और मुरब्बा वर्गीकृत नहीं किए गए है । फलों के रस एवं शीतल पेय पर दिनांक 12 अक्टूबर 1983 से 12 प्रतिशत की दर से कर देय था । इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है । स्वीकृत रुप से देय कर का भुगतान यदि नियत तिथि तक नहीं किया गया तो 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य है ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1991) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1988-89 में प्रांत बाहर से आयातित अचार एवं मुरब्बा की 40.24 लाख रुपए की बिक्री तथा फलों के रस एवं शीतल पेय की 2.41 लाख रुपए की बिक्री किया । इनकी बिक्रियों पर सही दर क्रमशः 8.8 प्रतिशत तथा 13.2 प्रतिशत के बजाय 6.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरुप अतिरिक्त कर सहित 1.04 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ । स्वीकृत कर होने के कारण 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत सोडा वाटर, लेमोनेट तथा अन्य मृदु पेय पदार्थों पर दिनांक 6 सितम्बर 1981 तक 11 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से तत्पश्चात् 12 प्रतिशत की दर से कर देय था । इसके अतिरिक्त , यदि सकल विक्रय धन, 10 लाख रुपए से अधिक हो तो दिनांक 1 अक्टूबर 1983 से कर के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय था ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1989) कि वर्ष 1981-82 तथा 1984-85 में एक व्यापारी द्वारा ऐरेटेड वाटर तथा शीतल पेय की बिक्री क्रमशः 4 लाख रुपए एवं 8 लाख रुपए निर्धारित की गई । व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में 7.08 लाख रुपए के मृदुपेय की बिक्री की । इन बिक्रियों पर दिनांक 6 सितम्बर 1981 तक 11 प्रतिशत की दर से,तत्पश्चात् 12 प्रतिशत की दर के बजाय 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से कर लगाए जाने के फलस्वरुप 93,727 रुपए का कर (अतिरिक्त कर को सम्मिलित करते हुए) कम आरोपित किया गया । चूंकि वर्ष 1983-84 में व्यापारी द्वारा स्वीकृत रुप से देय कर था, अतः उस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जमा होने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1989) विभाग ने जुलाई 1991 में बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिए गए हैं एवं वर्ष 1981-82 तथा 1983-84 के लिए 56,320 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । वर्ष 1984-85 के लिए की गई कार्यवाही की सूचना अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्ट्रा बोर्ड की बिक्री पर निर्माणकर्ता या आयातकर्ता द्वारा 6 जून 1985 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर 1985 से देय कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है ।

(क) बिक्रीकर मण्डल, फैजाबाद की लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 1992) कि वर्ष 1986-87 में एक व्यापारी के स्ट्रा बोर्ड की बिक्री 40 लाख रुपए निर्धारित की गई तथा सही दर 11 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के बजाय 8.8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से करारोपण के कारण 88,000 रुपए कर कम निर्धारित हुआ ।

मामला विभाग तथा शासन को मई 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, सहारनपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1989) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1985-86 , 1986-87 एवं 1987-88 में क्रमश: 4.20 लाख रुपए , 8.00 लाख रुपए एवं 4.08 लाख रुपए की स्ट्रा बोर्ड की बिक्री निश्चित की गई जिस पर सही दर 10 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से करारोपण के फलस्वरुप अतिरिक्त कर सहित 35,212 रुपए कर कम आरोपित हुआ ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को सितम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत रसायनों की बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से निर्माता अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । 1 नवम्बर 1985 से देय कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, मेरठ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में क्रमश: 6.39 लाख रुपए एवं 27.46 लाख रुपए के "ब्लीचिंग पाउडर" की बिक्री की, जिसपर रसायनों पर आरोपणीय सही दर 8.8 प्रतिशत के बजाय उसे वाशिंग मटेरियल मानते हुए 6.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण 74,465 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(vi) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत दिनांक 6 जून 1985 से सीमेण्ट की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है । दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है तथा स्वीकृत रुप से देयकर यदि समय से न जमा किया गया तो जमा न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी आरोपणीय है ।

(क) बिक्रीकर मण्डल, मुजफ्फरनगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 में 23.50 लाख रुपए में हाई अलूमिना सीमेण्ट एवं फायर सीमेण्ट का बिक्रय किया । इन बिक्रियों पर सही दर 11 प्रतिशत के बजाय 8.8 प्रतिशत की दर से (अतिरिक्त कर सम्मिलित करते हुए) कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरुप 51,707 रुपए का कर कम आरोपित हुआ । कर स्वीकृति रुप से देय होने के कारण इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य है।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1991) कि लोक निर्माण विभाग के एक खण्ड द्वारा वर्ष 1986-87 में ठेकेदारों को 18.81 लाख रुपए के सीमेण्ट की आपूर्ति की गई । इस बिक्री पर 11 प्रतिशत (अतिरिक्त कर को सम्मिलित करते हुए) के स्थान पर 8.8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से कर आरोपित करने के कारण 41,371 रुपए कर कम आरोपित हुआ । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था, 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज प्रभार्य है ।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 1991 में चूक के इंगित किए जाने पर विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 41,371 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(vii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मिठाई , नमकीन, पके हुए भोजन आदि पर उपभोक्ता के बिन्दु पर दिनांक 1 जून 1985 से 5 प्रतिशत की दर से कर देय है । इसके अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 1983 तथा 1 नवम्बर 1985 से क्रमशः कर के 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल , कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1990) कि एक व्यापारी द्वारा मिठाई, नमकीन , पके हुए भोजन आदि की कुल बिक्री वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में क्रमशः 17.50 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए पर 1 जून 1985 से बिक्रियों पर सही दर 5 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया । गलत दर से करारोपण के फलस्वरुप 37,155 रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1991) विभाग ने फरवरी 1992 में बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित करके 37,155 रुपए की अतिरिक्त माँग सृजित कर दी गई थी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुए थी ।

मामला शासन को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया ।

2.8 क्रयकर का आरोपित न किया जाना / कम आरोपित किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क कक्क के अन्तर्गत , ऐसी वस्तु जिनपर अपभोक्ता को की गई बिक्री के बिन्दु पर कर देयताहै, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है , परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत बिक्रेता द्वारा बिक्री कर देय नहीं होता और क्रेता व्यापारी उस वस्तु को उसी रूप एवं अवस्था में, जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर प्रान्त में कर योग्य है । पुनश्च अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत स्वीकृत कर के समय से भुगतान न करने पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज भी देय है ।

(i) बिक्रीकर मण्डल , ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने 11.22 लाख रुपए के पुराने एवं निष्प्रयोज्य प्लास्टिक के जूते एवं चप्पल वर्ष 1983-84 से 1986-87 के दौरान अपंजीकृत व्यापारियों से कर मुक्त खरीदा और उससे नए जूते एवं चप्पलों का निर्माण किया । चूंकि व्यापारी ने पुरानी एवं निष्प्रयोज्य वस्तुओं की उसी रूप एवं अवस्था में बिक्री नहीं की जिस अवस्था में उन्हें खरीदा था, अतः व्यापारी 79,386 रुपए क्रय कर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया । चूंकि कर स्वीकृत रुप से देय था , अतः व्यापारी से 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग एवं सरकार को क्रमशः फरवरी 1992 तथा मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल, सहारनपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1990) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 , 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान क्रमशः 1.42 लाख रुपए , 3.12 लाख रुपए तथा 2.15 लाख रुपए मूल्य के पुराने एवं निष्प्रयोज्य पी.वी.सी. जूते एवं चप्पलें अपंजीकृत व्यापारियों से बिना कर दिए हुए क्रय किया और उससे जूते एवं चप्पलों का निर्माण किया । चूंकि व्यापारी ने पुराने एवं निष्प्रयोज्य जूते एवं चप्पलों को उसी रूप एवं अवस्था में नहीं बेचा जिसमें इनकी खरीद की गई थी । अतः व्यापारी 55,225 रुपए क्रय कर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया । चूंकि यह व्यापारी को स्वीकृत रुप से देय कर था, अतः इसपर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग एवं शासन को मई 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iii)(क) बिक्रीकर मण्डल, सहारनपुर की लेखापरीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 में 3.91 लाख रुपए की पुरानी निष्प्रयोज्य बोरियाँ (गनी बैग्स) अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किया और धज्जी बना कर विक्रय किया । व्यापारी 34,406 रुपए क्रय कर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) इसी प्रकार, एक और व्यापारी ने वर्ष 1986-87 के दौरान 4.43 लाख रुपए की पुरानी निष्प्रयोज्य बोरियाँ (गनी बैग्स) अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किया और उनसे धज्जी बनाकर कागज के निर्माताओं को विक्रय किया । व्यापारी 39,014 रुपए क्रय कर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 की धारा 3-छ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग व केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियन्त्रित कम्पनी या उपक्रमों को (निर्धारित घोषणा प्रपत्रों III-डी से समर्थित) बिक्रियों पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से इस शर्त के साथ कर लगाने का प्रावधान है कि ऐसे विभागों द्वारा उन वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा या बिक्री हेतु अन्य वस्तुओं के निर्माण में अथवा पैकिंग में प्रयोग नहीं किया जाएगा । इन शर्तों के उल्लंघन किए जाने की दशा में विभाग तथा उपक्रम आरोपणीय कर तथा रियायती दर पर आरोपित कर के बराबर क्रय कर भुगतान करने के लिए दायी होगा । इसके अतिरिक्त , 1 अक्टूबर 1983 से कर के 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । यदि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर समय से जमा नहीं किया है तो न जमा किए गए कर पर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय है ।

(क) बिक्रीकर मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में घोषणा प्रपत्र III-डी के आधार पर 9.50 लाख रुपए मूल्य के एच0डी0पी0 बैग्स की बिक्री रियायती दर से एक सरकारी उपक्रम को किया जिसका उपयोग उस उपक्रम ने वस्तुओं के बिक्रय हेतु पैकिंग में किया । अतः उपक्रम 40,216 रुपए (अतिरिक्त कर सहित) क्रय कर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित किए जाने से छूट गया । इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा में चूक इंगित करने पर (फरवरी 1992) विभाग ने बताया (सितम्बर 1992) कि 39,916 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है (मार्च 1992)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(ख) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1990) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 5.23 लाख रुपए के परिशोधित मूंगफली के तेल की बिक्री प्रपत्र III-डी में घोषणा प्रपत्रों के आधार पर केन्द्र सरकार के एक उपक्रम को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर की। परिशोधित मूंगफली के तेल का प्रयोग उपक्रम द्वारा कैण्टीन में बिक्रय हेतु भोजन बनाने में किया गया। इस लिए उपक्रम 33,644 रुपए क्रयकर के भुगतान का दायी था, जो आरोपित करने से रह गया।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1990) विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि 33,644 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई। वसूली पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993)।

मामला सरकार को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लीसा की खरीद पर दिनांक 1 सितम्बर 1981 से प्रथम क्रय के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर देय है। एक नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। स्वीकृत रूप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो उस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय हो जाता है।

बिक्रीकर मण्डल, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1991) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में क्रमशः 8.8 लाख रुपए तथा 2.93 लाख रुपए के लीसा की प्रथम खरीद पर सही दर 8 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से क्रय कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर सहित 46,556 रुपए क्रय कर कम आरोपित हुआ। चूंकि व्यापारी द्वारा यह स्वीकृत रूप से देय कर था। अतः इस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य था।

प्रकरण विभाग को जून 1991 में तथा शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

2.9 अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 . के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 1992) कि एक व्यापारी ने 1986-87 में 242.34 लाख रुपए का रसायन विक्रय किया, जिसपर 8 प्रतिशत की दर से 19.39 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । इस कर पर 10 प्रतिशत की दर से 1.94 लाख रुपए अतिरिक्त कर आरोपित होने से छूट गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1992) कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटि का सुधार कर दिया एवं 1.94 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को जून 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) न्यायिक रुप से यह निर्णीत* किया गया है कि राज्य अधिनियम के अन्तर्गत बिक्रीकर के रुप में जो भी देय है वही अन्तर्राज्यीय बिक्री के समय केन्द्रीय बिक्रीकर के रुप में देय होगा । उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1991) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 में 57.60 लाख रुपए के थर्मोस्टेट की अन्तर्राज्यीय बिक्री की जो घोषणा प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से आच्छादित नहीं थी । इन बिक्रियों पर राज्य में देय सही दर 13.2 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरुप 69,115 रुपए कर का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

---

* सत्य नारायण स्पिनिंग मिल्स बनाम कामर्शियल टैक्स आफीसर, आंध्र प्रदेश (एस.टी.आई. 1988 सी.एस.टी.)ए.डी. - 29

2.10 ब्याज का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी से, जो कर के भुगतान का दायी है, अपेक्षित है कि निर्धारित अवधि में अपने बिक्रयधन के परिलेखों का ब्यौरा प्रस्तुत करे तथा परिलेख में दर्शाए विक्रय धन पर देय कर जमा करे । अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा स्वीकृत रुप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा न किया गया हो तो जमा न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपणीय है । स्वीकृत रुप से देय कर का अभिप्राय उस कर से है जो अधिनियम के अन्तर्गत आपत्ति पर देय है जिसे व्यापारी ने अपने लेखों में घोषित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही में स्वीकार किया हो ।

(i) बिक्रीकर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 1989) कि एक व्यापारी का वर्ष 1983-84 का कर निर्धारण दिनांक 15 सितम्बर 1987 को किया गया तथा 5.56 लाख रुपए का कर आरोपित किया गया , जिसमें से व्यापारी ने अपने मासिक परिलेखों के साथ 4.96 लाख रुपए जमा कर दिया था । शेष धनराशि 59,415 रुपए दिनांक 19 जनवरी 1988 तथा 2 फरवरी 1988 को जमा की गई । अतएव व्यापारी 58,311 रुपए ब्याज के भुगतान का दायी था, जो प्रभारित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1989) विभाग ने बताया (अगस्त 1990) कि 58,311 रुपए ब्याज की गणना कर ली गई थी । सृजित मांग तथा वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1989 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल , मिर्जापुर की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1990) कि वन प्रभाग के एक प्रखण्ड ने 55.77 लाख रुपए के तेंदूपत्ते की बिक्री जनवरी 1985 में किया तथा उस पर देय कर 5.58 लाख रुपए ! जुलाई 1985 को जमा किया जो 28 फरवरी 1985 तक जमा हो जाना था । वन प्रखण्ड 1 मार्च 1985 से 30 जून 1985 की अवधि के लिए 44,618 रुपए ब्याज के भुगतान का दायी था, जो प्रभारित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1991) विभाग ने फरवरी 1992 में बताया की 44,618 रुपए ब्याज की मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला सरकार को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

2.11 विक्रय धन का कर निर्धारण से छूट जाना

बिक्रीकर मण्डल , गोरखपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अक्टूबर 1991) कि राज्य सरकार के एक निगम ने वर्ष 1986-87 में लकड़ी एवं जलौनी लकड़ी की बिक्री क्रमशः 10.47 करोड़ रुपए तथा 1.20 करोड़ रुपए घोषित किया जो निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार की गई तथा तदनुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया ।

बिक्री खातों की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि लकड़ी तथा जलौनी लकड़ी की विक्रय धनराशि वास्तव में क्रमशः 10.50 करोड़ रुपए एवं 1.47 करोड़ रुपए थी । इस प्रकार 30 लाख रुपए की विक्रय धनराशि कर आरोपित करने से छूट गई जिसके कारण 1.58 लाख रुपए (अतिरिक्त कर सम्मिलित करते हुए) कर कम आरोपित किया गया । स्वीकृत रुप से देय कर होने के कारण 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

2.12 गणना में त्रुटि

(i) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 26 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, गाजीपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991) कि वर्ष 1986-87 में एक आसवनी पर उसके द्वारा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री 60 लाख रुपए निर्धारित किया गया । गणना में त्रुटि के फलस्वरूप 15.60 लाख रुपए के बजाय 1.56 लाख रुपए कर आंकलित किया गया । इस प्रकार गणना में त्रुटि के फलस्वरुप 14.04 लाख रुपए कर कम निर्धारित हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, लखनऊ की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 1992) कि एक व्यापारी ने 1 नवम्बर 1985 से 31 मार्च 1986 की अवधि में 219.92 लाख रुपए मूल्य के मोटर के पुर्जों का विक्रय किया तथा इस बिक्री पर 21.99 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । कर पर 10 प्रतिशत की दर से 2.20 लाख रुपए अतिरिक्त कर आंकलित होता है, परन्तु गणना में त्रुटि के कारण यह 29,922 रुपए आकलित किया गया, जिसके फलस्वरुप 1.90 लाख रुपए कर का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1992) कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटि का सुधार कर दिया (जनवरी 1992) तथा 1.90 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 1993)।

प्रकरण शासन को जून 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दालों के बिक्रय पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, धामपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1990) कि एक व्यापारी पर वर्ष 1988-89 में दाल का विक्रय धन 22 लाख रुपए निर्धारित करते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गणना में त्रुटि के कारण कर की धनराशि 88,000 रुपए के बजाय 44,000 रुपए आंकलित की गई । जिसके फलस्वरुप 44,000 रुपए का कर कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1990) कर निर्धारण अधिकारी ने नवम्बर 1990 में बताया कि गणना में त्रुटि का निराकरण करते हुए 44,000 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ।

राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा अभिलेखों के जांच परीक्षण से 289 मामलों में 416.16 लाख रुपए के शुल्क और फीस के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	अधिक मार्गस्थ / भण्डारण छीजन	24	24.03
2.	निर्यात पास फीस का कम लगाया जाना	9	18.56
3.	ब्याज का न लगाया जाना	26	11.42
4.	प्रशमन शुल्क / अर्थदण्ड का वसूल न किया जाना	25	3.06
5.	अन्य अनियमितताएं	205	359.09
	योग	**289**	**416.16**

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 20 मामले निहित धनराशि 52.62 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 18 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 49.80 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए । विभाग / शासन ने 11 मामलों में निहित 19.81 लाख रुपए की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 6.96 लाख रुपए जनवरी 1993 तक वसूल कर लिए गए थे । कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

3.2 मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना

स्पिरिट निर्गम नियमावली, 1910 (1978 में यथा संशोधित) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत आसवनियों से लकड़ी के पीपों या धातु के पात्रों में बाण्ड (बन्ध-

पत्र) के अधीन परिवहित स्पिरिट में हुई वास्तविक मार्गस्थ हानि (रिसन, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से) के लिए 0.5 प्रतिशत तक छूट स्वीकार्य है। जब स्पिरिट बन्द बोतलों अथवा पाउचों में परिवहित की जाती है, मार्गस्थ हाँनि हेतु नियमों में किसी छूट का प्रावधान नहीं है तथा इस प्रकार की छीजन पर संबंधित उप-आबकारी आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत, जिन्हें आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा छीजन आख्या (वेस्टेज स्टेटमेंट) भेजी जाती है, आसवकों से आबकारी शुल्क वसूल किया जाना होता है ।

मझोला (जनपद पीलीभीत) तथा रामपुर की दो आसवनियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (क्रमशः मई 1991 तथा जुलाई 1991) कि 32.58 लाख अल्कोहलिक लीटर (ए.एल.) देशी स्पिरिट बन्द बोतलों अथवा पाउचों में विभिन्न बन्धित गोदामों को अप्रैल 1990 तथा मार्च 1991 की अवधि के मध्य परिवहित की गई थी । बन्द बोतलों या पाउचों के मामले में 60,904.80 ए.एल. मार्गस्थ छीजन हुई । इन छीजनों पर आरोपणीय आबकारी शुल्क 20.25 लाख रुपए था, जो आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

क्रम संख्या	आसवनी का नाम	परेषण की संख्या	देशी स्पिरिट का प्रकार	परिवहित मात्रा (लाख ए.एल. में)	पैकिंग का प्रकार	कुल मार्गस्थ छीजन (ए.एल.में)	शुल्क वसूली योग्य (लाख रुपए में)
1.	मझोला (पीलीभीत)	540	मसालेदार	10.39	बन्द बोतलों तथा पाउचों में	19,446.0	6.48
2.	रामपुर	1053	मसालेदार	20.74		37,794.4	12.60
			सादी	1.45	तदैव	3,664.4	1.17
	योग			**32.58**		**60,904.8**	**20.25**

मामले विभाग तथा शासन को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 1993) ।

3.3 त्रुटिपूर्ण निर्यात शुल्क की दर लगाए जाने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आबकारी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से मदिरा को या तो देशी मदिरा या विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है। आसवन प्रक्रिया से प्राप्त देशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर या तो सादी / मसालेदार स्पिरिट अथवा आउटस्टिल लिकर होती है और विदेशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर रेक्टीफाइड स्पिरिट होती है । यह स्पिरिट जिसकी सान्द्रता 60 डिग्री ओ.पी. से कम की है अर्थात् जिसमें अल्कोहल की आयतनिक मात्रा 91.27 प्रतिशत से कम है, सादी स्पिरिट कही जाती है तथा वह स्पिरिट जिसमें 60 डिग्री ओ.पी. और इससे अधिक की सान्द्रता हो रेक्टीफाइड स्पिरिट के नाम से जानी जाती है । इस प्रकार की स्पिरिट, जिसमें आयतनिक सान्द्रता 42.8 प्रतिशत से अधिक होती है, मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं होती । अतः 60 डिग्री ओ.पी. से कम सान्द्रता की सादी स्पिरिट, चाहे वह शीरा के आसवन अथवा माल्ट के आसवन से प्राप्त की गई हो विदेशी मदिरा नहीं है और आबकारी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । राज्य सरकार ने अपनी 25 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना में देशी मदिरा (जिसके अन्तर्गत ताड़ी और किण्वित अल्कोहल पेय नहीं है) तथा विदेशी मदिरा (जिसके अन्तर्गत बियर और मानव उपभोग से भिन्न स्पिरिट नहीं है) पर क्रमशः 7.00 रुपए तथा 2.50 प्रति अल्कोहलिक लीटर का शुल्क निर्धारित किया है ।

रोजा (शाहजहाँपुर) स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (फरवरी 1991) कि आसवनी द्वारा (जून 1990 से जनवरी 1991 की अवधि में) 60 डिग्री ओ.पी. से कम सान्द्रता (आयतनिक सान्द्रता 53.2 प्रतिशत से 85.6 प्रतिशत तक की) शीरा तथा माल्ट स्पिरिट की 90,721.60 अल्कोहलिक लीटर मात्रा (शीरा स्पिरिट की 34,056 अल्कोहलिक लीटर तथा माल्ट स्पिरिट की 56,665.60 अल्कोहलिक लीटर) उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात की गई थी । उपर्युक्त स्पिरिट के निर्यात पर 7.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर के बजाय 2.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से शुल्क वसूल किया गया जिसके फलस्वरुप 4.08 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (फरवरी 1991), विभाग ने बताया कि आबकारी आयुक्त के उक्त निर्यात आदेश पत्र के निर्देशों के अनुरुप विदेशी मदिरा की दर से निर्यात शुल्क वसूल किया गया था । यह पुनः बताया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 1990 के अन्तर्गत भारत में तैयार की गई माल्ट स्पिरिट को विदेशी मदिरा के रुप में वर्गीकृत किया गया है । विभाग का तर्क इस दृष्टिकोण से मान्य नहीं है कि 60 डिग्री ओ.पी. से कम (अल्कोहल की आयतनिक मात्रा 53.2 प्रतिशत से 85.6 प्रतिशत तक) सान्द्रता की माल्ट सादी स्पिरिट, जैसा कि दिए गए मामलों में है , पीने या मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं होती, देशी मदिरा की श्रेणी में आती है । इसी इकाई की लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया (फरवरी 1991) कि दिसम्बर 1989 , मार्च 1990 तथा सितम्बर 1990 में उसी प्रकार की

शीरा एवं स्पेशल रम स्पिरिट (आयतनिक सान्द्रता 77.0 प्रतिशत से 78.0 प्रतिशत तक) के निर्यात शुल्क देशी मदिरा की दर 7 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर के अनुसार वसूल किया गया था ।

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

3.4 . क रेक्टीफाइड स्पिरिट के निर्यात पर निर्यात पास फीस न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत 60 डिग्री ओ.पी. अथवा आयतन में 91.27 प्रतिशत तथा इससे ऊपर की सान्द्रता की स्पिरिट परिशोधित स्पिरिट है जो विदेशी मदिरा की श्रेणी में आती है। यह स्पिरिट मानव उपभोग के योग्य नहीं है । राज्य सरकार ने नवम्बर 1989 की अधिसूचना द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर 2 रुपए प्रति बल्क लीटर पास फीस निर्धारित किया । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने मार्च 1991 की अधिसूचना द्वारा पीने योग्य परिशोधित स्पिरिट के निर्यात पर पास फीस की दर 25 मार्च 1991 से 4 रुपए से बढ़ा कर 5 रुपए प्रति बल्क लीटर कर दिया । विदेशी मदिरा (बियर को छोड़कर) जो मानव उपभोग के योग्य होती है निर्यात शुल्क आकर्षित करती है न कि निर्यात पास फीस ।

(i) शाहजहाँपुर जिले में स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 1991) कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के जून 1990 के आदेश के अनुसार आयतन में 91.3 प्रतिशत सान्द्रता की भारत में निर्मित विदेशी मदिरा जो मानव उपभोग के योग्य नहीं थी, उसकी 60,000 बल्क लीटर अथवा 54,780 अल्कोहलिक लीटर मात्रा जून एवं जुलाई 1990 में उत्तर प्रदेश के बाहर पेय उपयोग हेतु निर्यात की गई । इस पर 4 रुपए प्रति बल्क लीटर की दर से निर्यात पास फीस के बजाय 2.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से निर्यात शुल्क लिया गया । निर्यात पास फीस के स्थान पर निर्यात शुल्क लगाए जाने के फलस्वरुप 1.03 लाख रुपए राजस्व की हाँनि हुई ।

मामला विभाग एवं सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) गाजियाबाद जिले में स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जनवरी 1992) कि आयतन में 91.4 प्रतिशत सान्द्रता की भारत में निर्मित विदेशी मदिरा जो मानव उपभोग के योग्य नहीं थी, उसकी 1,15,000 बल्क लीटर अथवा 1,05,110 अल्कोहलिक लीटर मात्रा मार्च 1991 से सितम्बर 1991 के बीच उत्तर प्रदेश के बाहर पेय उपभोग हेतु निर्यात की गई । इस पर 5 रुपए प्रति बल्क लीटर की दर से निर्यात पास फीस के बजाय 2.50 रुपए प्रति आल्कोहलिक लीटर की दर से 9140 अल्कोहलिक लीटर पर तथा 3.00 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से 95,970 अल्कोहलिक लीटर मात्रा पर निर्यात शुल्क लिया गया । निर्यात पास फीस के स्थान पर गलत दर से निर्यात शुल्क लगाए

जाने के फलस्वरुप 2.64 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

मामला विभाग एवं सरकार को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) परिशोधित स्पिरिट पर निर्यात पास फीस का कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित निर्यात पास फीस का भुगतान करने पर परिशोधित स्पिरिट का निर्यात किया जा सकता है । मार्च 1991 में निर्गत शासकीय विज्ञप्ति द्वारा 25 मार्च 1991 से परिशोधित स्पिरिट पर निर्यात पास फीस की दर 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बल्क लीटर कर दी गई थी ।

रामपुर स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 1991) कि 25 मार्च 1991 से 31 मार्च 1991 की अवधि के दौरान 1.12 लाख बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट, 5 रुपए की पुनरीक्षित दर के बजाय 4 रुपए प्रति बल्क लीटर की दर से निर्यात पास शुल्क का भुगतान करके उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात की गयी । इसके फलस्वरुप 1.12 लाख रुपए का निर्यात पास शुल्क कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जुलाई 1991) विभाग ने लेखापरीक्षा के बिन्दुओं को स्वीकार किया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

मामला विभाग एवं सरकार को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

3.5 आबकारी राजस्व का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाता है तथा अनुज्ञापन सामान्यतः उच्चतम बोली बोलने वाले को प्रदान किया जाता है । सफल बोली बोलने वाले द्वारा बोली की धनराशि की एक चौथाई अग्रिम प्रतिभूति के रुप में जमा किया जाना अपेक्षित है । इस धनराशि का दो तिहाई भाग (सम्पूर्ण बोली की धनराशि का छठवाँ भाग) सार्वजनिक नीलाम में घनापात पर नकद देय है तथा अवशेष एक तिहाई (सम्पूर्ण बोली की धनराशि का बारहवाँ भाग) दस दिन के भीतर नकद, सावधि निक्षेप रसीद अथवा बैंक गारण्टी के रुप में भुगतान किया जाएगा । नियमों में, अप्रैल 1991 से प्रभावी संशोधन के अनुसार नीलामी के दौरान घनापात पर सम्पूर्ण बोली की धनराशि का आठवाँ भाग नकद , तत्पश्चात् 24 वाँ भाग नकद और इसके साथ-साथ 12वाँ भाग या तो नकद या बैंक गारण्टी /

सावधि निक्षेप रसीद के रुप में 10 दिन के भीतर अग्रिम प्रतिभूति के रुप में भुगतान करना होता है । लाइसेंसधारी बोली की धनराशि (अनुज्ञापन शुल्क) की मासिक किस्त को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है । यदि अनुज्ञापन शुल्क की मासिक किस्त के भुगतान में चूक हो तो उसे अनुज्ञापी की अग्रिम प्रतिभूति से वसूल किया जाएगा तथा उसके द्वारा अग्रिम प्रतिभूति की धनराशि में कमी को दस दिन के भीतर पूरा किया जाएगा । यदि अनुज्ञापी ऐसा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा तथा दुकान / दुकानों को अनुज्ञापी के जोखिम पर पुनः नीलाम द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। कोई कमी उसकी बची हुई प्रतिभूति से वसूली योग्य होगी और अवशेष , यदि कोई हो , उसे भू-राजस्व के बकाए के रुप में वसूल किया जाएगा । प्रतिभूति जमा, यदि समपहृत नहीं होती , आबकारी वर्ष (वित्तीय वर्ष) की समाप्ति पर अथवा पूर्व ही प्रत्यर्पित करना अपेक्षित होता है । यदि अनुज्ञापी द्वारा सभी आबकारी देयों का भुगतान कर दिया जाता है तो सावधि निक्षेप रसीद पर प्रोद्भूत ब्याज की धनराशि, फिर भी , शासन में निहित होती है ।

(क) जिला आबकारी कार्यालय, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1991) कि वर्ष 1988-89 के लिए एक समूह की देशी मदिरा की दुकानें तथा दूसरे समूह की विदेशी मदिरा की दुकानें उच्चतम बोली क्रमशः 25.72 लाख रुपए तथा 11.40 लाख रुपए में निस्तारित की गई थीं। अनुज्ञापियों द्वारा देशी मदिरा की दुकान के लिए अग्रिम प्रतिभूति के 6.52 लाख रुपए (5.09 लाख नकद तथा 1.43 लाख रुपए की बैंक गारण्टी) और विदेशी मदिरा की दुकान के लिए 1.90 लाख रुपए नकद भुगतान किया गया । किन्तु अनुज्ञापी अप्रैल 1988 से नवम्बर 1988 तक देशी मदिरा की दुकानों के सम्बन्ध में तथा अप्रैल 1988 से दिसम्बर 1988 तक विदेशी मदिरा की दुकानों के संबंध में अनुज्ञापन शुल्क की मासिक किस्त को प्रत्येक माह की देय तिथि तक जमा करने में असफल रहे । बचे हुए माहों में मार्च 1989 तक , कोई भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया था । दुकानों के व्यवस्थापन एवं उनके चलाने में निम्नलिखित अनियमितताएं बरती गईं:

(i) अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ से ही अनुज्ञापन शुल्क का मासिक किस्त जमा करने में (दो से पांच माहों तक) विलम्ब किया गया । किन्तु प्रतिभूति जमा से वसूली , जिससे हुई कमी को अनुज्ञापी पूरा करते , की कार्यवाही नहीं की गई । पुनश्च अनुज्ञापन को निरस्त करने एवं दुकानों के पुनः नीलाम की कार्यवाही जो नियमों में किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित थी, नहीं की गई । फलस्वरुप अनुज्ञापी दुकानों को सम्पूर्ण अनुज्ञापन वर्ष भर चलाने में सफल रहे , यद्यपि वे निरन्तर मासिक किस्तों के भुगतान में चूक करते रहे ।

(ii) विदेशी मदिरा की दुकान के संबंध में अनुज्ञापी द्वारा की गई प्रतिभूति जमा निर्धारित धनराशि से 95,000 रुपए कम थी । इस अनियमितता के फलस्वरुप अनुज्ञापी को अवांछित लाभ एवं सरकार को तदनुरुप हानि हुई ।

(iii) अनुज्ञापी को देय वापसियों के समायोजन के पश्चात् 3 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी

1.04 लाख रुपए के देयों (50,000 रुपए देशी मदिरा की दुकान से एवं 53,627 रुपए विदेशी मदिरा की दुकान से संबंधित) बिना वसूली के पड़े रहे ।

विभाग द्वारा अवशेष देयों को भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई (जनवरी 1993) ।

चूक के इंगित किए जाने पर (अगस्त 1991) जिला आबकारी अधिकारी बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने की सहमति प्रकट की (अगस्त 1991) । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग एवं सरकार को नवम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) जिला आबकारी कार्यालय, गोण्डा की लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 1991) कि जिले की शहर समूह की विदेशी मदिरा की चार दुकानों का बन्दोबस्त 63.25 लाख रुपए की उच्चतम बोली पर किया गया (मार्च 1991) । अनुज्ञापियों ने 15.86 लाख रुपए (बैंक गारण्टी के रूप में 5.30 लाख रुपए सम्मिलित करते हुए) जमा किया किन्तु वे अप्रैल 1991 तथा मई 1991 की लाइसेंस फीस की मासिक किस्त जमा करने में असफल रहे । अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया (दिनांक 6 मई 1991) तथा दुकानें 6 मई 1991 से 30 जुलाई 1991 तक दैनिक व्यवस्था पर चलाई गई जिससे 9.26 लाख रुपए प्राप्त हुए। दुकानों को दिनांक 30 जुलाई 1991 को कुल 30.01 लाख रुपए अनुज्ञापन शुल्क में पुनः नीलाम किया गया जिसके फलस्वरुप 8.12 लाख रुपए की हानि हुई । परन्तु नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इस धनराशि को चूककर्ता अनुज्ञापियों से वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी ने लेखापरीक्षा के बिन्दुओं को स्वीकार किया तथा वसूली की कार्यवाही करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की (अगस्त 1991) । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग एवं सरकार को अक्टूबर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था,' उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ग) जिला आबकारी अधिकारी, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1992) कि खेरागढ़ ग्रुप (आगरा) की वर्ष 1991-92 हेतु, देशी शराब की दुकानें उच्चतम बोली के आधार पर 73.18 लाख रुपए पर तय की गई । लाइसेंस धारक ने आंशिक प्रतिभूति हेतु 7.07 लाख रुपए की सावधि निक्षेप रसीद, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, आगरा के पक्ष में गिरवीं थी, जमा की। सावधि निक्षेप रसीद को विभाग द्वारा अवमुक्त कर लाइसेंस धारक को इस आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया (4 फरवरी 1992) कि उसके द्वारा सभी आबकारी देयों का भुगतान कर दिया गया था । सावधि निक्षेप

रसीद पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रोद्भूत ब्याज 58,916 रुपए वसूल नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 1992) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु जिला आबकारी अधिकारी, आगरा को निर्देश दिए गए । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को अप्रैल 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

3.6 प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी अनुज्ञा-पत्र रद्द किए जाने अथवा निलम्बित किए जाने वाले मामलों को या अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने वाले मामलों को प्रत्येक मामले में 5,000 रुपए तक प्रशमन शुल्क के भुगतान पर प्रशमित कर सकता है ।

जिला आबकारी अधिकारी , गोण्डा एवं उन्नाव की लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 1991 एवं अक्टूबर 1991) कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान 206 अपराधों का प्रशमन किया गया था और प्रशमन शुल्क 85,340 रुपए आरोपित किए गए थे किन्तु फीस की वसूली नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (अगस्त 1991 एवं अक्टूबर 1991) जिला आबकारी अधिकारी ने लेखापरीक्षा के बिन्दुओं को स्वीकार किया । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग एवं सरकार को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया , उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा में परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की जांच परीक्षण से 184 मामलों में 120.42 लाख रुपए के कर / शुल्क के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	यात्री कर / अतिरिक्त यात्री कर का कम लगाया जाना अथवा न लगाया जाना	108	95.21
2.	मार्गकर का अवनिर्धारण	36	12.50
3.	मालकर का कम लगाया जाना	5	1.63
4.	अन्य अनियमितताएं	35	11.08
	योग	184	120.42

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 8 मामले निहित धनराशि 25.05 लाख रुपए जिन्हें संबंधित विभाग ने स्वीकार किया, जिनमें से 7 मामले निहित धनराशि 1.75 लाख रुपए वर्ष 1991-92 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे । "परिवहन जांच-चौकियों के क्रिया कलाप" पर एक समीक्षा तथा प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 15 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 72.31 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए थे । विभाग / शासन ने 5 मामले में निहित 6.44 लाख रुपए की आपत्तियों को स्वीकार किया । जिसमें से 23,573 रुपए जनवरी 1993 तक वसूल कर लिए गए थे । "परिवहन जांच-चौकियों के क्रिया कलाप" पर समीक्षा सहित कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

4.2 परिवहन जांच-चौकियों का कार्य सम्पादन

4.2.1 परिचय

राज्य सरकार ने टॉल (पथकर) के संग्रह एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग यातायात के सुदृढ़ नियंत्रण एवं

नियमन के उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों से लगी अपनी सीमाओं के अनुकूल स्थानों पर 1 मई 1979 से 22 जांच- चौकियाँ स्थापित कीं । ये जांच- चौकियाँ, पहले से कार्यरत तीन जांच-चौकियों -सिकन्दरा, लोनी तथा गाजियाबाद के अतिरिक्त थीं । समय-समय पर और अधिक जांच-चौकियाँ स्थापित की गईं । मार्च 1992 के अन्त तक राज्य में कार्यरत जांच-चौकियों की संख्या बढ़कर 40 (4 अस्थाई जांच-चौकियों को शामिल करते हुए) हो गई। जाँच-चौकियों के मुख्य कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के बाहर से आने वाले प्रत्येक परिवहन वाहन से पथकर वसूलना, राज्य में आने जाने वाले वाहनों से राज्य को प्राप्त होने वाले करों की वसूली, अन्य राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा निर्गत अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों पर उत्तर प्रदेश में आने वाले वाहनों से इस राज्य के देय करों के बैंक ड्राफ्टों को स्वीकार करना (1 मई 1980 से), उन्हें सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कोषागार / बैंकों को प्रेषित करना तथा वाहनों, जो मोटर गाड़ी अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत संचालित हैं, का चालान करना है ।

4.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

जांच- चौकियाँ जिस उद्देश्य हेतु स्थापित की गई थीं तथा वे उन नियमों और आदेशों के अनुसार कार्य कर रही हैं, तथा इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं, इस कार्य प्रणाली की समीक्षा जनवरी 1992 से मई 1992 की अवधि के दौरान की गई और परिवहन आयुक्त के कार्यालय तथा राज्य में 16 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों, 42 उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों और 40 जांच-चौकियों में से क्रमशः 7 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों*, 4 उपसम्भागीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों**, और 21 जांच-चौकियों*** को इस समीक्षा के अन्तर्गत लिया गया ।

4.2.3 संगठनात्मक व्यवस्था

जांच-चौकियों के नियंत्रण एवं आवश्यक निर्देशों के जारी किए जाने का समस्त उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त पर है । जांच-चौकियों के दिन प्रतिदिन कार्य का नियंत्रण एवं जांच सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों जिनके अधिकार क्षेत्र में जांच-चौकी स्थित है, के द्वारा की जाती है । जांच-चौकियों का कार्य सम्पादन सामान्यतया यात्रीकर अधीक्षक (4), रोकड़िया / लिपिक (4), प्रवर्तन सिपाही (6), चौकीदार / चपरासी (3) और सफाई कर्मी (1) द्वारा किया जाता है ।

---

* आगरा, अलीगढ़, देहरादून, गाजियाबाद, झाँसी, मेरठ और वाराणसी

** बाँदा, मुज्जफरनगर, सहारनपुर और सोनभद्र

*** अम्बाबाय, बागपत, भोपुरा, भोयापुरा, बिछिया, चित्रकूट, डूमण्डगंज, फतेहपुर सीकरी, हामिदपुर रोड, कैराना, कोटवन, कुल्हाल, लोनी, महराजपुर, मसौरा, मोहननगर, मुगर्रा, रक्सा, साहिबाबाद, सैंया और सरसांवा

4.2.4 मुख्य अंश

--- जांच- चौकियों पर कर प्राप्तियों में वृद्धि वहाँ से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि के अनुरुप नहीं रहीं ।

--- अनुकूल स्थानों पर जांच-चौकियों के अभाव में कर अपवंचना की सम्भावना ।

--- 6 बिक्रीकर जांच-चौकियों के समानान्तर जहाँ परिवहन जांच-चौकियाँ स्थापित नहीं की गई, के जांच परीक्षण से पथकर के रुप में 24.11 लाख रुपए की हानि पाई गई ।

--- अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए अस्थाई / विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों से आच्छादित अनुबन्धित वाहनों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन न करने के फलस्वरुप 6.35 लाख रुपए का कर कम वसूल किया गया ।

--- उत्तर प्रदेश में अनुबन्धित वाहनों के अधिकतम किराए में जुलाई 1989 से हुई 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ-साथ अन्य राज्यों के उत्तर प्रदेश में संचालित अनुबन्धित वाहनों के संबंध में यात्री कर की एक मुश्त दरों में वृद्धि न करने के कारण 41.09 लाख रुपए के यात्रीकर की हानि हुई । यदि ऐसा किया गया होता तो इस प्रदेश में केवल 14 जांच-चौकियों से प्रवेश करने वाले अनुबन्धित वाहनों से एक वर्ष में 41.09 लाख रुपए अधिक संग्रहीत किए जा सकते थे ।

4.2.5 जांच-चौकियों द्वारा संग्रहीत राजस्व की गतिविधि

1987-88 से 1990-91 वर्षों के दौरान राज्य की सीमाओं पर स्थापित जांच-चौकियों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या उनसे संग्रहीत करों की धनराशि एवं विभागीय सम्पूर्ण कर-राजस्व और जांच-चौकियों द्वारा संग्रहीत यात्री-कर की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

वर्ष	जांच-चौकियों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या	जांच चौकियों द्वारा संग्रहीत कर-राजस्व	उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण कर-राजस्व	कालम 3 का कालम 4 के प्रति प्रतिशत
		(करोड़ रुपए में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1987-88	12,11,900	12.10	159.35	7.59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1988-89	13,52,166	11.36	214.91	5.29
1989-90	16,56,633	15.64	214.57	7.29
1990-91	17,85,116	15.94	237.11	6.72

उक्त अवधि में वर्ष 1990-91 के अन्त तक वाहनों की संख्या में कुल 47.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जांच-चौकियों पर वसूले गए राजस्व में केवल 31.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई । उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभागीय सम्पूर्ण कर-राजस्व में जांच-चौकियों पर वसूले गए कर का योगदान वर्ष 1987-88 में 7.59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1988-89 में 5.29 प्रतिशत एवं वर्ष 1990-91 में 6.72 प्रतिशत रह गया ।

4.2.6 अनुकूल स्थानों पर जांच-चौकियों का अभाव

राज्य सरकार ने नोटीफाइड एरिया एवं टाउन एरिया द्वारा पूर्ण रूपेण वसूले जा रहे टॉल एवं चुंगी और नगर पालिकाओं द्वारा, ऐसे वाहनों से जो माल को बिना उतारे केवल उनसे गुजरते थे, वसूले जा रहे टॉल को समाप्त कर दिया है (1 मई 1979) । स्थानीय निकायों को हुई इस हानि को पूरा करने के उद्देश्य से शासन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (तदन्तर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत संचालित एवं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मोटर वाहन पर चालीस रुपए प्रति वाहन की दर से (16 अप्रैल 1985 से 60 रुपए बढ़ाया गया) टॉल (पथकर) लगाया। शर्त यह है कि जहां वाहन के संबंध में एक बार पथकर का भुगतान हो चुका है तदन्तर उस वाहन के उसी दिन प्रवेश पर कोई पथकर आरोपणीय नहीं है।

1 मई 1979 से जांच- चौकियों की स्थापना के परिणाम स्वरुप अन्य राज्यों के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्गत अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों पर इस राज्य में आने वाले वाहनों से राज्य को देय करों से संबंधित बैंक ड्राफ्टों को जांच-चौकियों पर देने की योजना 1 मई 1980 से प्रारम्भ हुई ।

पथकर, करों और बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति की अपवंचना की रोकथाम हेतु विभाग / शासन के लिए यह आवश्यक था कि राज्य में प्रवेश मार्गों के सम्भावित स्थानों पर समय से जांच- चौकियों की स्थापना हेतु उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाते। यह भी आवश्यक था कि अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों को भी जांच- चौकियों के नाम के साथ-साथ जनपदीय मुख्यालयों के नाम, जहां वे स्थित हों, सूचित कर दिए

जाते, जिससे कि उन स्थानों पर बैंक ड्राफ्टों का भुगतान किया जा सकता ।

बिक्री-कर विभाग के अभिलेखानुसार 52 जांच-चौकियाँ कार्यरत हैं (4 नेपाल सीमा पर स्थित को सम्मिलित करते हुए तथा 3 जांच-चौकियाँ जिन्हें परिवहन जांच-चौकियों के समानान्तर स्थापित नहीं किया गया को पृथक करते हुए) । इसके विपरीत परिवहन विभाग के अन्तर्गत केवल 40 जांच-चौकियाँ कार्य कर रही हैं । वर्ष 1983 से 1990 तक बिक्री-कर विभाग के समानान्तर 11 जांच- चौकियों के न होने (नेपाल सीमा पर स्थित 4 को छोड़कर) के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई । नन्दगांव और सौंख (जनपद मथुरा), नरैनी (जनपद बांदा) विन्ध्यम गंज और बंभनी (जनपद सोनभद्र) और शिवनी बुजुर्ग (जनपद झाँसी) में स्थित 6 बिक्री-कर जांच-चौकियों जहां पर परिवहन विभाग की जांच-चौकियाँ स्थित नहीं हैं, की जांच के दौरान यह पाया गया कि अन्य प्रदेशों की 40,183 वाहनें जो अवधि अप्रैल 1989 से मार्च 1992 तक इस राज्य में प्रवेश की, से अन्य करों के अतिरिक्त 24.11 लाख रुपए केवल पथकर के रूप में वसूल किए जा सकते थे इसके अतिरिक्त अन्य करों की गणना अनुज्ञा-पत्र आदि विवरणों के अभाव में नहीं की जा सकी ।

परिवहन आयुक्त ने बताया (जनवरी 1992) कि सम्बन्धित परिवहन अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया था (जुलाई 1991) कि वे नई जांच-चौकियों को खोलने के संबंध में सर्वेक्षण के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

4.2.7 सरकारी अधिसूचना के प्राप्त न होने के कारण मार्गकर का कम आरोपित किया जाना

अध्यादेश दिनांक 24 जनवरी 1992 के अन्तर्गत डीजल चालित वाहनों के संबंध में मार्गकर (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों आदि जैसे कुछ विनिर्दिष्ट संस्थाओं और निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों को छोड़कर) दूने दर पर आरोपणीय था ।

परिवहन जांच- चौकियों नौबतपुर (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित) रक्सा तथा मसौरा (सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झाँसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित), की जांच के दौरान देखा गया (मार्च और जून 1992) कि वाणिज्यिक फर्मों और कम्पनियों (ऊपर संदर्भित विनिर्दिष्ट संस्थाओं और निकायों के वर्ग में न आने वाली) के 1315 डीजल चालित भार विहीन चेसिस 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4,000 किलोग्राम से अनधिक वजन वाले वाहनों के संबंध में मार्गकर पुनरीक्षित दर 172.34 रुपए प्रति वाहन के बजाय नौबतपुर परिवहन जांच-चौकी पर 106.80 रुपए, रक्सा पर 107.00 रुपए तथा मसौरा परिवहन जांच- चौकी पर 142.40 रुपए प्रति वाहन की दर से 24 जनवरी 1992 से 4 जून 1992 की अवधि तक आरोपित किया गया । इसके परिणाम स्वरूप 83,622.00 रुपए का मार्गकर कम वसूल हुआ ।

संबंधित यात्री-कर अधीक्षकों (प्रभारी) ने बताया कि उपरोक्त शासकीय अधिसूचना जांच- चौकी

पर प्राप्त नहीं हुई थी ।

4.2.8 आस-पास के राज्यों के साथ द्विपक्षीय अनुबन्ध

अन्तर्राज्यीय सड़क मार्गों पर परिवहन के यातायात को बढ़ावा देने और उनके संचालन तथा परिचालन को नियमित एवं नियंत्रित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 8 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों से द्विपक्षीय अनुबन्ध किए, जिनके अन्तर्गत, पारस्परिक आधार पर संवादी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किए गए स्थाई अनुज्ञा-पत्र राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने की दशा में (फीस प्रभारित करने के पश्चात्) उस राज्य में वैध हो जाते हैं । प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्र जो प्रतिहस्ताक्षरित किए जा सकते हैं, उनकी संख्या अनुबन्ध के अनुरूप सीमित होती है । जिन मामलों में अनुज्ञा-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दिए गए हैं उनमें प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा मार्गकर प्रभारित नहीं किया जाता, किन्तु प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में आरोपणीय यात्री-कर के भुगतान के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक राज्य को प्रक्रम वाहनों का बंटवारा (एलोकेशन) राज्य में पड़ने वाले मार्ग की किलोमीटर दूरी (रूट किलो मीटरेज.) के अनुसार किया जाता है और समस्त सहमत मार्ग दोनों राज्यों द्वारा परिचालित किए जाते हैं ।

4.2.8.1 यात्री-कर

उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच अक्टूबर 1983 में एक द्विपक्षीय अनुबन्ध किया गया था । अनुबन्ध के अनुसार हरियाणा राज्य परिवहन निगम की वाहनों को 3 मार्गों पर 28 एकल फेरे प्रतिदिन (पानीपत-शामली - 22, मुजफ्फरनगर-करनाल - 4, मेरठ-करनाल - 2) लगाने हेतु प्राधिकृत किया गया था परन्तु वाहनों द्वारा 58 एकल फेरे प्रतिदिन (पानीपत-शामली - 44, मुजफ्फरनगर - करनाल 10, मेरठ - करनाल - 4) लगाए जा रहे थे जैसा कि यात्री-कर अधीक्षक कैराना (जनपद मुजफ्फरनगर) जांच-चौकी द्वारा मार्च 1992 में सूचित किया गया था। इस प्रकार इन मार्गों पर 30 अतिरिक्त सेवाएं प्रतिदिन लगाई जा रही थीं । मार्च 1991 से फरवरी 1992 की अवधि में 3 मार्गों पर 30 अतिरिक्त फेरे लगाने के कारण 4.01 लाख रुपए के यात्रीकर की हानि हुई ।

हरियाणा परिवहन निगम के प्रक्रम वाहनों के संबंध में इस राज्य को प्राप्त यात्री-कर उपक्रम के विभिन्न डिपों द्वारा मेरठ, देहरादून स्थित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों, मार्गों का विवरण तथा परिचालन संबंधी किलोमीटर दूरी (प्रतिमाह) प्रस्तुत किए बिना, बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से भेजा जाता है ।

इस राज्य को प्राप्य और दूसरे राज्यों द्वारा वस्तुतः प्रेषित करों पर किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा उनका अनुश्रवण (मानिटरिंग) न तो परिवहन आयुक्त के स्तर पर और न ही सम्भागीय स्तर पर किया जाता है । कैराना (जनपद मुजफ्फरनगर) तथा सरसांवाँ (जनपद सहारनपुर) पर स्थित परिवहन जांच-चौकियों पर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के संबंध में रजिस्टर बनाया गया था जिसमें संबंधित

वाहनों के परिचालकों द्वारा वाहनों का पंजीयन चिन्ह तथा मार्गों का नाम नोट कराया गया था । परिवहन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच कभी नहीं की गई थी और न ही प्राप्त सूचना को एकत्रित करके उच्च प्राधिकारियों को वाहनों के अनधिकृत संचालन के सुधार हेतु भेजा गया था । अन्य जांच-चौकियों पर कोई भी अभिलेख नहीं बनाया गया था जिससे अन्य प्रदेशों के वाहनों के संचालन पर नजर रखी जा सके क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों के साथ हुए द्विपक्षीय अनुबन्धों की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी थी ।

विभाग ने बताया कि वाहनों के अनधिकृत संचालन के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं थी । फिर भी, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी (जून 1992) ।

4.2.8.2 मार्ग-कर

उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा और उत्तर प्रदेश एवं हिमांचल प्रदेश राज्यों के मध्य क्रमशः अक्टूबर 1983 एवं फरवरी 1985 में सम्पादित अन्तर्राज्यीय अनुबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी राज्य में पंजीकृत किन्तु दूसरे राज्य में संचालन के लिए अनुमत वाहन, मार्ग-कर का भुगतान, गृह राज्यों में, जिसमें ऐसे वाहन पंजीकृत हैं, करते हैं । फिर भी, अनुबन्ध में संकल्पित मार्गों से भिन्न मार्गों पर संचालित वाहनों के मार्ग-कर का भुगतान गृह राज्यों से भिन्न राज्य में देय है ।

सरसांवाँ जांच-चौकी (जनपद सहारनपुर) पर यह देखा गया (अप्रैल 1992) कि हरियाणा परिवहन के 13 वाहन (राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा दोहरी कराधान प्रणाली के आधार पर तीन अनुज्ञा-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित) और हिमांचल प्रदेश का एक वाहन उत्तर प्रदेश के 12 मार्गों पर, जो संबंधित द्विपक्षीय अनुबन्धों में सम्मिलित नहीं था, संचालित हो रहे थे । ऐसे वाहनों से मार्ग-कर वसूली योग्य था जो कि जांच-चौकी पर नहीं वसूला गया । सरसांवाँ जांच-चौकी से गुजरे 12 मार्गों पर हरियाणा परिवहन के 13 वाहनों से मार्ग-कर वसूले न जाने के कारण केवल अवधि जनवरी 1991 से मार्च 1992 में 77,933.00 रुपए की राजस्व हानि हुई (हिमांचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के एक वाहन के संबंध में विवरणों के अभाव में हानि की गणना नहीं की जा सकी) । अनुबन्ध में न शामिल 7 मार्गों पर कुल्हाल जांच-चौकी से गुजरे वाहनों पर हुई हानि की संगणना, अनुज्ञा-पत्रों एवं वाहनों के पंजीयन चिन्ह के अभाव में नहीं की जा सकी । .

अनुबन्धों में वर्णित मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए जोर डालने अथवा अन्य राज्यों के वाहनों के उत्तर प्रदेश में अनधिकृत संचालन की रोक -थाम के उपायों के संबंध में, संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से सूचना के अभाव में, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

4.2.9 पद्धति - दोष

उत्तर प्रदेश में वाहनों के पारस्परिक आधार पर परिचालन हेतु अन्य राज्य सरकारों / केन्द्र

शासित प्रदेशों द्वारा विवाह-पार्टियों, तीर्थ यात्रियों आदि के वहन के लिए भी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र तथा पर्यटक पार्टियों के संबंध में विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाते हैं । ऐसे अनुबन्धित वाहनों के संबंध में अस्थाई /विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है । बहिर्गामी एवं वापसी यात्राओं की तिथियों का अस्थाई अनुज्ञा-पत्र में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है और विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र के लिए अपेक्षित है कि उसमें पर्यटन का विस्तृत कार्यक्रम हो जिसमें यह दिखाया गया हो कि किस क्रम से विभिन्न स्थानों को देखने जाया जाएगा तथा यह इंगित किया गया हो कि प्रत्येक स्थान पर आगमन एवं वहां से प्रस्थान की सम्भावित तिथियाँ क्या हैं । इस प्रकार के अस्थाई / विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत चलने वाले वाहनों पर, उत्तर प्रदेश में आरोपणीय यात्रीकर के भुगतान से कोई छूट नहीं है, किन्तु इस राज्य में आरोपणीय कर अन्य राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा पारस्परिक आधार पर अस्थाई / विशिष्ट अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाने के समय बैंक ड्राफ्टों के रूप में संग्रहीत किया जाता है जो बाद में अनुज्ञा-पत्र धारकों को , इस राज्य में अपनी सीमाओं पर स्थापित जांच-चौकियों पर सौंप देने के लिए, दे दिए जाते हैं ।

इस प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा नियमों के अन्तर्गत देय एक मुश्त धनराशि सुनिश्चित किए जा सकने हेतु अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा संबंधित जांच-चौकियों पर प्राधिकार रखने वाले सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अस्थाई / विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियों के साथ की जाने वाली यात्राओं एवं यात्रियों से प्रभार्य किराए का विवरण प्रस्तुत किया जाना होता है ।

4.2.9.1. अन्य राज्यों से अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियों का न प्राप्त होना

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा, देहरादून, वाराणसी, मेरठ और झाँसी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऐसे अस्थाई / विशिष्ट अनुज्ञा-पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं और न ही उनके द्वारा वसूले गए और प्रदत्त करों की शुद्धता सत्यापित करने के लिए विभाग द्वारा उनकी मांग की गई । जांच-चौकियों पर, इन अनुज्ञा-पत्रों और पार्टी के अनुमोदित कार्यक्रम की किसी प्रतिलिपि के अभाव में, प्रदत्त करों की धनराशि की शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी । परिवहन आयुक्त ने बताया (जनवरी 1992) कि जांच-चौकियों से सम्बद्ध कार्य सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में है । आयुक्त स्तर पर देख-रेख एवं निगरानी के अभाव में यह नहीं जाना जा सका कि विभाग विभागीय- राजस्व पर किस प्रकार प्रभावी नियंत्रण रखता है ।

4.2.9.2 अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों के संबंध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना

11 जांच-चौकियों (फतेहपुर सीकरी, हामिदपुर रोड, कैराना, सरसांवाँ, कुल्हाल, मोहन नगर, साहिबाबाद, भोयापुरा, भोपुरा, महराजपुर और चित्रकूट) पर कतिपय मामलों में दिनों की संख्या के आधार पर डीलक्स बसों के संबंध में 200 रुपए प्रतिदिन की दर से एवं सामान्य बसों के संबंध में 160 रुपए प्रतिदिन की दर से एक मुश्त यात्री कर वसूल किया गया, जबकि कुछ दूसरे मामलों में यह दूरी के आधार

पर वसूल किया गया जो कि देय एक मुश्त धनराशि से कम था । सम्भागीय कार्यालयों और जांच-चौकियों पर अनुज्ञा-पत्रों और पर्यटन कार्यक्रमों की प्रतिलिपियों के अभाव में, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका कि इस राज्य को प्राप्त करों की सही गणना एवं वसूली की गई है किन्तु अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि और वाहनों के जांच-चौकियों पर प्रवेश की तिथि जैसा कि प्राप्ति रजिस्टर में अंकित की गई थी, के आधार पर 14 माहों (जनवरी 1991 से फरवरी 1992) में 446 मामलों में 9.87 लाख रुपए का यात्रीकर आरोपणीय था, जिसके समक्ष अनुमत दिनों की संख्या की अपेक्षा कम दिनों के आधार पर 3.52 लाख रुपए की धनराशि वसूल की गई। परिवहन आयुक्त ने बताया (जून 1992) कि वांछित सूचना सम्बद्ध सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है ।

4.2.9.3 अनुबन्धित वाहनों के एक मुश्त दरों की बढ़ोत्तरी न किए जाने के फलस्वरूप यात्री कर की हानि

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित अन्य राज्यों के अनुबन्धित वाहन उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार यात्री-कर का भुगतान करने के दायी हैं जब तक कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच पारस्परिक अनुबन्धों के अन्तर्गत मुक्त न किए गए हों । उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच किसी वर्तमान पारस्परिक अनुबन्ध में अनुबन्धित वाहनों को यात्री कर के भुगतान से ऐसी कोई छूट संकल्पित नहीं है ।

अन्य राज्यों के अनुबन्धित वाहन, जो अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, इस राज्य को अन्तिम रुप से प्रेषित किए जाने के लिए, यात्रीकर का भुगतान एक मुश्त आधार पर डीलक्स बसों के संबंध में 200 रुपए प्रतिदिन की दर से एवं सामान्य बसों के संबंध में 160 रुपए प्रतिदिन की दर से, अपने गृह राज्यों को करते हैं । उत्तर प्रदेश के अनुबन्धित वाहनों के संबंध में एक मुश्त यात्री कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किराया तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है जबकि अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले अनुबन्धित वाहन यात्री कर प्रतिदिन की दर के आधार पर अदा करते हैं ।

फरवरी 1983 में जब उत्तर प्रदेश के अनुबन्धित वाहनों के किराए की अधिकतम दरों में वृद्धि की गई थी राज्य सरकार ने साथ ही साथ अन्य प्रदेशों के वाहनों के एक मुश्त यात्रीकर के प्रतिदिन की दरों में भी वृद्धि कर दी थी । 30 जून 1989 को निर्गत अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार ने अनुबन्धित वाहनों द्वारा प्रभार्य अधिकतम किराया 1 जुलाई 1989 से 50 प्रतिशत बढ़ा दिया था । एक मुश्त यात्री कर की दरों में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई थी ।

अधिकतम किराया के साथ-साथ यदि अन्य प्रदेशों के अनुबन्धित वाहनों के एक मुश्त यात्री कर की प्रतिदिन की दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई होती तो उत्तर प्रदेश में संचालित अन्य राज्यों के अनुबंधित

वाहनों से यात्री कर का संग्रह भी 50 प्रतिशत बढ़ गया होता । 14 जांच-चौकियों की जांच के दौरान यह देखा गया कि जनवरी 1991 और दिसम्बर 1991 के मध्य विभिन्न अवधियों के दौरान उत्तर प्रदेश में संचालित अन्य प्रदेशों के 21,713 अनुबन्धित वाहनों से केवल उक्त अवधि में यात्री कर के रुप में 41.09 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व संग्रहीत किया गया होता यदि अनुबन्धित वाहनों के लिए यात्री कर की एक मुश्त दरें भी 1 जुलाई 1989 से बढ़ा दी गई होतीं ।

4.2.9.4 जांच - चौकियों पर तौलने की मशीन का न होना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, किसी मोटर वाहन (माल वाहन) या ट्रेलर को, जिसका लदा या बिना लदा हुआ भार पंजीयन प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट भार से अधिक है, सार्वजनिक स्थान पर न चलाएगा और न चलाने देगा । जब माल वाहन या ट्रेलर पूर्व कथित प्रावधानों के अतिक्रमण में प्रयुक्त होते हुए पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 114 में यह व्यवस्था है कि वाहन को आगे जाने वाले मार्ग पर 10 किलोमीटर के अन्दर अथवा यथा स्थान से 20 किलोमीटर के अन्तर्गत यदि कोई तौलने का यन्त्र है, तो वाहन को वहां ले जाया जाय और तौलने पर अनुमत भार से अधिक भार हटवा दिया जाय ।

इस दृष्टि से जांच-चौकियों पर तौलने के यन्त्रों को स्थापित किए जाने एवं वैधानिक रुप से प्रत्येक माल वाहन को उससे निकालने की अनिवार्यता से ओवर लोडिंग की प्रवृत्ति पर रोकथाम हो सकती है।

4.2.9.5 अधिकारों का प्रतिनिधान

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग के मालकर अधिकारी / यात्रीकर अधिकारी और उच्च पद वाले अधिकारी, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों को शमन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं । जांच-चौकियाँ पूर्ण रुपेण यात्री कर अधीक्षकों द्वारा व्यवस्थित हैं । किन्तु यात्री कर अधीक्षकों को अधिकारों के प्रदान न किए जाने के अभाव में, उनके द्वारा चालान किए गए मामलों का शमन, यद्यपि परिचालकों द्वारा ऐसा चाहने पर भी, स्थल पर नहीं किया जा सकता । अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के शमन का अधिकार यात्री कर अधीक्षकों को प्रदान किए जाने से चालान किए गए मामलों का सुगम निपटान सुविधाजनक होता ।

इसी प्रकार जांच-चौकियों पर प्रभार रखने वाले यात्री- कर अधीक्षकों को अनुज्ञा-पत्रों या पंजीयन के बिना संचालित या अधिकृत भार क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों को बन्द (सीज.) करने का अधिकार प्रदत्त नहीं है । ऐसे अधिकार के अभाव में, चूक करने वाले परिचालकों पर प्रभावी नियंत्रण चेक-पोस्ट पर नहीं बनाए रखा जा सकता है ।

4.2.9.6 बैंक ड्राफ्टों की स्वीकृति का प्राप्त न होना

अन्य सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पक्ष में आहरित 6.76 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट कोटवन, मुगर्रा, बिछिया, कैराना, सरसांवाँ, बागपत, मोहननगर, भोपुरा, महराजपुर और चित्रकूट जांच-चौकियों पर करों के भुगतान हेतु अन्य राज्यों से प्राप्त किए गए थे जो कि संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को जनवरी 1987 से जनवरी 1992 के बीच भेजे गए थे । किन्तु उनसे उनके लिए कोई पावती नहीं प्राप्त हुई थी, जिसके अभाव में उनके दुरुपयोग की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता ।

लखनऊ सम्भाग के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 7,421 रुपए के 25 बैंक ड्राफ्ट मई 1987 से अप्रैल 1991 के मध्य भोपुरा, बिछिया और कोटवन जांच-चौकियों से भेजे हुए बताए गए थे । सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ को वे बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुए थे और न ही उनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में की गयी थी ।

उपर्युक्त बिन्दु सरकार को जून 1992 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1993) ।

4.3 यात्रीकर का कम / न आरोपित किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत यात्री द्वारा प्रक्रम वाहन से राज्य में की गई अपनी यात्रा के लिए दिए जाने वाले किराए पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर पर यात्री कर वाहन स्वामी को देय है । कर वाहन स्वामियों द्वारा एकत्र किया जाता है तथा राज्य सरकार को अदा किया जाता है । वाहन स्वामी द्वारा देय यात्री कर की धनराशि के स्थान पर राज्य सरकार एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकती है या स्वीकार करने के लिए सहमति दे सकती है । नियमानुसार एक मुश्त धनराशि स्वीकार करने का अनुबन्ध 3 माह अथवा अनुज्ञा-पत्र प्रचलन अवधि की असमाप्त अवधि हेतु इनमें जो भी कम हो तथा निर्धारित सूत्र पर आधारित होता है ।

(क) निर्धारित न्यूनतम किराया न लेने से यात्री-कर की हानि

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रक्रम वाहनों के न्यूनतम एवं अधिकतम किराए को निर्धारित करने के लिए निर्देश निर्गत करती रहती है । 1 अक्टूबर 1990 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों,

उत्तर प्रदेश को विशेष श्रेणी और "क" श्रेणी के मार्गों , "ख" श्रेणी के मार्गों तथा "ग" श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों के लिए किराए की न्यूनतम दर क्रमशः 11.47, 12.52 तथा 14.58 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी किया (किराए की धनराशि जिसके अन्तर्गत

यात्रीकर, अतिरिक्त यात्रीकर और बीमा प्रभार भी हैं, पचास पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित की जानी थी) । राज्य परिवहन प्राधिकरण ने एक माह बाद 9 नवम्बर 1990 से इन किराए की दरों को लागू किया।

(i) उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जौनपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1991) कि 6 प्रक्रम वाहन जौनपुर-बेहनाजपुर मार्ग (75 किलोमीटर लम्बा, "विशेष" श्रेणी में वर्गीकृत), 3 प्रक्रम वाहन जौनपुर-रामनगर मार्ग (59 किलोमीटर लम्बा "क" श्रेणी में वर्गीकृत) तथा 5 प्रक्रम वाहन जौनपुर - शाहगंज वाया मार्टीनगंज मार्ग (79 किलोमीटर लम्बा, "ख" श्रेणी में वर्गीकृत) पर चलाए जा रहे थे । उपर्युक्त मार्गों पर यात्रीकर, अतिरिक्त यात्री कर तथा बीमा प्रभार को सम्मिलित करते हुए किराए को 50 पैसों के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित करने के पश्चात् सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया क्रमशः 8.50 रुपए, 6.75 रुपए तथा 9.80 रुपए प्रति यात्री होता है, जब कि विभाग ने वाहन मालिकों द्वारा एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री कर का निर्धारण मात्र 7.26 रुपए, 5.65 रुपए तथा 7.65 रुपए किराए के आधार पर किया । फलस्वरूप 9 नवम्बर 1990 से मार्च 1991 की अवधि में 48,558 रुपए कर कम निर्धारित किया गया ।

लेखा परीक्षा के दौरान इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 1991), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), जौनपुर ने आपत्ति स्वीकार किया और बताया कि कम धनराशि की वसूली कर ली जाएगी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला सरकार को अगस्त 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सोनभद्र की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1991) कि नवम्बर 1990 से किराए की न्यूनतम दर लागू करने के बावजूद मुरधवा - बीजपुर मार्ग (71 किलो मीटर लम्बा, "क" श्रेणी में वर्गीकृत) पर संचालित 22 प्रक्रम वाहनों के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री कर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर प्रभार्य किराए के आधार पर नहीं किया गया। मार्ग पर प्रभार्य किराए की न्यूनतम धनराशि यात्रीकर, अतिरिक्त यात्रीकर और बीमा प्रभार को सम्मिलित करके 50 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित करने पर 8.05 रुपए होती थी, परन्तु इसके बजाय विभाग ने मात्र 6.85 रुपए किराए के आधार पर कर निर्धारण किया । इसके फलस्वरूप 9 नवम्बर 1990 से मार्च 1991 की अवधि में 42,810 रुपए कर का कम निर्धारण हुआ ।

मामला विभाग तथा सरकार को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त

नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ख) शुद्ध किराए की गलत संगणना के कारण यात्रीकर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्रीकर की संगणना, अन्य बातों के अलावा, सम्पूर्ण मार्ग जिसपर प्रक्रम वाहन संचालित होता है उस पर साधारणतया देय कुल किराए पर निर्भर करता है । यात्रीकर की संगणना के लिए लिया जाने वाला किराया वह धनराशि है जो यात्रियों से वसूले गये वास्तविक किराए में से सभी प्रकार के करों को निकाल देने के बाद बनती है ।

पीलीभीत उप-सम्भाग की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), पीलीभीत ने संभागीय परिवहन अधिकारी , बरेली को यह सूचित किया (जून 1989) कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीलीभीत - पूरनपुर-मधोटांडा तथा पीलीभीत-खटिमा मार्गों पर सभी प्रकार के करों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक किराया क्रमशः 7.50 रुपए तथा 5.50 रुपए है जो अप्रैल 1989 से लिया जा रहा है। इसमें से यात्रीकर, अतिरिक्त यात्रीकर तथा बीमा प्रभार को निकाल देने के पश्चात् शुद्ध किराया क्रमशः 6.35 रुपए तथा 4.60 रुपए होता था । परन्तु विभाग ने गलत संगणना के फलस्वरूप यात्रीकर की संगणना हेतु किराया मात्र 6.06 रुपए तथा 4.50 रुपए ही लिया । इसके फलस्वरूप अप्रैल 1989 से अक्टूबर 1990 की अवधि में 58,626 रुपए यात्रीकर कम प्रभारित हुआ ।

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ग) मार्ग के वास्तविक दूरी के किराए के आधार पर यात्री कर का कम आरोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 1 अक्टूबर 1990 द्वारा राज्य में प्रक्रम वाहनों के किराए की न्यूनतम दरें निर्धारित किया तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को उक्त विज्ञप्ति के साथ अनुलग्न अनुसूची में यथा वर्णित प्रक्रम वाहनों के किराए की दरें निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया । "बी" श्रेणी के मार्ग हेतु किराया की न्यूनतम दर 12.52 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई थी ।

बरेली सम्भाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि फरीदपुर - ढकनी- बिसालपुर मार्ग तथा बहेड़ी - भुंडा गांव मार्ग (दोनों "बी" श्रेणी मार्ग में वर्गीकृत) के संबंध में, अनुज्ञापत्र अभिलेखों के अनुसार मार्गों की निर्दिष्ट दूरी क्रमशः 42 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर के

बजाय 35 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर मानकर न्यूनतम देय किराया 12.52 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की दर से अक्टूबर 1990 से यात्री कर का निर्धारण किया जा रहा था । इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1990 से नवम्बर 1991 तक की अवधि में 70,927 रुपए कर का कम निर्धारण हुआ ।

मामला विभाग तथा शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(घ)(i) अनुमोदित फेरों पर यात्री-कर की गणना न किए जाने के कारण हानि

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (2) में प्रावधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी प्रक्रम वाहन अनुज्ञा-पत्र प्रदान करते समय, जिस मार्ग हेतु अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाता है, उस मार्ग पर किए जाने वाले दैनिक फेरों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या संबंधी शर्त जोड़ सकता है । अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन (डिविएशन) के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम , 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अधीन देय यात्री कर किसी निर्दिष्ट मार्ग के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रम वाहन द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान प्राधिकृत एक तरफा फेरों की संख्या तथा सम्पूर्ण मार्ग हेतु देय किराए पर निर्भर करता है ।

पीलीभीत उपसंम्भाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली ने सितम्बर 1990 में पीलीभीत - अमेरिया - मुंडलिया - सितारगंज मार्ग को बहेड़ी तक 21 किलोमीटर बढ़ा दिया था । मार्ग के समस्त 26 अनुज्ञा-पत्र धारकों ने अपने अनुज्ञा-पत्रों पर मार्ग के बढ़े हुए भाग का पृष्ठांकन 5 अक्टूबर 1990 को करवा लिया । अनुज्ञा- पत्र की शर्तों के अनुसार परिवर्तित मार्ग मुंडलिया -बहेड़ी वाया मुंडलिया फार्म - नथेली पर वाहनों द्वारा प्रति दिन दस एकल फेरे क्रमावर्तन से संचालन हेतु स्वीकृत थे, किन्तु कर अधिकारी ने केवल 4 एकल फेरों के आधार पर एक मुश्त अनुबन्ध निर्धारित किया । संभागीय परिवहन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किए बिना कर अधिकारी द्वारा फेरों में कमी करना अनियमित था । परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1990 से नवम्बर 1991 तक की अवधि में 60,742 रुपए यात्री कर कम आरोपित किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

(ii) बढ़े हुए फेरों पर यात्री-कर की गणना न करने से हानि

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री- कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मार्ग पर किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री-कर,

अन्य शर्तों के साथ-साथ, एक निश्चित अवधि में प्रक्रम वाहन द्वारा लगाए जाने वाले स्वीकृत अथवा संभावित फेरों की संख्या पर निर्भर करता है । प्रत्येक आपरेटर को अपने वाहन के पहुंचने एवं छूटने के समय के नियंत्रण हेतु एक समय सारिणी कर अधिकारी को देना आवश्यक है इस समय सारिणी में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन की प्रभावी तिथि के 30 दिन के अन्दर, सूचना कर अधिकारी को वाहन स्वामियों के द्वारा दिया जाना आवश्यक है । फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन , एक मुश्त अनुबन्ध को, ऐसे परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी कर देता है तथा तत्पश्चात् असमाप्त अवधि हेतु एक नया अनुबन्ध अपेक्षित हो जाता है । समय से कर का भुगतान न करने पर कर अधिकारी कर के अतिरिक्त कर के 25 प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकते हैं ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फतेहपुर की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मार्च 1992) कि 20 प्रक्रम वाहनों के संबंध में यद्यपि फतेहपुर - हथगांव वाया हुसैनगंज मार्ग के वाहन स्वामियों ने कर अधिकारी को 29 अप्रैल 1991 को पुनरीक्षित समय सारिणी दिया कि 1 फरवरी 1992 से अपने प्रक्रम वाहनों के फेरों की संख्या 16 एक तरफा फेरे प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 एक तरफा फेरे प्रतिदिन कर दिया, विभाग ने एक मुश्त अनुबन्ध को पुनरीक्षित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया । एक मुश्त अनुबन्ध का पुनरीक्षण न किए जाने के फलस्वरूप फरवरी 1991 से मार्च 1992 की अवधि में 44,982 रुपए यात्री कर कम वसूल हुआ । इसके अतिरिक्त समय से कर का भुगतान न किए जाने पर न तो 11,245 रुपए की शास्ति तथा कर अधिकारी को अपेक्षित अवधि में परिवर्तित समय सारिणी न प्रस्तुत किए जाने पर न ही 1,925 रुपए का दण्ड आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (मार्च 1992) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फतेहपुर ने बताया कि आपत्ति में निहित धनराशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी । अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग तथा शासन को जून 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ड.) भार कारक का कम प्रतिशत अपनाए जाने के कारण एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट मार्ग पर किसी प्रक्रम वाहन के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्रीकर, अन्य बातों के साथ, अधिकृत भार कारक (दखल की गई सीटों का अनुपात) पर निर्भर करता है ।

गोरखपुर सम्भाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि 5 मार्गों (खुनुआ- नौतनवां - ढूठीबारी, सहजनवा -रुधौली, गोरखपुर - कप्तानगंज, गोरखपुर-छितौनी तथा

भटबत -चौरीचौरा - नई बाजार) का सर्वेक्षण मार्च 1990 में किया गया जिसमें प्रथम चार मार्गों पर भार कारक में 5 प्रतिशत तथा पांचवे मार्ग पर 7 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई, किन्तु विभाग सर्वेक्षण पूर्व के भार कारक के प्रतिशत पर यात्रीकर का निर्धारण एवं वसूली करता रहा । इसके परिणाम स्वरूप मार्च 1990 से अगस्त 1990 की अवधि में 47 प्रक्रम वाहनों के संबंध में 32,452 रुपए यात्रीकर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर (अगस्त 1990) विभाग ने बताया (मई 1992) कि मांग- पत्र निर्गत कर दिए गए हैं तथा 23,573 रुपए वसूल कर लिए गए हैं । शेष धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को अगस्त 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(च) ठेका गाड़ियों पर यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री- कर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत राज्य में प्रक्रम वाहनों द्वारा (अनुबन्धित वाहनों सहित) यात्रा करने पर यात्री द्वारा वाहन मालिक को देय किराए पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर से यात्रीकर देय है । वाहन मालिक द्वारा कर एकत्र करके राज्य सरकार को अदा किया जाता है । वाहन मालिक को मार्ग विवरणी के आधार पर (संग्रहीत कर की वास्तविक धनराशि के अनुसार) अथवा एक निर्धारित सूत्र के आधार पर की गई संगणना के अनुसार एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प होता है । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत अनु न्धित वाहनों (मोटर कैब को छोड़कर) के संबंध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री कर का निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, देय किराया तथा एक माह की अवधि में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । नियमों में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए यात्री कर की गणना में किराया मोटर यान अधिनियम, 1939 (बाद में मोटर यान अधिनियम , 1988 द्वारा प्रतिस्थापित) के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम किराए की दर के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4,000 किलोमीटर से कम नहीं होगी ।

(i) कानपुर संभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1991) कि एक परिचालक के 11 वाहन एक सरकारी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को नगर के विभिन्न भागों से कम्पनी की फैक्टरी तक ले जाने तथा वापस लाने हेतु जुलाई 1990 से अनुबन्धित थे ।. ये वाहन अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों पर चल रहे थे तथा एक मुश्त अनुबन्ध के आधार पर यात्री कर का भुगतान कर रहे थे । कम से कम 4,000 किलोमीटर प्रतिमाह की दूरी हेतु औ 3.75 रुपए प्रति किलोमीटर के न्यूनतम किराए पर (सरकार द्वारा निर्धारित 5 रुपए प्रति किलोमीटर की अधिकतम किराए की दर का 75 प्रतिशत) संगणित यात्री कर प्रति वाहन प्रति माह 2,520 रुपए आता था किन्तु 1538.90 रुपए प्रति वाहन प्रति माह की दर से कर वसूल किया गया था, फलस्वरूप जुलाई 1990 से मार्च 1991 की अवधि में 70,639 रुपए राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) संभागीय परिवहन कार्यालय , बरेली की लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1991) कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश , लखनऊ द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए 3 ठेका गाड़ी अनुज्ञा- पत्र 5 वर्षों के लिए अप्रैल 1991 में स्वीकृत किए गए । वाहन मालिकों ने मार्ग विवरणी के आधार पर या एक मुश्त अनुबन्ध के अनुसार यात्री कर का भुगतान नहीं किया जब कि वाहनों के सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संचालन हेतु मार्ग कर का भुगतान संभागीय कार्यालय, बरेली में ही किया जा रहा था । यात्री कर का निर्धारण न करने से राज्य सरकार को अप्रैल से नवम्बर 1991 की अवधि में एक मुश्त अनुबन्ध के आधार पर की गई गणना के अनुसार 69,930 रुपए के न्यूनतम राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1991) संभागीय परिवहन अधिकारी, बरेली ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया । कृत कार्यवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

4.4 मार्ग कर तथा माल कर का आरोपण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (कराधान) अधिनियम, 1935 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत माल वाहन के परिचालक को वाहन की प्राधिकृत भारक्षमता पर निर्धारित दर से मालकर तथा मार्गकर का भुगतान करना होता है । सरकारी कम्पनियों / निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों को करारोपण से कोई छूट अनुमन्य नहीं है ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991) कि टेहरी जल विकास निगम के स्वामित्व वाले 8 माल वाहनों के संबंध में नवम्बर 1989 तथा सितम्बर 1991 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए माल कर तथा मार्ग कर क्रमशः 2.63 लाख रुपए तथा 42,614 रुपए आरोपित नहीं किया गया था ।

मामला विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

4.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाले प्रकम वाहनों के संबंध में अनुज्ञापत्र फीस की कम वसूली

मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान है कि किसी परिवहन मोटर यान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में यान का उपयोग अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार ही करेगा । उत्तर प्रदेश मोटर यान (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 के नियम 55 (क)(iii) के अन्तर्गत यात्री गाड़ी की परिवहन सेवा के लिए प्रत्येक यान के संबंध में अस्थाई अनुज्ञा-पत्र से भिन्न अनुज्ञा-पत्र दिए जाने / उसका नवीनीकरण करने के संबध में निम्नलिखित फीस निर्धारित की गई थी:

(क) दो कैरिज तक 500 रुपए ।

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त कैरिज के लिए 100 रुपए ।

परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर 1986 के द्वारा यह स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) की बसों के लिए भी सीमित अवधि के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र से भिन्न अनुज्ञा- पत्र निर्गत किए जाएंगे तथा उनसे वही फीस ली जाएगी जो अन्य वाहन स्वामियों से अनुज्ञापत्र दिए जाने / नवीनीकरण करने के लिए ली जाती थी ।

गोरखपुर संभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1991) कि वर्ष 1988 में अस्थाई अनुज्ञापत्र से भिन्न 34 अनुज्ञा- पत्र जारी किए गए जिससे निगम के स्वामित्व वाले 321 प्रक्रम वाहन आच्छादित थे । 34 अनुज्ञा-पत्रों हेतु 250 रुपए प्रति अनुज्ञा-पत्र की दर से विभाग ने 8500 रुपए अनुज्ञा-पत्र फीस वसूल किया जब कि नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दर पर 42,300 रुपए फीस देय थी । इसके परिणाम स्वरूप 33,800 रुपए अनुज्ञा-पत्र फीस की कम वसूली हुई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (अगस्त 1991) विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (अगस्त 1991) कि वसूली की कार्यवाई प्रारम्भ की जाएगी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामला विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

अध्याय - 5

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा में जिला निबन्धकों तथा उप निबन्धकों के लेखे और सम्बद्ध अभिलेखों की जांच परीक्षण से 255 मामलों में 132.45 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का कम लगाया जाना	179	50.46
2.	प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम कराधान	63	57.08
3.	अन्य अनियमितताएं	13	24.91
	योग	255	132.45

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 64 मामले निहित धनराशि 39.34 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया। प्रतिवेदनों के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 6 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 4.29 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए। विभाग / शासन ने किसी मामले की आपत्तियों को अब तक स्वीकार नहीं किया । कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं।

5.2 सम्पत्ति के अवमूल्यन के फलस्वरुप स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख के विषय-वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य जो भी अधिक हो, के आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अन्तर्गत पंजीकरण प्राधिकारियों को मार्गदर्शन हेतु जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि के बाजारु दर को प्रत्येक द्विवार्षिक हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित किया जाता है ।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि यदि निबंधक अधिकारी यह समझता है कि सम्पत्तियों का उचित मूल्यांकन बिना स्थानीय पूछ-ताँछ किए अथवा बाह्य साक्ष्य के बिना सम्भव नहीं है तो ऐसे मामलों में विलेख का निबंधन किए जाने के उपरान्त वह वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारण हेतु उसे जिलाधिकारी को संदर्भित कर देगा ।

(i) उप-निबंधक, कैसरगंज (जनपद बहराइच) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1990) कि कृषि भूमि से संबिधित 7.01 हेक्टेयर क्षेत्रफल के दो हस्तान्तरण विलेखों (मार्च 1990 में निष्पादित) के संबंध में पंजीयन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर संगणित करने पर 8.66 लाख रुपए मूल्यांकन के बजाय विलेख में उल्लिखित 2.19 लाख रुपए मूल्यांकन अपनाया गया। इसके फलस्वरूप 92,495 रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

मामले को विभाग तथा शासन को सितम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

(ii) उप-निबन्धक, अमेठी (सुल्तानपुर) के कार्यालय की लेखापरीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर 1991) कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने अपने आदेश दिनांक 31 मार्च 1990 द्वारा टाउन एरिया, अमेठी के सीमान्तर्गत आवासीय भू-खण्डों की न्यूनतम बाजारू विक्रय दर 20 रुपए प्रति वर्गफुट (217.80 रुपए प्रति वर्गमीटर) निर्धारित किया तथा निर्देश दिया कि 5 बिस्वा (630 वर्गमीटर) तक की भूमि का विक्रय यदि अन्यथा सिद्ध न किया जाए तो आवासीय भूमि माना जाएगा। फिर भी टाउन एरिया, अमेठी के सीमान्तर्गत स्थिति ग्रामों के कुल 1,462.17 वर्ग मीटर से सम्बंधित 3 विलेखों (प्रत्येक भू-खण्ड 630 वर्ग मीटर से कम) (जनवरी तथा जुलाई 1991 की अवधि में पंजीकृत) में निबंधन अधिकारी द्वारा भूमि का मूल्यांकन जिला अधिकारी द्वारा आवास हेतु निर्धारित भू-खण्डों की न्यूनतम विक्रय दर पर आंकलित 3.19 लाख रुपए के बजाए 21,000 रुपए अपनाया गया। कम मूल्यांकन अपनाए जाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क के कुल 43,720 रुपए का कम कराधान हुआ।

मामला विभाग एवं सरकार को जनवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

5.3 विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर बाजारू कीमत के मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क देय है । सम्पत्ति के विक्रय के संबंध में, बंधक विषयान्तर्गत, बंधक की अदेय धनराशि या प्रभारित धन उस पर देय ब्याज सहित (यदि कोई हो) को विक्रय के प्रतिफल का एक भाग माना जाएगा।

उप-निबंधक, सिकन्दराबाद (जनपद बुलन्दशहर) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1990) कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम, कानपुर द्वारा सिकन्दराबाद की एक फर्म को 13 लाख रुपए का ऋण सम्पत्ति को अपने हक में बंधक रखते हुए दिया था। बंधककर्त्ता द्वारा ऋण अदायगी में असफल होने पर बंधकी ने बंधक सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेकर नई दिल्ली की एक अन्य फर्म को 17 लाख रुपए में विक्रय कर दिया जिसका विक्रय विलेख मार्च 1990 में पंजीकृत हुआ। विक्रय विलेख में क्रेता ने विक्रेता को देय बंधक की अवशेष धनराशि 6.67 लाख रुपए के साथ उस पर देय ब्याज के भुगतान को भी स्वीकार किया। इस प्रकार उपर्युक्त सौदे में भूमि एवं भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा बंधक की भुगतान की गई धनराशि का प्रतिफल 23.67 लाख रुपए हुआ जिसपर प्रभार्य 2.96 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क के बजाए विभाग ने केवल पट्टे वाली भूमि एवं भवन के मूल्यांकन के प्रतिफल 12.38 लाख रुपए पर जैसा कि लेख-पत्र में उल्लिखित किया गया था, 1.55 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क लिया। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में 1.41 लाख रुपए कम आरोपित किए गए ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1990) जिला निबंधक, बुलन्दशहर ने बताया (जून 1992) कि मामले में देय उचित स्टाम्प शुल्क के निर्धारण का वाद सहायक आयुक्त , स्टाम्प, बुलन्दशहर के कार्यालय में निर्णय हेतु लंबित है फिर भी पक्षकारों को नोटिस भेजी जा चुकी है।

मामले को विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

5.4 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

राज्य सरकार ने 12 जुलाई 1990 की अधिसूचना द्वारा ऐसी सहकारी आवास समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट 15 जुलाई 1990 से वापस ले लिया जिनका गठन भूमि को क्रय करके अपने सदस्यों में भवन निर्माण हेतु वितरण करने हेतु हुआ हो।

उप-निबंधक, रामनगर (जनपद-वाराणसी) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1991) कि एक सहकारी आवास समिति के पक्ष में 1518 वर्गमीटर भूमि का हस्तान्तरण विलेख जून 1991 में निष्पादित किया गया, जिसका मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर 4.93 लाख रुपए था। इस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दे दी गई। अनियमित छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप 71,530 रुपए स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

अध्याय 6

भू-राजस्व

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 की अवधि में लेखापरीक्षा में किए गए राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 358 मामलों में 418.32 लाख रुपयों के भू-राजस्व का न लगाया जाना या कम लगाया जाना, संग्रह प्रभारों की कम वसूली तथा जोतबहियों के मूल्य की कम वसूली आदि का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. भू-राजस्व का न लगाया जाना/ कम लगाया जाना	82	232.38
2. संग्रह प्रभारों की कम वसूली	85	45.70
3. जोत बहियों के मूल्य की वसूली न होना	22	2.37
4. अन्य अनियमितताएं	169	137.87
योग	358	418.32

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 25 मामले निहित धनराशि 61.55 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए एक आलेख्य प्रस्तर में 34.32 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किया गया। विभाग ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया। जनवरी 1993 तक कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई । मामला निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या बैंकिंग कम्पनी से वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि के साथ वसूली की कार्यवाही पर होने वाले व्यय (संग्रह प्रभारों) की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेंगे। राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किए गए देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूल किए जाने चाहिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र दिनांक 30 जून 1975 में निर्देशित किया कि संग्रह प्रभार

बकाएदारों द्वारा अथवा उन प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले विभाग या निकाय आदि द्वारा वहन किया जाना है, वसूली प्रमाण-पत्र में स्पष्ट होना चाहिए । वसूली प्रमाण- पत्रों में ऐसे किसी संकेत के न होने की स्थिति में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संग्रह प्रभार को घटाने के पश्चात् केवल निवल धनराशि का भुगतान ही सम्बधित विभाग अथवा निकाय को किया जाना चाहिए ।

आठ जनपदों की बारह तहसीलों एवं एक भू-राजस्व (संग्रह) कार्यालय में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, अन्य वित्त पोषक बैंकों तथा राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1988-89 से 1991-92 के दौरान भू-राजस्व के बकायों की भाँति की गई वसूली पर संग्रह प्रभार न तो बकाएदारों से वसूल किया गया और न ही वसुली गई धनराशि को संबंधित विभागों को भेजने के पूर्व उसमें से काटा गया। इस चूक के कारण 34.32 लाख रुपए राजस्व की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1990 से नवम्बर 1991 के मध्य) सम्बन्धित निरीक्षित इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि संग्रह प्रभारों की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त मामले विभाग और शासन को जनवरी 1991 और जनवरी 1992 के मध्य प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

अन्य कर प्राप्तियाँ

क - विद्युत शुल्क

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा में सहायक विद्युत निरीक्षकों / नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की जांच परीक्षण से 29 मामलों में 60.18 लाख रुपए के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. विद्युत शुल्क का भुगतान न किया जाना	17	54.76
2. ब्याज का वसूल न किया जाना	7	3.54
3. निरीक्षण फीस का वसूल न किया जाना	5	1.88
योग	29	60.18

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 9 मामले निहित धनराशि 3.97 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था , संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर दो आलेख्य प्रस्तर जिनमें 3.45 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए । विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार कर लिया। जनवरी 1993 तक कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई । मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं।

7.2 विद्युत शुल्क का आरोपण न किया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर लगता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्युत शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारी अथवा परिषद द्वारा उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों को प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा उन्हीं दरों पर बेची गई मानी जाएगी जो दरें उस वर्ग के अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होती है। सितम्बर 1984 में

शासन ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैनिक अधिकारियों को भी रियायती दर पर आपूर्तित ऊर्जा के संबंध में उपभुक्त ऊर्जा की प्रभारित दर उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण दर को ही माना जाएगा यद्यपि सामान्य दर एवं रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा था। इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि जहां ऊर्जा की आपूर्ति मिक्स्ड लोड टैरिफ पर की जाती है, वहाँ, जब तक विभिन्न श्रेणी के उपभोग के माप हेतु समुचित व्यवस्था जो निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को मान्य हो, न हो, तो उक्त टैरिफ के कुल उपभोग के 20 प्रतिशत पर बत्ती एवं पंखा के लिए निर्धारित दर पर शुल्क देय है। इस सम्बन्ध में निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने भी रक्षा विभाग के सभी नियुक्त प्राधिकारियों को प्रभार मुक्त आपूर्तित ऊर्जा के संबंध में विद्युत शुल्क साधारण उपभोक्ताओं पर लागू दर से वसूल करने हेतु एक परिपत्र जारी किया था (अगस्त 1986)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष 1985-86 के प्रस्तर 7.7, वर्ष 1988-89 के प्रस्तर 7.2.10 तथा वर्ष 1989-90 के प्रस्तर 7.2 में रक्षा विभाग के कर्मियों को घरेलू उपभोग के लिए प्रभार मुक्त विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर विद्युत शुल्क का आरोपण न करने के संबंध में उल्लेख किया गया था। एक नियुक्त प्राधिकारी (गैरिसन इंजीनियर, एम0ई0एस0), बरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1992) कि रक्षा विभाग के कर्मियों को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति घरेलू प्रयोजन हेतु प्रभार मुक्त तथा रियायती दर पर की जा रही थी। इस प्रकार की ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। उपभोग संबंधी अभिलेखों में भी उपरोक्त उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू प्रयोजन हेतु, उपभुक्त ऊर्जा का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया था। नियुक्त प्राधिकारी, बरेली के परिसर में इस प्रयोजन हेतु स्थित दो ट्रान्सफारमरों के थोक उपभुक्त लेखा के 20 प्रतिशत की गणना के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू प्रयोजन हेतु दिसम्बर 1990 से दिसम्बर 1991 की अवधि के दौरान उपभुक्त यूनिट 45.09 लाख थी तथा एक अन्य मथुरा के नियुक्त प्राधिकारी के संबंध में अप्रैल 1989 से मार्च 1991 की अवधि के लिए यह 27.14 लाख यूनिट आगणित की गयी थी। उपरोक्त उपभोग पर 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क 3.61 लाख रुपए हुए जिसके विरुद्ध असैनिक लोगों द्वारा घरेलू उपभोग से संबंधित विद्युत शुल्क केवल 16,499 रुपए का भुगतान किया गया। शेष 3.45 लाख रुपए का आरोपण एवं भुगतान नहीं किया गया।

मामले विभाग तथा सरकार को अप्रैल तथा मई 1992 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

ख- गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखों तथा संबद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 98.46 लाख रुपए के गन्ने के क्रय पर देय क्रय कर का एवं 6.28

लाख रुपए शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर देय प्रशासनिक शुल्क के आरोपण न किए जाने / कम किए जाने के क्रमश: 41 तथा 12 मामले प्रकाश में आए, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(क) गन्ना पर क्रयकर	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. गन्ने पर क्रयकर का अन्तरण	2	66.94
2. बिना क्रय कर का भुगतान किए चीनी की निकासी	12	30.50
3. नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर का कम निर्धारण	12	0 .79
4. निजी फार्म के गन्ने पर क्रय कर का भुगतान न किया जाना	12	0 .20
5. अन्य अनियमितताएं	3	0.03
योग	41	98.46
(ख) प्रशासनिक शुल्क		
1. बिना प्रशासनिक शुल्क के भुगतान के शीरे की निकासी	12	6.28
योग	12	6.28

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 13 मामले निहित धनराशि 54.61 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 5 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 53.33 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए । विभाग / शासन ने सभी 5 मामलों में निहित 53.33 लाख रुपए की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 2.87 लाख रुपए जनवरी 1993 तक वसूल कर लिए गए थे। कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं।

7.4 प्रति बोरा अंतिम दर के गलत निर्धारण के कारण गन्ना क्रय कर का भुगतान न होना

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिल द्वारा क्रय किए गए गन्ने पर 1.75 रुपए प्रति कुन्तल की दर से क्रयकर लिया जाना था । कर निर्धारण अधिकारी गन्ना पेराई सत्र के प्रारम्भ में या बाद में, पिछली सत्र की वसूली पर आधारित प्रति बोरा

अनन्तिम दर निर्धारित करता है । पेराई सत्र के अन्त में , कर निर्धारण अधिकारी से अपेक्षित है कि वह उस तिथि को क्रय कर की देयता ध्यान में रखते हुए स्टाक में बचे हुए चीनी के बोरों पर कर वितरित करके, क्रय कर की अन्तिम दर इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि चीनी के बोरों की अन्तिम निकासी के साथ-साथ सम्पूर्ण कर वसूल हो जाए। कर देयता की वसूली असफल होने पर मिल मालिक कर की बकाया धनराशि के साथ-साथ अर्थदण्ड जो कुल देय धनराशि के सौ प्रतिशत से अधिक न होगी, भुगतान का दायी होगा ।

जनपद बाराबंकी की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1991) कि चीनी मिल ने सत्र 1989-90 में 9.79 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया जिस पर गन्ना क्रय कर 17.13 लाख रुपए देय हुआ। कर निर्धारण अधिकारी ने सत्र के प्रारम्भ में अपने आदेश दिनांक 17 जनवरी 1990 द्वारा चीनी की निकासी पर 25 रुपए प्रति बोरे अनन्तिम दर निर्धारित किया । उस तिथि को बचे हुए चीनी के स्टाक तथा बचे हुए गन्ना क्रय कर पर ध्यान न देकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 1990 द्वारा 50 रुपए प्रति बोरा की अन्तिम दर निर्धारित किया । यह अन्तिम दर सत्र के सम्पूर्ण गन्ना क्रय कर की वसूली के लिए थी तथा अन्तिम चीनी के बोरे की निकासी के बाद भी 52,573 रुपए की राशि अवशेष रह गई।

मामला विभाग को (अक्टूबर 1991) तथा शासन को (नवम्बर 1991) में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

7.5 . मिल के अपने फार्म पर उगाए गए गन्ने पर क्रयकर का भुगतान न किया जाना

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति की व्यवस्था उस क्षेत्र में स्थित गन्ना समितियों के माध्यम से प्रत्येक मिल को आवंटित क्षेत्रों से की जाती है । गन्ना समितियों / गन्ना विकास परिषदों को चीनी मिलें क्रय किए गए गन्नों की मात्रा पर उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से की गई सेवाओं के लिए 20 पैसे प्रति कुन्तल की दर से कमीशन का भुगतान करती है। चूंकि ऐसा देखने में आया कि कुछ चीनी मिलें अपने निजी फार्मों में उत्पादित गन्ने का सीधे उपयोग कर रही थी जिससे कि सरकार को गन्ने के क्रय पर कर की हानि होती थी तथा समितियों / परिषदों को कमीशन का नुकसान उठाना पड़ता था। गन्ना आयुक्त ने 1971 के एक सरकारी आदेश के तहत सभी चीनी मिलों के अधिग्राहियों को अपने निजी फार्म में उगाए गए गन्नों की आपूर्ति गन्ना समितियों की एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त करने तथा ऐसे गन्नों पर क्रय कर तथा समितियों को देय कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, 21 मार्च 1983 को एक विज्ञप्ति जारी किया।

जनपद महाराजगंज (पहले जनपद गोरखपुर का भाग) स्थित एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990) कि चीनी मिल वर्ष 1982-83 से 1989-90 के मौसमों के दौरान मिल के निजी फार्म में उगाए गए 5.03 लाख कुन्तल गन्ने को चीनी के निर्माण हेतु प्राप्त किया था जिस पर

गन्ना क्रयकर 6.58 लाख रुपए देय था लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1990) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अगस्त 1991) कि भुगतान न की गई धनराशि के भुगतान हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जून 1991 को जारी कर दिया गया था । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 1993) ।

मामला शासन को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 में लेखापरीक्षा द्वारा प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाई गई अनियमितताएं मोटे तौर पर निम्नवत् थीं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	**वन उपज का रियायती दर पर आवंटन**	4	25.35
2.	**लीसा विदोहन में अनियमितताएं**	20	157.15
3.	**रायल्टी का गलत निर्धारण**	24	329.44
4.	**आरा मशीनों का पंजीकरण न करने के कारण राजस्व की हानि**	24	36.25
5.	**स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने के कारण राजस्व की हानि**	20	20.05
6.	**अर्थदण्डों का न लगाया जाना / कम लगाया जाना**	7	140.52
7.	**तेन्दू पत्तों के संग्रह एवं विक्रय में अनियमितताएं**	2	54.16
8.	**पट्टा किराया का वसूल न किया जाना**	10	71.45
9.	**विविध**	210	1706.06
	योग	321	2540.43

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 89 मामले निहित धनराशि 6.23 करोड़ रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया। प्रतिवेदन के वर्ष या पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर दस आलेख्य प्रस्तर जिनमें 91.78 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए । इन सभी प्रकरणों में शासन ने सम्प्रेक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है । जनवरी 1993 तक कोई धनराशि वसूल नहीं की गई

है । कुछ निदर्शनात्मक मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

8.2 निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश वन विभाग मैनुअल के अनुच्छेद 146 (1) (ए) के अनुसार वन उपज का निस्तारण सामान्यतया ठेकेदारों के साथ निष्पादित अनुबन्धों के तहत बिक्री अथवा खुली नीलामी के द्वारा किया जाना चाहिए जो उपज को उठाने / हटाने की स्वयं व्यवस्था करते हैं । आवंटित / बेचे गए लाटों का मूल्य, पिछली तीन वर्षों में सार्वजनिक नीलामी द्वारा समान तुलनीय लाटों के प्राप्त मूल्य के औसत से कम नहीं होना चाहिए । फरवरी 1990 में शासन द्वारा प्रमुख वन संरक्षक को निर्देशित किया गया कि बजरी तथा बोल्डरों की नीलामी के प्रकरण शासन को अनुमोदनार्थ न भेजे जावें तथा विभागीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किए जावें ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरिद्वार में 2.69 लाख रुपए की औसत बिक्री मूल्य के बजरी तथा बोल्डरों के दो लाटों का नीलाम 18 जुलाई 1990 को किया गया । अधिकतम निविदा बोली 4.15 लाख रुपए की थी, जो औसत मूल्य से 54 प्रतिशत अधिक थी, फिर भी सक्षम प्राधिकारी (वन संरक्षक) द्वारा बिक्री का अनुमोदन नहीं किया गया क्योंकि प्रभागीय वनाधिकारी ने उन्हें फरवरी 1990 के शासनादेश में निहित नीलाम सम्बन्धी दिशा निर्देश प्रस्तुत नहीं किए थे । दिनांक 12 नवम्बर 1990 को इन लाटों को 2.53 लाख रुपए पर दोबारा नीलाम किया गया, किन्तु जिलाधीश, हरिद्वार द्वारा जो सितम्बर 1990 में शासन द्वारा नीलामी के उद्देश्य से नियुक्त समिति का अध्यक्ष भी था, बोली का इस लिए अनुमोदन नहीं किया गया, कि वह औसत मूल्य से कम थी । इसके अनन्तर दिनांक 23 नवम्बर 1990 को एक और नीलाम द्वारा 1.97 लाख रुपए पर इन लाटों की बिक्री की गई । इस प्रकार जुलाई 1990 में पूर्व नीलामी द्वारा इन लाटों का निस्तारण न करने से 2.18 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुई ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में जनवरी 1992 में लाया गया; उत्तर अप्राप्त हैं (जनवरी 1993) ।

8.3 मांग न करने के कारण राजस्व हानि

सितम्बर 1978 के शासनादेश के अनुसार वन निगम को आवंटित लाटों की पूरी वसूली तीन किस्तों में प्रत्येक को, आवंटन वर्ष की मार्च, जून तथा सितम्बर में कर ली जानी चाहिए । बिक्री के नियमों के अन्तर्गत किसी विशेष लाट में उपलब्ध वृक्षों के वाद-विवाद क्रेता द्वारा आवंटन के 30 दिन के अन्दर प्रारम्भ / प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

उत्तरी वन प्रभाग, गोरखपुर में (508.83 घन मीटर के अनुमानित आउट टर्न वाले) 21 लाटों,

तथा (275.75 घन मीटर आउट टर्न वाले) एक लाट उत्तर प्रदेश वन निगम को क्रमशः वर्ष 1982-83 तथा 1985-86 में विदोहन हेतु आवंटित किया गया था । वर्ष 1987 तक न तो वन निगम द्वारा इन लाटों के लिए 9.60 लाख रुपए की रायल्टी का भुगतान किया गया, और न ही प्रभाग ने इस की मांग की । आवंटन के 6 से 8 वर्षों के अनन्तर जनवरी 1991 में निगम ने इन लाटों के आवंटन को निरस्त करने की इस तर्क पर प्रार्थना की कि अवैध कटान के कारण इन लाटों में वृक्ष उपलब्ध नहीं थे । सम्प्रेक्षा में देखा गया (फरवरी 1992) कि निगम ने रायल्टी का भुगतान नहीं किया था ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (फरवरी 1992) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कहा गया (अगस्त 1992) कि उत्तर प्रदेश वन निगम से प्रकरण पर सम्पर्क किया जा रहा था । इस प्रकार समय से रायल्टी की मांग न करने तथा इसके निमित्त अनुसरण की कार्यवाही न करने की विभागीय विफलता के कारण 9.60 लाख रुपए के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी । साथ ही 13.10 लाख रुपए के विलम्ब शुल्क की वसूली भी निगम से की जानी शेष थी ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में जून 1992 में लाया गया; जिसका उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 1993) ।

8.4 पट्टा किराया की कम वसूली

अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं , नैनीताल) के अक्टूबर 1976 के स्थाई आदेश , जो उत्तर प्रदेश वन निगम पर भी लागू होता है, के अनुसार ठेकेदारों से उनके सामान रखने में प्रयोग की जाने वाली वन भूमि का पट्टा किराया 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से लिया जाना चाहिए ।

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हलद्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर की सम्प्रेक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1991 एवं मार्च 1992) कि उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा उसके विक्रय डिपों के लिए 1978से 1991 की अवधि में कब्जे में ली गई 1025 हेक्टेयर (योग) वन भूमि का पट्टा किराया 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के स्थान पर 500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से लिया गया । इसके कारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार 5.26 लाख रुपए का पट्टा किराया कम वसूल किया गया :

क्रमांक	प्रभाग का नाम	कब्जे की अवधि	भूमि का योग हेक्टेयर में	देय पट्टा किराया	प्राप्त पट्टा किराया	कम प्राप्त पट्टा किराया
1.	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी, नैनीताल	1978 से 1991 के मध्य	670	6.70	3.35	3.35

2. तराई पश्चिमी वन प्रभाग,					
रामनगर, नैनीताल	1983 से 1991 के मध्य	355	3.55	1.64	1.91
योग		1025	10.25	4.99	5.26

प्रकरण शासन के संज्ञान में फरवरी 1992 एवं मई 1992 में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

8.5 अवधि विस्तार शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश वन नियमावली एवं शासनादेश (सितम्बर 1978), के प्रावधानों के अनुसार अगर वन की लाटों पर निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया हो तो क्रेता से अवधि विस्तार शुल्क काष्ठ एवं लघु वन उपज लाटों के विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अग्रिम लिया जाना चाहिए ।

कालागढ़ एवं पूर्वी बहराइच वन प्रभागों लैंसडाउन/बहराइच की सम्प्रेक्षा (अक्टूबर-दिसम्बर 1991) में यह देखा गया कि 79 लाटों (1988-89, 1989-90 और 1990-91) में 15 से 360 दिन के अवधि विस्तार की अनुमति, बिना 22.87 लाख रुपए की अवधि विस्तार शुल्क प्राप्त किए, दे दी गई ।

सम्प्रेक्षा के द्वारा इसको इंगित किए जाने पर (अक्टूबर और दिसम्बर 1991) प्रभागीय वनाधिकारियों ने बताया (जून 1992) कि धनराशि को वसूल किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

प्रकरण शासन को नवम्बर 1991 तथा मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993)।

8.6 विलम्ब शुल्क का वसूल न किया जाना

शासनादेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम को नियत तिथियों पर रायल्टी की किस्त का भुगतान करना अपेक्षित है । चूक होने पर, 30 दिन से 60 दिन तक के विलम्ब के लिए 2 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति दिन की दर से तथा 60 दिन से अधिक विलम्ब के लिए 5 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देने हेतु वन निगम उत्तरदाई है ।

उत्तरी गोण्डा, वन प्रभाग की सम्प्रेक्षा में देखा गया (अगस्त 1991) कि वन निगम से वर्ष 1987-88, 1988-89, और 1989-90 में आवंटित लाटों की रायल्टी 1876.05 लाख रुपए तीन किस्तों यथा आवंटन के वर्ष में प्रथम मार्च तथा शेष दो अगले वर्ष के प्रथम जून तथा प्रथम सितम्बर को देय थी । यद्यपि इसमें से 1460.27 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान समय से कर दिया गया परन्तु 415.78

लाख रुपए के भुगतान में 31 दिन से 1075 दिन का विलम्ब किया गया । जिसके कारण देय 41.66 लाख रुपए का विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया गया ।

सम्प्रेक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 1991) विभाग ने बताया कि वन निगम से विलम्ब शुल्क की मांग की जाएगी । अब तक कोई वसूली नहीं की गई (जनवरी 1993) ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में सितम्बर 1991 में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

अध्याय - 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क - सिंचाई विभाग

9.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई विभाग के लेखे तथा अभिलेखों के लेखापरीक्षा में 50 मामलों में 220.96 लाख रुपयों की निहित धनराशि की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्न लिखित श्रेणियों में आती हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	रायल्टी का वसूल न किया जाना	1	73.11
2.	विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	5	22.45
3.	सिंचाई शुल्क का वसूल न किया जाना	1	8.11
4.	नहर के जल के अनधिकृत उपयोग से राजस्व हानि (दण्डात्मक प्रभारों के मामले)	4	4.23
5.	कार्यादेशों पर स्टाम्प शुल्क न लिए जाने से राजस्व हानि	11	2.52
6.	कृषि योग भूमि को पट्टे पर न उठाए जाने से राजस्व हानि	3	0.56
7.	अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने से हानि	2	0.45
8.	बकाया धनराशि की वसूली न किया जाना	1	0.39
9.	अन्य अनियमितताएं	22	109.14
	योग	50	220.96

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 3 मामले निहित धनराशि 0.35 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया। प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 3 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 2.84 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए।

विभाग / शासन ने अभी तक किसी मामले में आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया । कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं।

9.2 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना

14 जनवरी 1982 को जारी अधिसूचना द्वारा (20 जनवरी 1982 से प्रभावी) सरकार ने सरकारी कार्यों हेतु निष्पादित अनुबन्धों / ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क लगाए जाने से दी गई छूट वापस ले ली । अतः 20 जनवरी 1982 से सभी प्रकार के अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क देय हो गया । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू होने हेतु यथा संशोधित) के अनुच्छेद 5(ग) की अनुसूची 1-ख के अनुसार एक साधारण अनुबन्ध विलेख पर स्टाम्प शुल्क 14 जून 1982 तक 5 रुपए तत्पश्चात् 6 रुपए (जो 24 जून 1988 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया) प्रभार्य है ।

दो सिंचाई प्रखण्डों (ऊपरी प्रखण्ड , पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर तथा रामपुर नहर प्रखण्ड, रामपुर) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून तथा जुलाई 1991) कि जून 1986 से मई 1991 के मध्य निष्पादित 9,700 अनुबन्धों के संबंध में स्टाम्प शुल्क 6 रुपए की दर से 2,550 मामलों में तथा 10 रुपए की दर से 7,150 मामलों में नहीं वसूला गया । इसके परिणाम स्वरूप 86,800 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जून तथा जुलाई 1991) प्रभागीय अधिकारी ने बताया कि कोई ऐसा आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ ।

मामला विभाग तथा शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

9.3 नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

वर्ष 1965 में निर्गत नलकूप निदेशक, सिंचाई विभाग, के स्थाई आदेशों के अनुसार राजकीय नलकूपों में यांत्रिक दोष की मरम्मत / सुधार के लिए 48 घण्टे से 7 दिन तक की अधिकतम बन्दी अनुमत थी । आदेशों में, मरम्मत हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक नलकूपों की बन्दी की दशा में कर्मचारियों को (विभिन्न स्तर पर) अनिवार्य रुप से दण्डित किए जाने जैसा सेवा निवृत्ति, पदावनति आदि का भी प्रावधान है ।

नलकूप प्रखण्ड, बस्ती की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1989) कि रबी सीजन 1395 फसली तथा 1396 फसली (1987-88 तथा 1988-89) में 38 नलकूप 11 दिन से 35 दिन तक बन्द पड़े रहे । इस तथ्य के बावजूद कि नलकूपों के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक नलकूप प्रखण्ड में एक कार्यशाला

होती है, दोषों के सुधार में ये विलम्ब उस समय हुए जब कि सिंचाई के लिए पानी की मांग अपनी चरम सीमा पर थी। मरम्मत में विलम्ब के फलस्वरूप अधिकतम आवश्यकता के समय किसान सिंचाई की सुविधा से वंचित रहे और उन अवधियों हेतु जिनमें बिजली की आपूर्ति उपलब्ध थी, सरकार को 62,040 रुपए (रबी मौसम के लिए 1.20 रुपए प्रति 5000 गैलन की दर से) राजस्व की हानि हुई। निर्धारित समय के भीतर मरम्मत न करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

मामला विभाग एवं सरकार को सितम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था, जिसपर अनुस्मारक भी फरवरी 1992 में जारी किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

ख - लोक निर्माण विभाग

9.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान लोक निर्माण विभाग के लेखे तथा संबद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 39 मामलों में 25.21 लाख रुपए की निहित धनराशियों की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्न लिखित श्रेणियों में आती हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. मैक्सफाल्ट के खाली ड्रमों की बिक्री निम्न दर से किए जाने के कारण राजस्व हानि	4	5.61
2. ठेकेदारों से बिक्रीकर न वसूलने से राजस्व हानि	1	4.51
3. पथकर की वसूली न करने से राजस्व हानि	2	4.08
4. संशोधित दर से टेण्डर फार्मों की बिक्री न किए जाने से राजस्व हानि	9	1.56
5. पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क न वसूलने से राजस्व हानि	6	1.49
6. कार्यादेशों पर स्टाम्प शुल्क वसूल न करने से राजस्व हानि	4	1.42
7. सरकारी भवनों के आवासियों से जलकर का वसूल न किया जाना	1	0.72
8. विभागीय प्रभारों का वसूल न किया जाना	1	0.68

9. बिक्री की धनराशि को राजस्व मद में क्रेडिट न करने से राजस्व हानि	1	0.40
10. अन्य अनियमितताएं	10	4.74
योग	39	25.21

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 8 मामले निहित धनराशि 5.25 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया। प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 5 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 4.39 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए । विभाग / शासन ने किसी मामले में आपत्तियों को अभी तक स्वीकार नहीं किया। कुछ निदर्शनात्मक मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं ।

9.5 पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू होने हेतु यथा संशोधित) के प्रावधानों तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और टॉल (पथकर) संग्रहण के लिए पट्टे की उस सम्पूर्ण धनराशि को, जिसके लिए पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम में अदा किया गया हो तथा शेष भाग का भुगतान किस्तों में किया जाना स्वीकृत हो), प्रीमियम मानते हुए स्टाम्प शुल्क लगाया जाना है क्योंकि कोई किराया आरक्षित नहीं किया गया है। यह मत इलाहाबाद उच्च न्यायालय* द्वारा भी माना गया है ।

चार सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों (खीरी, पौड़ीगढ़वाल, मुजफ्फरनगर, एवं मेरठ) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अप्रैल 1990 और जुलाई 1991के मध्य) कि 1985-86 तथा 1988-89 के मध्य पट्टाधारियों के साथ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित पुलों पर टॉल टैक्स के संग्रहण हेतु 8 पट्टा अनुबन्धों के संबंध में स्टाम्प शुल्क, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 35 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किस्तों को नियत किराया (प्रीमियम नहीं) मानते हुए, वसूल किया गया था । प्रीमियम हेतु दिए गए पट्टों के आधार पर स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने के फलस्वरूप 1.51 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम वसूल हुए ।

मामले विभाग तथा सरकार को सितम्बर 1991 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

---

*ए0आई0आर0 1977 इलाहाबाद 79 पूर्णपीठ-श्री भजय पाल सिंह तथा अन्य बनाम उ0प्र0, सरकार

9.6 अनुबन्धों पर कम स्टाम्प शुल्क लगाया जाना

अक्टूबर 1991 में प्रख्यापित एक अध्यादेश द्वारा राज्य सरकार ने ठेकेदारों से किए गए अनुबन्धों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5 (ग) के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के भुगतान को 1 नवम्बर 1991 से पुनरीक्षित करके 6 रुपए से 100 रुपए प्रति अनुबंध कर दिया।

तीन लोक निर्माण प्रखण्डों (सीतापुर, मऊ व लखनऊ) की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जनवरी और मार्च 1992 के मध्य) कि 558 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क 100 रुपए प्रति अनुबंध की दर के बजाय 10 रुपए की दर से वसूला गया, जिसके परिणाम स्वरूप नवम्बर 1991 से फरवरी 1992 की अवधि में 50,220 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी तथा मार्च 1992 के मध्य) विभाग ने बताया (जनवरी तथा मार्च 1992 के मध्य) कि संबद्ध आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे ।

मामला विभाग तथा शासन को मार्च 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

ग - कृषि विभाग

9.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान कृषि विभाग के लेखे तथा संबद्ध अभिलेखों की जांच परीक्षण से 28 मामलों में 85.36 लाख रुपए की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के उत्पादन में कमी	4	19.65
2. लाइसेंस फीस की वसूली न किया जाना	8	13.28

3. नीलामी पर बिक्री कर न लिया जाना	1	0.86
4. टेण्डर फार्मों की पुनरीक्षित दर पर बिक्री	3	0.26
5. अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	1	0.08
6. अन्य अनियमितताएं	11	51.23
योग	28	85.36

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि का एक मामला निहित धनराशि 0.19 लाख रुपए जिसे वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक आलेख्य प्रस्तर जिसमें 0.48 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किया गया । विभाग ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया । जनवरी 1993 तक कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई । मामला निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है ।

9.8 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का विक्रय

भारत सरकार के उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उर्वरक के विक्रय का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से निर्धारित फीस का भुगतान करके पंजीकरण प्रमाण -पत्र प्राप्त नहीं कर लेता । पंजीकरण प्रमाणपत्र एक वर्ष हेतु वैध रहता है और निर्धारित नवीनीकरण फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व नवीनीकृत किया जा सकता है। यदि नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र 31 मार्च के बाद दिया जाता है तो अतिरिक्त फीस भी प्रभार्य हो जाती है ।

जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1989) कि कुल 194 सहकारी समितियों / संस्थाओं में से मात्र 65 सहकारी संस्थाओं ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था और शेष 129 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए / नवीनीकृत करवाए बिना उर्वरकों के विक्रय का फुटकर व्यवसाय कर रही थीं । इस के परिणाम स्वरुप 1986-87 से 1988-89 की अवधि में 38,700 रुपए पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क तथा 9,675 रुपए के अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

मामला विभाग और सरकार को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

घ - सहकारिता विभाग

9.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान सहायक निबन्धक के कार्यालयों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों की जांच परीक्षण से 3 मामलों में 0.32 लाख रुपए की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. संग्रह शुल्क का जमा न किया जाना	2	0.23
2. अन्य अनियमितता	1	0.09
योग	3	0.32

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि का एक मामला निहित धनराशि 0.17 लाख रुपए जिसे वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए संग्रह प्रभारों के जमा न किए जाने पर एक आलेख्य प्रस्तर जिसमें 0.40 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किया गया । विभाग ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया । जनवरी 1993 तक कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई ।

ड. - खाद्य एवं रसद विभाग

9.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1991-92 के दौरान जिला आपूर्ति कार्यालयों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 11 मामलों में 2.01 लाख रुपए की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. प्रतिभूति निक्षेपों का जब्त न किया जाना	4	1.11
2. राशन कार्डों के मूल्य का वसूल न किया जाना	4	0.52
3. लेवी चीनी के बढ़े हुए मूल्य का वसूल न किया जाना	2	0.31
4 अन्य अनियमितता	1	0.07
योग	11	2.01

वर्ष 1991-92 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 9 मामले निहित धनराशि 1.53 लाख रुपए जिन्हें वर्ष 1991-92 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था, संबंधित विभाग ने स्वीकार किया । प्रतिवेदन के वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर 2 आलेख्य प्रस्तर जिनमें 3.99 लाख रुपए का वित्तीय परिणाम सन्निहित था, विभाग तथा शासन को उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत किए गए। विभाग ने दोनों आपत्तियों को जिसमें 3.99 लाख रुपए की धनराशि निहित थी, स्वीकार किया जिसमें से जुलाई 1992 तक कोई धनराशि वसूल नहीं की गई थी । एक निदर्शनात्मक मामला निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है ।

9.11 प्रतिभूति निक्षेपों का जब्त न किया जाना

शासन की दिनांक 28 दिसम्बर 1977 की विज्ञप्ति के अनुसार, कोयले का थोक या फुटकर लाइसेंस लेने या ईंट भट्ठा चलाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रार्थना-पत्र के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर परन्तु लाइसेंस निर्गत किए जाने के पूर्व, जमानत की धनराशि जो कोयला एजेण्ट के लिए 1000 रुपए, कोयला डिपो धारकों के लिए 200 रुपए तथा कोयला के द्वारा ईंट भट्ठा चलाने के लिए 300 रुपए के आवधिक निक्षेप (फिक्स्ड डिपाजिट) के रुप में किसी अनुसूचित बैंक में जिलाधिकारी के नाम विधिवत् बंधक किया जाना चाहिए । लाइसेंस समाप्ति के पश्चात् आवेदन दिए जाने पर जमानत की धनराशि पूरी अथवा उसका भाग यदि जब्त नहीं किया है तो लौटाया जा सकता है । लाइसेंस समाप्ति के एक वर्ष बाद जमानत लौटाने के लिए दिया गया कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और जमानत की पूरी अथवा उसका कोई भाग जैसा भी मामला हो शासन के खाते में जब्त कर लिया जाना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1988-89 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 9.18 में 1790 मामलों के संबंध में 13 जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों में 5.93 लाख रुपए धनराशि के प्रतिभूति निक्षेपों के जब्त न किए जाने का उल्लेख किया गया था ।

तीन जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों (सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर व गाजियाबाद) की लेखापरीक्षा में पुनः यह देखा गया (मार्च तथा जुलाई 1990 एवं दिसम्बर 1991) कि 3.68 लाख रुपए के 1,135 मामलों में, जिनमें अप्रैल 1983 और अप्रैल 1989 के मध्य लाइसेंस समाप्त हो गए थे, जमानत की धनराशि जब्त करके शासन के लेखे में जमा नहीं की गई थी, यद्यपि कि लाइसेंस समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर वापसी के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर इकाइयों के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि धनराशि को जब्त करने की कार्यवाई की जा रही है । जब्त करने की अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 1993) ।

मामले विभाग तथा शासन को फरवरी 1992 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1993) ।

जय नारायण

लखनऊ
दिनांक 20 अगस्त 1993

(जय नारायण गुप्ता)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-द्वितीय,
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली
दिनांक 30 अगस्त 1993

(सि. जि. सोमैया)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट - क

पंजीयन में तात्कालिक कार्यवाही न किए जाने की विफलता का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.12 (क))

परिक्षेत्र	वि.अनु.शा. द्वारा सर्वेक्षण में पाए गए अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या	पंजीकृत न किए गए व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण का माह	निहित बिक्रीकर की धनराशि (लाख रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लखनऊ	11	2	1982-83	जुलाई व अगस्त 1986	6.65
		1	1983-84	जनवरी 1988	4.00
		2	1984-85	मार्च 1989	14.58
		2	1985-86	अगस्त 1989	9.46
				फरवरी 1990	3.78
आगरा	3	2	1988-89 1989-90	मार्च 1991	3.08
कानपुर	21	1	1975-76	मार्च 1980	3.75
		1	1976-77	मार्च 1981	1.60
		1	1978-79	मार्च 1982	1.00
		2	1979-80	मार्च 1983	1.00
				मार्च 1984	1.56
		3	1980-81	मार्च 1985	4.35
		3	1981-82	मार्च 1986	6.39
		2	1982-83	जुलाई 1985 व फरवरी 1986	2.72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1	1983-84	मार्च 1988	1.03
		2	1984-85	मार्च 1989	3.03
		2	1986-87	जुलाई 1990 व मार्च 1991	9.94
गाजियाबाद	7	4	1979-80	मार्च 1984	10.00
वाराणसी	10	1	1981-82	फरवरी 1984	3.97
		2	1982-83	फरवरी 1987	5.60
				मार्च 1987	1.96
		3	1983-84	नवम्बर 1987	6.25
				जून 1988	6.29
				फरवरी 1990	7.02
		1	1984-85	मार्च 1989	1.76
		1	1985-86	फरवरी 1990	4.34
योग	52	39			125.11

परिशिष्ट - ख

फर्जी व्यापारियों के पंजीयन का विवरण

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.14 (क))

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	व्यापारियों की संख्या	पाई गई चूकें	वर्ष	कर व अर्थदण्ड की धनराशि	जमा कर/ जमानत की धनराशि	राजस्व क्षति
					(	लाख रुपए में	)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	लखनऊ	2	(i) सत्यापित न किया जाना (क) स्थाई व स्थानीय पता (ख) पूर्ववृत्त (ग) वित्तीय स्थिति (घ) प्रतिभू (ii) पूर्व में जारी प्रपत्रों का विवरण प्राप्त किए गए बिना ही भारी संख्या में प्रपत्रों का निर्गमन	1984-85	42.60	0.05	42.55

			(iii) प्रतिभू का फर्जी पाया जाना				
			(iv) प्राधिकृत वस्तुओं के अलावा माल का आयात				
			(v) कर निर्धारण पूर्ण करने में विलम्ब				
2	कानपुर	1	(i) गोदाम के स्थान की जांच न किया जाना	1983-84 एवं 1984-85	28.58	-	28.58
			(ii) पर्याप्त प्रतिभू का प्राप्त न किया जाना				
			(iii) व्यापार स्थल के परिवर्तन की सूचना न किया जाना				
			(iv) पूर्व में जारी प्रपत्रों का विवरण प्राप्त किए बिना ही भारी संख्या में प्रपत्रों का निर्गमन				
			(v) व्यापारी का लापता होना				

			(vi) कर निर्धारण में विलम्ब				
3	आगरा	1	(i) स्थल की जांच न किया जाना	1984-85	5.78	0.19	5.59
			(ii) पूर्व में जारी प्रपत्रों का विवरण प्राप्त किए बिना ही भारी संख्या में प्रपत्रों का निर्गमन				
			(iii) पंजीयन निरस्त किए जाने के बाद माल के आयात की अनुमति				
			(iv) कर निर्धारण में विलम्ब				
4	कानपुर	1	(i) स्थल की जांच न किया जाना	1986-87 1987-88	18.04	-	18.04
			(ii) पूर्व में जारी प्रपत्रों का विवरण प्राप्त किए बिना ही भारी संख्या में प्रपत्रों का निर्गमन				

(iii) आवर्त्त का
छिपाया जाना

(iv) कर निर्धारण
में विलम्ब